वनीकरण का सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव
छत्तीसगढ़ और ओड़िशा के वन क्षेत्रों से एक रिपोर्ट

द रिसर्च कलेक्टिव

दिसम्बर 2021

रिसर्च कलेक्टिव–प्रोग्राम फॉर सोशल एक्शन की शोध की इकाई हैं, जो विकास, दीर्घकालीन विकल्प, समान वृद्धि, प्राकृतिक संसाधन, समुदाय और जन अधिकार के सैद्धांतिक ढांचों और व्यावहारिक पहलुओं पर शोध को संचालित करता हैं। अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों को समेटते हुए, उसका काम लोगों के अनुभवों और समुदाय के परिप्रेक्ष पर आधारित होता हैं। हमारे काम का मकसद हैं जमीनी हकीकत को प्रतिबिम्बित करना, विनाशकारी विकास के प्रतिमानों को चुनौती देना तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, पर्यावरण संबंधी और सांस्कृतिक मामलों को लेकर जानकारी पर आधारित बहस को जन्म देना।

वनीकरण का सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव
छत्तीसगढ़ और ओड़िशा के वन क्षत्रों से एक रिपोर्ट

शोधकर्ता : आँचल
शोध सहायता : कावेरी चौधुरी, अयाज़ अहमद
आवरण चित्र : जिबिन रॉबिन
कवर डिज़ाइन : मुस्तुजब (द मीदीया कलेक्टीव)

प्रकाशक : द रिसर्च कलेक्टिव – पीएसए
दिसम्बर 2021

निजी वितरण हेतु
सहयोग राशि 20/–

प्रतियों के लिए संपर्क करें

प्रोग्राम फॉर सोशल एक्शन
जी–46 (फर्स्ट फ्लोर), ग्रीन पार्क (मेन)
नई दिल्ली– 110016
फोन न. 91–11–26561556
ई.मेल : trc@psa-india.net

विषय–तालिका

1. सफर के साथी...01
2. प्रस्तावना...02
3. परिभाषा...06
4. अध्ययन के लिए चुने गए क्षेत्र की जानकारी...07
5. अध्ययन का तरीका 16
6. अध्ययन के दौरान प्राप्त हुई जानकारियाँ...17
7. निष्कर्ष...24
8. संदर्भ...25
9. अनुलग्नक...26

सफर के साथी

साक्षात्कार में शामिल समुदाय के साथियों के अनुभवों के आधार पर यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ और ओड़िशा राज्य के वनाश्रीतों के वन में जाने और वन उत्पादों के उपयोग में अवरोध से उत्पन्न आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, पोषण और संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभावों की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। समुदाय के लोगो के द्वारा साक्षात्कार की गई जानकारियाँ, उनके विचार, जज़्बात और उनकी परिस्थितियाँ इस अध्ययन का मुख्य स्रोत है।

हम समुदाय के सभी महिला, पुरूष और युवा साथियों का आभार वयक्त करते है जिन्होने अपने संघर्श और व्यस्तता में भी समय निकाल कर परिस्थिति की वास्तविकता और सच्चाई को जानने में हमारी मदद की।

इस अध्ययन में फील्ड वर्क के दौरान छत्तीसगढ़ के साथी राजिम तांडी [सजग (शोसल ज्वाईन एक्शन फ़ॉर गोल संस्था) संगठन दलित आदिवासी मंच,] और उड़ीसा के साथी बिरंची बरिहा, मालिक राम और पांडे जी (ग्राम प्रगति परिवेश विकास प्रतिष्ठान) का धन्यवाद करते है। इस अध्ययन को फील्ड कार्य पूर्ण करने के लिये आँचल को धन्यवाद देते है।

इस अध्ययन को पूरा करने में मदद करने के लिये़ अशवथी सेनन, सविता विजयकुमार, भार्गवी दिलीप कुमार, कावेरी चौधुरी और शबीना का तहे दिल से धन्यवाद करते है। आवरण चित्र के लिये जिबिन रॉबिन और कवर डिज़ाइन के लिये मुस्तुजब मकोलत को धन्यवाद देते है।

यह अध्ययन जंगल में हो रही वृहद प्रक्रियाओं को समझने की प्रक्रिया के चरणों का भाग है। इस पर बेहतर समझ बनाने के लिये और भी अध्ययन होगें। हमें लगता है कि यह अध्ययन एक निर्देशिका के रूप में होगा जो हमें जगंल को समझने और इनमे रहने तथा इन पर आश्रित समुदायों के जंगल पर अधिकार को समझने मे हमारा सहयोग करेगा।

प्रस्तावना

सदियों से वनाश्रित समुदाय स्वतंत्रतापूर्वक वन संपदा का उपयोग अपनी आजीविका, निस्तारी और जीवन को मजबूत करने के लिये करते आये हैं। यहाँ वन संपदा से हमारा आशय वन की सम्पूर्ण परिस्थितिकी तंत्र से है जिसमें वन में उगने वाले पेड़–पौधे, वहाँ रहने वाले जीव–जन्तु, नदी, नाले, झरने, जमीन इत्यादि आते है।

हालाँकि, औपनिवेशिक काल के दौरान हुए वन शासन के औपनिवेशिक बुनियादी ढांचे की शुरूआत ने जंगल के साथ लोगों के संबंधों को बदल दिया। इसका एक बड़ा पहलू जंगलों तक सीमित पहुंच थी जो आजादी के बाद भी जारी रही। जिसके कारण राज्य के हाथों, देश भर के वनाश्रित समुदायों को ऐतिहासिक अन्याय का सामना करना पड़ा है। पिछले चार दर्शकों से इस वन संपदा तक इन वन समुदायों की पहुँच अपेक्षाकृत बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से इन समुदायों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और पोषण पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कथित विकास की अवधारणा जैसे– सड़क निर्माण, फैक्ट्री निर्माण, खनन, अभ्यारण, वन संरक्षण, जंगल विभाग का अनावश्यक हस्तक्षेप, जंगल जाने में रोक और राजस्व के लिये ऐसे पेड़ों का वन रोपण जो किसी भी तरह का लाभ समुदाय को नही देते कुछ मुख्य कारणों में से है जो कि वनाश्रित समुदायों की वनों पर आपसी निर्भरता को पूरी तरह से प्रभावित करते है। वर्ष 2006 में इन समुदायों के साथ हुये ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करने के लिए सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 पास किया गया जो वन आश्रित समुदायों को जंगल में रहने, लघु उत्पादों को अपनी आजीविका के लिए उपयोग करने व् वन संरक्षण का अधिकार देता है।

पिछले कई दशकों से जंगल को सड़को, बांधों, आधारभूत संरचना व् खनन इत्यादि के लिए काटा जा रहा है। इन गतिविधियों के कारण न केवल जंगल के क्षेत्र में कमी आई है बल्कि इनका घनत्व भी कम हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें से अधिकांश औद्योगिक और ढांचागत परियोजनाएं स्वदेशी वन भूमि पर कब्जा करके और पुराने जंगलों को काटकर की जाती हैं। वन भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए, भारत सरकार ने, दुनिया के अधिकांश देशों की तरह, वनीकरण प्रथाओं को अपनाया है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत, भारत ने 2030 तक अपने वन क्षेत्र को 33 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसका अर्थ होगा लगभग 50 लाख हेक्टेयर वन का वनीकरण।[1] यहां सवाल उठता है कि वनीकरण प्रथाओं के लिए भूमि कहां से आ रही है? वन प्रशासन के शोधकर्ता शरचचंद्र लेले बताते हैं कि कैसे भारत सरकार वनाश्रित समुदायों को वन भूमि

[1]Vohra, Supriya. Why afforestation isn't likely to make up for our loss of carbon-rich forests. The Wire, August 2021

से हटा रही है।[2] उनका कहना है, भारत में वनरोपण गतिविधियों की यह सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसी परियोजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 16 गांवों में लगभग 4000 एकड़ भूमि वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए निर्धारित की गई है।[3]

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वनवासी वन के वास्तविक संरक्षक हैं। इस अधिनियम के तहत, ग्राम सभा को उन नीतियों में निर्णायक भूमिका निभाने का अधिकार है जो उन्हें प्रभावित करती हैं। हालांकि, प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 (इसके बाद सीएएफ अधिनियम 2016) के तहत सामान्य रूप से ग्राम सभा या एफआरए का ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है।[4] वनीकरण के इस पूरे तंत्र ने एफआरए के कार्यान्वयन का खंडन किया है। साथ ही, किसी केंद्रीय वन अधिनियम के तहत वन भूमि की परिभाषा नहीं दी गई है या अभी भी स्पष्ट नहीं है[5]। वन विभाग या राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि के विरोधाभासी नामकरण के साथ–साथ पुरानी भूमि सर्वेक्षण बस्तियों ने भारत में भूमि और वन अधिकारों की एक गहरी गड़बड़ी पैदा कर दी है[6]।

वनीकरण गतिविधियाँ सीएएफ अधिनियम 2016 के तहत सरकार द्वारा अर्जित भारी धन पर निर्भर करती हैं। देश भर में वनीकरण गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत एक प्रावधान के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) नामक एक प्राधिकरण का गठन किया गया है। देश में अधिकांश वनीकरण गतिविधियों का प्रबंधन कैम्पा द्वारा अपनी राज्य सहायक कंपनियों के साथ किया जाता है। चूंकि, इस प्राधिकरण के माध्यम से भारी धनराशि को सुव्यवस्थित किया जाता है, अधिकांश राज्यों में वन विभाग के अधिकारियों की गतिविधियां पेड़ लगाने के आसपास केंद्रित होती हैं।

इस स्थिति को समझने के लिये हमें इसे वन अधिकार और भूमि अधिकार के दायरे मे देखना होगा। भारत में भूमि सुधार का आंदोलन जो पिछले 7 दशकों से चला आ रहा है वो अभी भी अधूरा है।[7] भारत की कुल जमीन 33 करोड़ हेक्टेयर हैं, जिसका लगभग एक चौथई जमीन (7.5 करोड़ हेक्टेयर) वन क्षेत्र है जो मुख्यतः वन विभाग द्वारा सरकारी संरक्षण में है।[8] ऊपर से भारत की 20 करोड़ आबादी वन भूमि व वन संसाधनो पर निर्भर करती है।

---

[2]Ibid.
[3]Choudhury, Chitrangada, An Indian government afforestation programme is brazenly usurping Adivasi land. India spend, June 2019
[4]Vohra, Supriya. Why afforestation isn't likely to make up for our loss of carbon-rich forests. The Wire, August 2021
[5] Ibid
[6]Choudhury, Chitrangada, An Indian government afforestation programme is brazenly usurping Adivasi land. India spend, June 2019
[7]अशेक चौधरी, रोमा मलिक, दिव्या कपूर– भूमि अधिकार और वन अधिकार आन्दोलन का ऐतिहासिक परिपेक्ष्य और मौजूदा चुनौतियाँ, 2021
[8] Ibid

और वन संपदा पर अपने अधिकार से वंचित है। इस वजह से सरकार द्वारा वनरोपण परियोजनाएँ जो वन आश्रित समुदायों की जमीन को छीन के किया जाता है जो उनको काफी कमज़ोर बना देती है। इस अध्ययन में हमने इन्हीं पहलुओं को समझने और खोलने की कोशिश की है।

यह सर्वेक्षण पिछले चार दशको से वनाश्रित समुदायों पर गुजर रही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये किया गया है। समुदायों को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर प्रश्नावली तैयार की गई और सामूहिक बैठक (साक्षात्कार विधि) का प्रयोग किया गया। इस अध्ययन के लिये दो राज्यों (छत्तीसगढ़ और ओड़िशा) के कुल दस गाँवों का चयन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ के पाँच गाँव और ओड़िशा के पाँच गाँव को शामिल किया गया। इन गाँवों का चयन किस आधार पर और क्यों किया गया, इसकी विस्तृत जानकारी आगे दी गई है। इस अध्ययन में प्रत्येक गाँव से संख्या में लगभग 15 से 25 महिलाएं व पुरूष शामिल हुये जिनकी आयु 40 वर्ष से 80 वर्श के बीच थी। महिला–पुरूषों का अनुपात गाँव और समय के आाधार पर अलग–अलग रहा।

इन दो राज्यों में, कैम्पा के अलावा, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, हरित भारत मिशन, मनरेगा, और हाल ही में अमा जंगल योजना जैसी योजनाओं को भी पेड़ लगाने के लिए नियोजित किया गया है।[10] छत्तीसगढ़ में वर्ष 2010–2018 के बीच प्रतिपूरक वनरोपण योजना के तहत 28492 हेक्टेयर में रोपण किया गया है,[11] जबकि ओड़िशा में वर्ष 2017–18 के लिए कुल 234415 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है ।[12] वन विभाग आने वाले वर्षों में वनीकरण के क्षेत्रों का भी आकलन कर रहा है। ओड़िशा राज्य के लिए, वर्ष 2021 के लिए 48000 हेक्टेयर से अधिक वनों के कृत्रिम पुनर्जनन (एआर प्लैन्टैशन) और 184000 हेक्टेयर से अधिक सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन (एएनआर प्लैन्टैशन) के लिए मूल्यांकन किया गया है,[13] जो हमें भविष्य में वनरोपण के लिए उपयोग किए जाने वाले भूमि व राशि का अनुमान देता है। जहां वनीकरण योजनाएं इसके क्रियान्वयन के लिए बहुत अधिक पूंजी पर निर्भर हैं, वहीं इन योजनाओं के माध्यम से उगाए गए पेड़ वनाश्रित समुदाय के लोगों को किसी भी प्रकार का लाभ पहुचाने में असफल हैं।

[9]Ibid.
[10]ओड़िशा के विभिन्न जिलों में नियोजित योजनाओ की सूचि यहाँ पायी जा सकती है - https://odishaforestgis.in/ofms-report/schemewise_ar_report_2.php
[11]Details found from Chattisgarh Forest Department website, use the link here- https://www.cgforest.com/posts/campa
[12]Details found from Orissa Forest Department website, use the link here- https://odishaforest.in/en/afforestation/
[13]Details found from Orissa Forest department website, use the link here- https://odishaforestgis.in/ofms-report/schemewise_anr_report_2021.php

छत्तीसगढ़ और ओड़िशा को चुनने का कारण यह है कि भूमि के बड़े क्षेत्रों का उपयोग वृक्षारोपण के लिए किया गया है। इन दोनों राज्यों में एफआरए दावों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन साथ ही वे उच्च अस्वीकृति दर वाले सात राज्यों की सूची में भी हैं। ये दोनों क्षेत्र खनिज संसाधनों में समृद्ध हैं और ओड़िशा में बाल्को और हिंडाल्को, छत्तीसगढ़ में वेदांता जैसी कई कंपनियां जमीन पर कब्जा कर रही हैं। इसके अलावा हमारे अध्ययन क्षेत्र में रामपुर कई गांवों में से एक है जो बरनावापारा अभ्यारण में वन्यजीवों की सुरक्षा की आड़ में उजड़ गए थे। भूमि हथियाने के इस संदर्भ में, यह सर्वविदित है कि इस क्षेत्र में औषधीय पौधों की समृद्ध जैव विविधता है। हमने अपने अध्ययन के माध्यम से लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों और पेड़ों की विविधता को भी दिखाया है। यह अध्ययन यह समझने के हमारे प्रयास की शुरुआत है कि कैसे विकास परियोजनाओं के नाम पर 'भूमि हथियाना', विशेष रूप से वनीकरण योजनाओं के लिए लोगों की वनों पर निर्भरता, एफआरए के तहत उनके दावों और औषधीय जड़ी–बूटियों, पौधों और अन्य पेड़ों की संरचना को प्रभावित करता है।

इस अध्ययन के माध्यम से हमने जंगल में लोगों के जीवन की संपूर्णता को समझने का प्रयास किया है– वे उन्हें कैसे देखते हैं, क्या वे जंगलों के पास रहते हुए किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, राज्यों में किस तरह के पेड़ और औषधीय पौधे पाए जाते हैं, उगाए जाते हैं और इन पेड़ों की अनुपलब्धता का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है? इस अध्ययन को करने का कारण यह देखना था कि क्या पेड़ और पौधे जो लोगों के लिए फायदेमंद रहे हैं (भोजन, दवा, उनकी आजीविका के लिए) क्या वह अभी भी उपलब्ध हैं और वृक्षारोपण के बारे में उनकी क्या धारणा रही है?

वनाधिकार पर सरकारी डेटा

कमांक	राज्य	31.1.2020 तक प्राप्त दावों की संख्या			31.1.2020 तक दिये गये अधिकार पत्रों की संख्या			वन भूमि क्षेत्र हेक्टेयर में जिसके लिये अधिकार पत्र मिले		
		व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल
1.	छत्तीसगढ़	858682	31558	890240	401251	21967	423218	843100.69	2038146.15	2881246.84
2.	ओड़िशा	620785	14106	634891	437184	6577	443761	652443.88	235483.40	887927.29

सूत्र. स्टेटस रिपोर्ट आन इम्प्लेमेंटेसन ऑफ़ द सेड्युल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फारेस्ट द्वेल्लेर्स (रेकोगनिसन आफ़ फारेस्ट राइट्स) एक्ट, 2006; मिन्स्ट्री ऑफ़ ट्राइबल अफेयर्स, 2020

[14]Singh, Ajeet. Implementation of the Forest Right Act, 2006 in Chhatisgarh: A Case Study of Rawas and Banspattar Gram Panhayat, Kanker, RGICS, 2019

परिभाषा

इससे पहले कि हम अपने शोध से निकले परिणामों की चर्चा करें, हमारे लिये यह जानना जरूरी है कि यहाँ पर हमारा वन या जंगल, वन आश्रित समुदाय और उन्मे लागू होने वाली योजनाओं या अधिनियमों से क्या आशय है।

वन का आशय एक प्राकृतिक पर्यावास से है जहाँ कई परिस्थितिकी तंत्र समानता से चलते है। जैसे वनस्पति, कीड़े–मकोड़े, जीव–जन्तु, जानवर, भूमि, उर्वरा इत्यादि। जब इन सभी का संतुलन बना रहता है तभी जंगल या वन का आस्तित्व सम्भव है और इसका संतुलन बनाये रखने में इन्सानों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।

वनाश्रित समुदाय से आशय ऐसे समुदाय से है जिनकी आजीविका और जीवन वन पर आधारित होता है। ये वे लोग होते है जो जंगल के आस पास के गाँव में रहते है और वन सम्पदा का उपयोग करते आ रहे हैं। इनका जीवन पूर्ण या आंशिक रूप से वन पर निर्भर है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 – एक अधिनियम जो औपनिवेशिक काल के साथ–साथ स्वतंत्र भारत में राज्य के वनों के समेकन की प्रक्रिया में वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोगों के पैतृक अधिकारों को मान्यता देता है।

प्रतिपूरक वनीकरण– प्रतिपूरक वनीकरण, वन नुकसान की भरपाई के लिये गैर वन भूमि और वृक्षों से वंचित भूमि पर वन लगाने की प्रक्रिया है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा),कम्पनियों व समान एजेन्सियों द्वारा वनों को काटने के लिये मुआवजें में आने वाली धनराशि की अनदेखी करता है और पूरे देश में वनीकरण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है। इसे प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम (कैफा), 2016 द्वारा और अधिक सशक्त बनाया गया है जो कृत्रिम पुनर्जनन (वृक्षारोपण), सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों की सुरक्षा, वन सम्बंधी बुनियादी ढांचे का विकास, हरित भारत कार्यक्रम, वन्यजीव संरक्षण और अन्य गतिविधियों के लिये प्राप्त धन का प्रबन्धन करता है।

अध्ययन के लिये चुने गए क्षेत्र की जानकारी

इस अध्ययन में इन दोनो राज्यों मे गाँवों का चयन इनकी स्थिती के आधार पर किया गया है। सभी गांव या तो वनाच्छादित क्षेत्रों के अंदर या उनके पास हैं। छत्तीसगढ़ के, कुछ गांव बरनावापारा अभ्यारण के अंदर हैं और कुछ बाहर हैं। अभ्यारण महासमुंद जिले में स्थित है और आरक्षित क्षेत्र के भीतर 25 गांव हैं।[15] अधिकांश लोग कोंड, सौरा और बिंझवार जनजाति और अनुसूचित जाति से हैं।[16] हालाँकि, हमारे अध्ययन क्षेत्र के कुछ अन्य गाँवों में छत्तीसगढ़ में बरिहा जैसी जनजातियाँ भी रहती हैं।

2010 और 2014 के बीच, कई गांवों को बरनावापारा अभयारण्य से स्थानांतरित कर दिया गया था, रामपुर उनमें से एक है। प्रभावित परिवार 2008 से विरोध कर रहे हैं क्योंकि पुनर्वास जबरदस्ती था और उस समय कोई मुआवजे और पुनर्वास पैकेज की घोषणा नहीं की गई थी।[17] यह वन्यजीवों की रक्षा की आड़ में किया गया था लेकिन ऐसा कोई मुआवजा और पुनर्वास प्रदान नहीं किया गया था जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनिवार्य है।[18] इस प्रक्रिया के लिए, राज्य ने आंशिक रूप से कैम्पा फंड का उपयोग किया था और

छत्तीसगढ़ मे वन अधिकार कानून का कार्यान्वयन

अनुसूचित जनजाति और अन्य परांरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के दृश्टिकोण से छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। राज्य के आदिवासी और गैर–आदिवासी सहित एक बड़ी आबादी सीधे वन और वन उत्पादों पर निर्भर है। राज्य की 31 प्रतिशत से अधिक आबादी में विभिन्न आदिवासी शामिल है और वे अपने जीवन और आजीविका के लिये वन पर अत्यधिक निर्भर है। छत्तीसगढ़ सरकार को सबसे अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) के दावे प्राप्त हुये, जो कि 8.58 लाख से अधिक है। जबकि राज्य को सबसे अधिक दावे प्राप्त हुये है, इसने इस कानून के लागू होने के बाद से अब तक के सबसे अधिक दावों को खारिज किया है (RGICS रिपोर्ट, 2019)। 2019 तक छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को छोड़कर दावों को सबसे अधिक अस्वीकृत करने वाले उन 7 राज्यों में से एक था जहाँ दावो को अस्वीकृत करने की संख्या अत्यधिक ऊंची है। लगभग 4,54,379 दावों को खारिज कर दिया है। जबकि राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि इस प्रक्रिया में कई अनियमितताएँ की गई, इनमें से कई अस्वीकृतियाँ सही प्राधिकारी यानी ग्राम सभा द्वारा नही की गई। (CFR-LA report, 2019)

---

[15] Fanari, Eleonora. Chattisgarh Government evicts 25 Tribal villages from Barnawapara Wildlife Sanctuary amidst protests. Land Conflict watch, August 2017

[16] Ibid

[17] Ibid

[18] Ibid

2014 की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार इस फंड के उपयोग में विसंगतियां भी थीं।[19] उड़ीसा में, कुछ गाँव गंधमर्दन पहाड़ियों और जंगलों के पास हैं। यह वही क्षेत्र है जिसने 1980 के दशक में बाल्को कंपनी द्वारा बॉक्साइट खनन के खिलाफ प्रतिरोध देखा था। लोगों द्वारा पांच साल के लंबे संघर्ष के बाद, बाल्को कंपनी को लगभग 213 मिलियन टन बॉक्साइट की खदान के लिए अपनी खनन परियोजनाओं को छोड़ना पड़ा।[20] गंधमर्दन वन भी औषधीय पौधों का एक समृद्ध स्रोत हैं। ओड़िशा में चुने गए गाँव नुआपाड़ा, पैकमल और झारबंध जिलों में फैले हुए हैं। इस क्षेत्र में कोलता, अघरिया, सबर और बरिहा जनजाति जैसी जनजातियाँ रहती हैं।

ओड़िशा में वन अधिकार कानून का कार्यान्वयन

ओड़िशा वन अधिकार कानून को लागू करने में सबसे अग्रिम राज्यों मे से एक होने का दावा करता है। यह राज्य 62 अनुसूचित जनजातियों का घर है जो इसकी आबादी का 22. 8 प्रतिशत से अधिक है। ओड़िशा में अनुसूचित जनजाति और अन्य वनाश्रित समुदाय दोनों ही अपनी आजीविका और आस्तित्व के लिये वन भूमि पर गम्भीर रूप से निर्भर है। यह तथ्य को ओड़िशा के कानूनी जंगलों के निर्माण में नज़रअंदाज़ कर दिया गया। प्रारम्भिक वर्षो में, ओड़िशा सरकार का मुख्य केन्द्र व्यक्तिगत वन अधिकारों को मान्यता देना था। 2019 तक ओड़िशा सरकार ने 1,45,750 दावों को खारिज कर दिया है।

(CfR-LA रिपोर्ट, 2019) राज्य सरकार ने Ama Jungle Yojana (AJY) जो Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA)

द्धारा समर्थित योजना है, को भी लागू किया। AJY राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को बढ़ावा देने और मजबूत करने का प्रयास करती है। इस योजना के कार्यान्वयन का ग्राम सभाओं और आदिवासी संगठनो ने विरोध किया, क्योकिं यह एफआरए, सीएफआर अधिकारों और ग्राम सभाओं के अधिकार के विपरीत है।

(Routray, Sailen, *'Promise and Performance of the Forest Rights Act, 2006'*, 2016)

[19] Ibid

[20] Gandhamardhan revisited, Down to Earth, Published in June 2001

छत्तीसगढ़ के गाँव

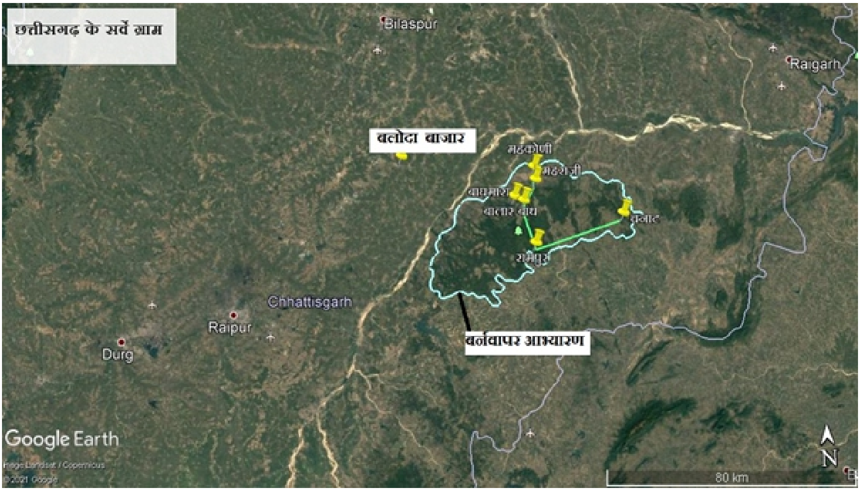

नक्शा 1.1 छत्तीसगढ़ के सर्वे ग्राम

नक्शा 1.1 सर्वेक्षण ग्रग्राम जिला बलोदा बज़ार (छत्तीसगढ़).
(गाँव–महकोनी, महाराजी, चनाट, बाघमाड़ा और रामपुर)

रामपुर यह बारनवापारा अभयारण्य के अंदर उजड़ा हुआ गांव है। जबकि अधिकांश निवासी नए गांव (श्रीरामपुर) में रहते हैं, 11 परिवारों के 40 लोग अभी भी यहां रहते हैं। निवासियों के अनुसार यहां एक प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, एक देवालय आदि हुआ करता था जिसे पुनर्वास प्रक्रिया के बाद ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा, उनके नाम सरकारी रिकॉर्ड में भी नहीं मिलते। जबकि सरकार ने दावा किया कि जिन गांवों को स्थानांतरित किया गया उन गाँवों में बुनियादी सुविधाओं कि पहुंच थी, लेकिन 2018 की तथ्य खोज रिपोर्ट के अनुसार, रामपुर से श्रीरामपुर गांव में स्थानांतरित किए गए लोगों की किसी भी सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुंच नहीं थी और उन्हें दी गई भूमि भी बहुत कम है जिसमे खेती करना भी मुश्किल है। लोग खेती करते हैं या आसपास के जंगलों से उत्पादों का उपयोग करते हैं। लोगों ने इन जंगलों का नाम कुछ इस तरह रखा हैं– कोंदागढ़ डोंगरी (पहाड़ी), काली डोंगरी, खैर छापर, गिधोरी, भेलवां पायन, भुलक चुआ, हांथी बुडा और बाघ डोंगरी।

चित्र 1.1 रामपुर गाँव, छत्तीसगढ़ मे एक देवठान जो हटा दिया गया था।

महकोनी ऐसा गाँव है जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ की महिलाएं समूह बना कर जंगल विभाग के साथ मिलकर पत्तल बनाने का काम करती हैं। जंगल विभाग यहाँ पर भी कुछ चीज़ों के लिये मना करता है। जंगल से पत्थर नहीं ले सकते, लकड़ी नही ले सकते और नया निर्माण करने से पहले इजाज़त लेनी होती है। लोग अपने आस–पास के जंगल में खेती या मजदूरी करते हैं जो

[21] https://cgbasket.in/fact-finding-report-on-barnawapara-by-pucl-chhattisgarh-to-preserve-and-protect-protest-introduction/

उनके नाम पर इस प्रकार हैं – भालूचुआं, टीपाचूंआ, गिधौरी पठार, बड़े पानी, गोल पथरा, कांसी पठार, धोबी महुआ, कांदा ढोडी, फुत्का इत्यादि।

चित्र 1.2 महकोनी गाँव की महिलाओं के साथ बैठक

महराजी यह बरनवापारा के पास एक टोंगिया गांव है जिसे जल्द ही राजस्व गांव घोषित किया जा सकता है। लोगों की आजीविका खेती और श्रम पर निर्भर है। वे अपनी जरूरतों के एक बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए वन उत्पादों पर भी निर्भर हैं। तथापि, वन विभाग उन्हें उनके निस्तार पत्रक के अनुसार वन से उत्पाद प्राप्त नहीं करने देता (नियम और शर्तें जिसके अनुसार निवासी जंगल से लकड़ी, ईंधन आदि प्राप्त कर सकते हैं)।

लोगों से हमें इस गांव के इतिहास की एक झलक भी मिली। इस गांव को 1832 में बसाया गया था जब औपनिवेशिक अधिकारी यहां लोगों को पेड़ काटने और लगाने के लिए लाए थे। उन्हें उनके काम के लिए मजदूरी नहीं दी जाती थी बल्कि उन्हें बसने के लिए 10 एकड़ जमीन दी गयी थी। 1975 से, उन्हें अपने काम के लिए मजदूरी मिलने लगी। महिलाओं को डेर रुपैया और पुरुषों को 2 रुपए मिलते थे।

चनाट अभ्यारण के पास का गाँव है और यह वन विभाग की निगरानी में आता है। लोगों के मुताबिक 15 साल पहले जंगल में प्रवेश व लघु उत्पादों को लेने पर पाबंदी थी लेकिन अब ये प्रतिबंध और भी सख्त हो गए हैं। वे अभी भी वन संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम हैं लेकिन उन्हें जंगल से उत्पादों को बाहर

निकालने के लिए कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है। बांस एक ऐसा उत्पाद है जो इन जंगलों में बड़ी संख्या में उपलब्ध है। यहाँ कुछ लोगों को जमीन का अधिकार मिला है और यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर हो गई है। इस गाँव को भी राजस्व ग्राम की मान्यता मिल गई है परन्तु अभी लागू नही हुई है।

बाघमाडा यह बारनवापारा अभयारण्य के पास एक वन गांव है और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस गांव में ज्यादातर बरिहा आदिवासी रहते हैं और लोगों की आजीविका जंगल और खेती पर निर्भर है। उनके गाँव के आस–पास कई छोटे–छोटे जंगल हैं जिनका नाम लोगों ने रखा है जैसे– चिंतरी डोंगरी, कुरु डोंगरी (चूना पत्थर), बनमनुख (पत्ते लेने के लिए), मकरेली, दुलतुली (जहाँ से वे कांड लेते हैं) आदि।

लोगों के अनुसार 1980 से जंगल से उत्पाद लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लोगों को जंगल में प्रवेश करने से नहीं रोका जाता है, लेकिन अगर वे जंगल से कुछ लेते हैं, तो उन्हें वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता होती है और एक रसीद काट दी जाती है।

लोगों के साथ चर्चा के दौरान, हम यह पता लगाने में सक्षम थे कि वेदांता कंपनी 2016 से खनिज (हीरा) निकालने के लिए एक उद्योग स्थापित करने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार ने, इस क्षेत्र के लोगों से परामर्श किए बिना इस कंपनी को बाघमाड़ा खदानों से लगभग 2.7 टन सोना निकालने के लिए 608 हेक्टेयर भूमि दी थीं। आस पास के गांव 2016 से इसका विरोध कर रहे हैं। इस खदान से क्षेत्र के आसपास के लगभग 12 गांव प्रभावित होंगे, खासकर बाघमाड़ा गांव, जिसके इस प्रक्रिया में पूरी तरह से विस्थापित हो जाने की उम्मीद है। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार, उनसे वादा किया है कि ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने वेदांता कंपनी को खनन शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है।

[22] Mallick. Avdesh. In Chattisgarh Congress govt. looks on as Vedanta begins gold mining on BJP-granted lease; tribals feel cheated. Firstpost, February, 2019.

ओड़िशा के गाँव

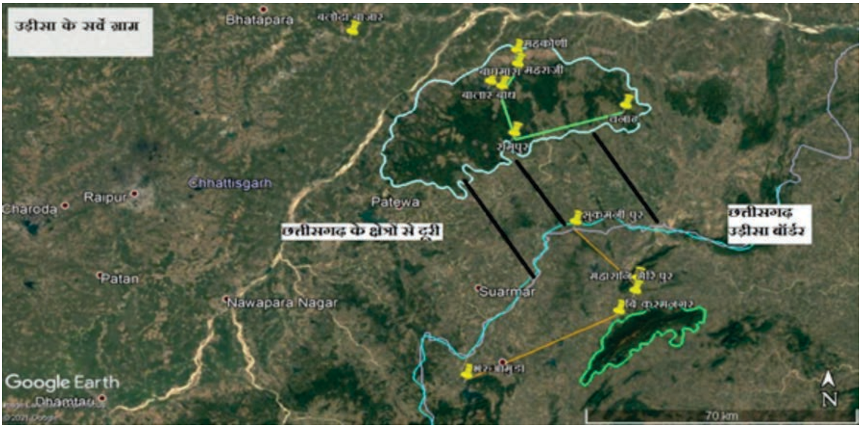

नक्शा 1.2 सर्वेक्षण क्षेत्र का नक्शा (छत्तीसगढ़ और ओड़िशा)

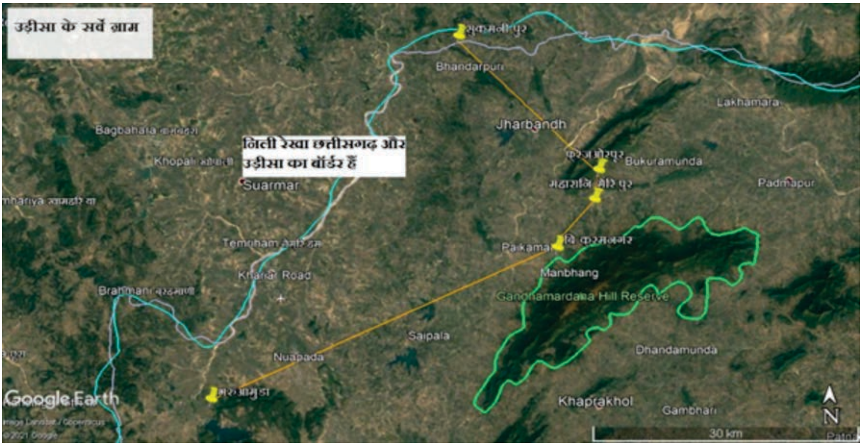

नक्शा 1.3 सर्वे ग्राम (भरूआ मुंडा, बिक्रम नगर, सुखमनी पुर,
फजरपुर आदिवासी कॉलोनी, महारानी मेरी पुर)

ओड़िशा के जिन गाँवों का चयन हमने किया है उसकी चयन प्रक्रिया भी छत्तीसगढ़ के गाँवों के चयन प्रक्रिया के समान ही है।

भरूआ मुंडा यह सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण के अंदर का एक गाँव है जिसे 1997 में एक बाघ अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। उस वर्ष से, जंगल से उत्पाद लेने पर कुछ प्रतिबंध हैं। लोगों की आजीविका खेती, विविध गतिविधियों के लिए श्रम करने और वन उत्पादों के उपयोग पर निर्भर है।

गाँव के बुजुर्गों के अनुसार, गाँव लगभग 300 साल पहले बसा था, जब यहाँ केवल पाँच घर थे जो मुख्य रूप से एक आदिवासी गाँव था, लेकिन आज, वे 2000 व्यक्तियों की आबादी वाले लगभग 300 घर हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जनजातियों और अन्य समूहों के बारे में भी बात की – गोंड, यादव, तेली, केवट, लोहार, भुंजिया, चिकुटिया, कुमार, कुम्हार आदि। हाल ही में लोगों द्वारा अनुभव की गई एक घटना भी हुई है जहां जानवरों की घटती संख्या के जवाब में बाहर से जानवरों को जंगल में लाया जा रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इन जानवरों द्वारा लोगों पर हमला किया जा रहा है। उनका मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इन जानवरों को यहां के जंगलों में समायोजित नहीं किया जाता है और लोग भी इन जानवरों के व्यवहार को नहीं समझ सकते हैं। उनका कहना है कि जब जानवर और इंसान दोनों एक–दूसरे के अनुकूल होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि उन्हें किन जानवरों से दूरी बनाकर रखनी है।

चित्र 1.3 भरुआ मुंडा, उड़ीसा मे साथियों के साथ सामूहिक बैठक

बिक्रम नगर यह गंधवमर्धन पहाड़ियों के पास का एक गाँव है। लोगों का कहना है, यह गांव भी उन कई गांवों में से एक था, जिन्होंने 1980 के दशक में बाल्को कंपनी का विरोध किया था। इस क्षेत्र में वन विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं।
जंगल में कैमरे लगे होते हैं और जंगल से जलाऊ लकड़ी भी लेते पकड़े जाते हैं तो लोगों को परेशान किया जाता है, उनके औजार छीन लिए जाते हैं और कभी–कभी उनके साथ मारपीट भी की जाती है।

सुखमनी पुर यह गांव झरबंध डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता हैं। इसके आस पास वन गाँव हैं और वन विभाग के निगरानी मे आने वाले वन भी हैं पर अभी कोई सीमा नहीं बनाया गया हैं। इस गाँव में आज अघरिया, कोलता, सबर जनजातियाँ रहती हैं। इस क्षेत्र में करीब 65 परिवार रहते हैं। लोगों की आजीविका जंगल और खेती पर निर्भर है। लोगों ने कहा है कि जंगल तक पहुंचने और वन संसाधनों को लेने पर कोई रोक नहीं है। साथ ही इस गांव में 19 परिवारों को एफ.आर.ए के तहत आई.एफ.आर अधिकार मिले हैं।

फ्रेजरपुर आदिवासी कॉलोनी : 1950–51 में फेजरपुर के पास आदिवासी कॉलोनी बसाई गई जिसमें आसपास के इलाकों से 4–4 डिसमिल जमीन देकर 40 परिवारों को बसाया गया। यह गाँव एक आरक्षित वन के पास है और एक छोटा बांध भी हैं। लोग अपने गाँव के पास की गतिविधियों के लिए खेती और श्रम करके अपना जीवन यापन करते हैं। जंगल के अंदर वे अपने जानवरों को चराते हैं और जंगल से उत्पाद भी लेते हैं। लोगों के मुताबिक 27 साल पहले बने बांध की वजह से उन्हें खेती करनी पड़ी थी। इस बांध को बनाने की प्रक्रिया में जंगल का एक बड़ा क्षेत्र काट दिया गया था जहां से उन्हें कंडमूल मिलता था लेकिन अब बांध के कारण कंडमूल उपलब्ध नहीं है या उनकी संख्या काफी कम हो गई है।

चित्र 1.4 फ्रेज़रपुर, उड़ीसा मे एक सामूहिक बैठक

महारानी मेरीपुर यह आरक्षित वन के पास का गाँव है और आस–पास कुछ ग्रामीण वन भी हैं। इन दोनों प्रकार के गांवों में प्रवेश प्रतिबंधित है। उनकी आजीविका का अर्थ है आस–पास के कस्बों और गांवों में और कभी–कभी अपने ही गांव में खेती और श्रम के बीच वैकल्पिक काम करना। 500 लोगों की आबादी वाले इस गाँव में करीब 125 घर हैं। लोगों के अनुसार यह गाँव 300 साल पहले बसा था और इस गांव का नाम ठेलको डूंगरी था।

अध्ययन का तरीका

जब हमने इस अध्ययन के अन्तर्गत सर्वे करने के बारे में सोचा था तब हमने यह तय किया था कि प्रत्येक गाँव से कम से कम 10 लोगों से बात करेंगें जिसमें 5 महिलायें और 5 पुरूष होंगें जिनकी आयु 40 से 80 के बीच होगी। परन्तु जब हमनें प्रश्नावली के साथ क्षेत्र में लोगों से जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया तो यह तरीका कारगर नही हो पाया। हम जहाँ भी जाते, लोग एकत्रित हो जाते जिससे एक–एक व्यक्ति से अकेले बात कर व्यक्तिगत साक्षात्कार सम्भव नहीं हो पाया। तब हमने अपने सर्वे व साक्षात्कार का तरीका बदल दिया। चूंकि हम गाँव में नहीं रूके थे, हमारे रूकने की व्यवस्था क्षेत्रीय संस्था के कार्यालय में थी तो हमारे लिये एक एक घर जाकर व्यक्तिगत साक्षात्कार करना सम्भव नही हो पाया। यदि हम अलग अलग घर जाकर लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिल पातें तो हमारा तय किया हुआ उपरोक्त तरीका कारगर हो पाता जो संभव नही हो पाया। अतः हमने अपना तरीका बदला। हमने सामूहिक बैठक के माध्यम से दस प्रश्नावली के स्थान पर गाँव में एक ही प्रश्नावली भरी जहाँ 40 से 80 वर्ष की महिला व पुरूश साथ में एकत्रित थे। प्रत्येक गाँव में समूह चर्चा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई हैः–

इस प्रक्रिया में हमें महिलाओं और पुरुषों की बहुत ही अच्छी और उपयोगी सहभागिता प्राप्त हुई। गाँव के युवा भी आ–जा रहे थे परन्तु उनकी सहभागिता उपरोक्त दिये गये आयु वर्ग के लोगों से कम ही देखने को मिली। गाँव के लोगों में यह भी देखने को मिला कि जब कोई महिला बोल रही थी तब भी लोग शांति से सुन रहे थे और सब मिलकर एक दूसरे को याद कराने की भी कोशिश कर रहे थे। वन और वनाश्रित समुदाय एक दूसरे के साथ परस्पर सम्बन्ध से ही पोषित हो सकते है। एक–दूसरे के बिना दोनों के अस्तित्व का बने रहना सम्भव नहीं है।

गाँव	**लोगों की संख्या**
चनात	10–12
महकोणी	30–35
महराजी	30–35
रामपुर	6–7
बाघमाडा	9–10
फ्रेजरपुर	35–40
विक्रमनगर	25–30
महारानीमेरीपुर	40–45
सुखमनी पुर	12
भरूआ मुंडा	50

अध्ययन के दौरान प्राप्त हुई जानकारियाँ

1.1 लोगों का अपने आसपास के जंगलों से संबंध

जब हम यह अध्ययन कर रहे थे तब हमारी प्रश्नावली में एक प्रश्न यह भी था कि आपके आस पास का वन कैसा हैं और वन को आप कैसे परिभाषित करते हैं? जिसके जवाब में इन समुदायों ने अपने आस पास के वनों के बारे मे बताया। उन्होंने जंगलों को उन विशिष्ट उपयोगों के साथ परिभाषित किया जो उनके लिए या उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाए जाने वाले किसी उत्पाद या जानवर के लिए हैं। उदाहरण के लिए बाघमाडा, छत्तीसगढ़ में इनका नाम रखा गया – जंगल पाठ, चिंतारी डोंगरी, कुर्रु डोंगरी (चुना), बनमानुख (पत्ते तोड़ने), मकरेली, पिकरिडिही, झाराखोला, नरिडिही (गौचर), चुल्हागोड़ा डोंगरी, रहाटागोडा, बाघ बिल (यहाँ शेर की गुफाएं है), ज्वार बरी (यहाँ से हम लकड़ियाँ लेते है), महुआ पाट, हिरोली खोलकी, चुली बांध, टुलतुली (यहाँ की मट्टी भुरभुरी है और यहा कन्द मिलता है), डाम डोंगरी आदि।

इस तरह के नामकरण से हमें यह समझने में मदद मिली कि कैसे लोगों के पास जंगल के अंदर खुद को संचालित करने के लिए अपनी मानचित्रण की है। जंगल के कुछ हिस्सों को लोगों द्वारा दिए गए नामों से जाना जाता है।

इस बारे में कि लोग सामान्य रूप से वनों को कैसे परिभाषित करते हैं। वह अपनी ही भाषा शैली में वन को कुछ इस तरह से परिभाषित किया जिससें कि वन के प्रति इन समुदायों की सोच और भावना स्पशट होती है। उन परिभाषाओं में से कुछ का हमनें यहाँ जोड़ा हैः–

"जंगल जहाँ पेड़–पौधे, जानवर, वन उपज, जड़ी–बूटी, फल, कन्द, पहाड़, झरना और लोग सब कुछ मिलता है। जंगल में कुछ कमी नही होती।"
"जंगल हमारा जीवन है, हमारें जीवन को चलाने के लिये जो चीजें चाहिये, यहाँ सब होता है। जंगल में हमें आज़ादी से रहने दिया जाये तब देखियेगा जंगल कितना खूबसूरत और अच्छा होता है। जंगल के बिना हम जीवित नही रह सकते।"

"जंगल में मशीनों और नमक के अलावा सब कुछ मिलता है जैसे– भोजन जो हम जंगल से लेते है और खुद भी उगाते है, पेड़–पौधे जिसका उपयोग निस्तारी के लिये करते है,

जानवर जिनमें से कुछ से हम दूरी बनाकर रखते है और कुछ के साथ रहते है, वन उपज जिसे बेचकर हम अपनी आजीविका चलाते है, जड़ी–बूटी इनसे हम अपना इलाज करते है, फल, कन्द, साग, फुटू (मशरूम) को हम खाने में उपयोग में लाते है, पहाड़, झरना और लोग जीवन का संतुलन बनाये रखते है।" जब हम इन परिभाषाओं को पढ़ते है तो हमें यह देखने को मिलता है कि वन समुदाय के लोगों की समझ बहुत ही गहरी हैं। उनकी परिभाषाओं में उनका जंगल के साथ जुड़ाव स्पशट प्रदर्शित होता है। परन्तु जो परिभाषाऐ हम भाब्द कोशों में पढ़ते है वे काफी साधारण है जिसमें एक गहराई नही दिखती हैं।

1.2 लोग किस प्रकार के पेड़ और पौधों का उपयोग करते हैं।

अपने अध्ययन क्षेत्रों से हम उन सभी पेड़ों की सूची बनाने में सक्षम हुए जिनका उपयोग समुदाय दशकों से कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश पेड़ आज उपलब्ध नहीं हैं या बहुत कम संख्या में उपलब्ध हैं। इस सूची के अलावा हमने कुछ पेड़ों की उपलब्धता या अनुपलब्धता और लोगों के लिए इसका क्या अर्थ है, इसकी भी धारणा प्राप्त की है। लोगों ने अपने भोजन की आदतों, उनके कृषि चक्रों पर प्रभाव, समग्र स्वास्थ्य, संस्कृति और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों को साझा किया है (नीचे अनुभाग देखें)। विभिन्न पेड़ों और पौधों के लिए अलग–अलग उपयोग होते हैं जैसे की लोग महुआ के पेड़ से उसका फल, फूल, बीज और लकड़ी का उपयोग करते हैं। हर गाँव के लिए, यह सूची अलग–अलग है, जैसे की भोजन या जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग किए जाने वाले पेड़ों के उत्पादों के लिए, औषधीय जड़ी–बूटियों के लिए जो बीमारियों और बीमारियों को ठीक करती है और बाजार में बिकने वाले वन उत्पाद **(अनुलग्नक देखें)** लोगों द्वारा सूचीबद्ध इन पेड़ों और पौधों की एक विशाल विविधता है। लोगों की टिप्पणियों के माध्यम से उन्होंने अपने क्षेत्रों में उगाए जा रहे लोकप्रिय वृक्षारोपण पेड़ों को भी सूचीबद्ध किया है।

उपलब्धता	**छत्तीसगढ़ (भोजन और जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग किए जाने वाले पेड़)**	**ओड़िशा (भोजन और जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग किए जाने वाले पेड़)**	**छत्तीसगढ़ (औषधीय जड़ी बूटी)**	**ओड़िशा (औषधीय जड़ी बूटी)**
है	महुआ			
मिलते हैं पर संख्या कम हो गई हैं	चार,सरई, केंवटी, बरुली, बंसेरा कांदा, बेचदी, बनादा, बलराज, तेजराज, रक्त बिलार, पताल कोहड़ा, दशमूल, दहिमन	चार, साहज, रेंगाल, आम, हर्रा, कोरला, फरसा, मोरुन, बाढ़ूल, जामुन, सुनारी, गोहेरिया, बाबुल, पिता कांदा, लस्केर कांदा	ब्नादा, बन हल्दी, बंसुटी, बलराज, बिजरा, समरखई, साबर खड़ा भांज	सतावरी, भुतरी लता, रक्त पेंडी, तालमुली, कोल (खाईल खामर), पताल कोहड़ा, तुलसी, पैन बेल, कुरे, सुनसुनिया मुदी
बहुत कम उपलब्द हैं	कोसम, तेंदू हर्रा, बेहरा, आँवला, अमेरा, कुर्रु, पिथाड़ू, कुंदरू, सेमर, पुत्लू		बंसिगोपाल	

तालिका 1.1 छत्तीसगढ़ और उड़ीशा में पाए जाने वाले कुछ पेड़ और औषधीय जड़ी–बूटियाँ। जानकारी को उसकी उपलब्धता के अनुसार बांटा गया है। ये लोगों द्वारा सूचीबद्ध कुछ प्रमुख पेड़ हैं। पूरी सूची अनुलग्नकों में देखी जा सकती है।

छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण के अंतर्गत उगाए जाने वाले वृक्ष	**ओड़िशा में वृक्षारोपण के अंतर्गत उगाए जाने वाले वृक्ष**
शीशम	सागौन, राधा चुडा, चाखुडा, कृष्णा चुडा
सागौन	निलगिरी, विदेशी नीम, अकासिया, खैर, करंज
हल्दू	बांस
आम	शीशु(शीशम)
	बेल

तालिका 1.2 छत्तीसगढ़ और उड़ीशा में वृक्षारोपण के अंतर्गत उगाए जाने वाले वृक्ष। समूह चर्चा से संकलित डेटा।

छत्तीसगढ़ मे बेचे जाने योग्य उत्पाद	**खुले बाजार में जीतने मे बिकता हैं**	**ओड़िशा मे बेचे जाने योग्य उत्पाद**	**खुले बाजार में जीतने मे बिकता हैं**
तेंदूपत्ता	400/सैंकड़ा	महुआ	65/किलो
महुआ	45/किलो	बेहरा	7/किलो
डोरी	25/किलो	हर्रा	10/किलो
तेंदू	15/किलो	चार	150–200/किलो
ईमली	35/किलो	आँवला	25/किलो

तालिका 1.3 छत्तीसगढ़ और उड़ीशा मे लोगों के द्वारा बेचे जाने जंगल के उत्पाद। यह लिस्ट समूह चर्चा से संकलित डेटा हैं पर ये पूर्ण नहीं हैं बल्कि एक झलक देने के लिए ये तालिका का प्रयोग किया हैं। पूर्ण सूची अनुलग्नक मे देखे।

जंगल से कई उत्पाद हैं जिनका वन आश्रित लोग भोजन, जलाऊ लकड़ी, औषधीय प्रयोजनों आदि के रूप में उपभोग करते रहे हैं। लोगों ने देखा है कि वनरोपण योजनाओं के तहत कुछ फलों के पेड़ जैसे आंवला, बेल, चीकू आदि भी उगाए जाते हैं, लेकिन इन उत्पादों के उपयोग के लिए यह भी पहुंच का विषय है। इनमें से अधिकांश वृक्षों का उपयोग स्वयं वन विभाग द्वारा किया जाता है और जब वे केवल वही पेड़ उगाते हैं जिनकी वन विभाग को आवश्यकता होती है, जो पेड़ लोगों के लिए उपयोगी नहीं होते हैं वे शायद ही कभी उगते हैं। लोगों ने अपने स्वयं के अवलोकनों के माध्यम से समझाया है कि अन्य वृक्षों के पौधे कैसे नहीं बढ़ते क्योंकि वृक्षारोपण वृक्षों के बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि अन्य पौधे नहीं उग सकते (देखें खंड 1. 5)।

लोगों के भोजन और आहार में बदलाव आया है क्योंकि ऐसे कई उत्पाद थे जो मौसमी आधार पर जंगल से उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए, मानसून के दौरान लोग साग, करिल और मशरूम खाते हैं, गर्मियों में वे जंगल में पाए जाने वाले तरबुज, खरबुज, महुआ, कंड और साग खाते हैं और सर्दियों में सीताफल, अमरूद, जंगल साग और अन्य प्रकार के फूल और फल खाते हैं। इन उत्पादों का उपयोग मौसमी रूप से बदलता है क्योंकि ये खाद्य पदार्थ आयरन, प्रोटीन, खनिज और विटामिन के अच्छे स्रोत साबित होते हैं। सभी गाँवों में हमने देखा है कि लोगों को सरकारी औषधालयों में दी जाने वाली दवा या पास के शहर के डॉक्टर से दवा पर निर्भर रहना पड़ता है। जंगल तक सीमित पहुंच ने औषधीय पौधों के उपयोग से रोगों को ठीक करने की उनकी क्षमता को भी प्रभावित किया है। उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों से आहार की पूर्ति भी नहीं होती है क्योंकि कई कीटनाशक और अन्य पूरक उगाए गए भोजन की गुणवत्ता को कम करते हैं। लोगों ने समझाया है कि कैसे उनके खेती के साधन बदल गए हैं। पहले वे नीम जैसे प्राकृतिक उत्पादों को कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करते थे लेकिन अब सरकारी दुकानों में मिलने वाले कीटनाशक उनकी फसलों को प्रभावित करते हैं। उनका कहना है कि इन फसलों के सेवन से उनके शरीर पर औषधीय जड़ी–बूटियों का प्रभाव कम हुआ है।

1.3 लोगों की आजीविका पर प्रभाव

लघु वनोपज (एमएफपी) तक पहुंच अध्ययन क्षेत्र के लगभग सभी समुदायों की आजीविका का एक अभिन्न अंग है। उनकी आजीविका का साधन इस बात पर निर्भर है कि उनके क्षेत्र में क्या उपलब्ध है। खेती आजीविका के बुनियादी साधनों में से एक है, लेकिन खेती की गतिविधियों के बीच वे अन्य प्रकार के कामों की तलाश में रहते हैं जैसे आस–पास के कस्बों और गांवों में निर्माण गतिविधियों के लिए श्रम करना या जंगल के अंदर काम ढूंढना। महकोनी के मामले में छत्तीसगढ़ के गांव की महिलाएं वन विभाग के साथ मिलकर पत्तों से पत्तल बनाकर काम करती हैं। हालाँकि, सभी गाँवों में हमने देखा कि लोगों ने अपनी कुछ अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए वन संसाधनों का उपयोग किया जैसे कि लकड़ी या शाखाएँ अपने घरों की छत बनाने के लिए, आग के लिए लकड़ी आदि। कुछ परिवार अपनी पूरी आजीविका के लिए एमएफपी पर पूर्ण रूप से निर्भर है। हमारे अधिकांश गाँवों से हमने समझा कि कैसे लोगों की आजीविका का साधन एक चक्र के माध्यम से पूरा होता है जैसे सुखमनी पुर में, लोगों ने बताया कि कैसे खेती की गतिविधियों को करने के बाद, वे महुआ, और चार उगाते हैं और इसके पश्चात वे तेंदूपत्ता के पत्ते काटते हैं। इस दौरान सरकारी नौकरियां खुलती हैं और जब ऐसा होता है तो लोग रोजगार की तलाश करते हैं। हालाँकि, यह चक्र अब टूटता जा रहा है। वनों से उतपादन लेने पर रोक की वजह से भी खेती के अलावा दूसरे मौसम में लोगों के पास काम नही होता हैं। इसके वजह से अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिये लोगो को पलायन करना पड़ रहा है। सुखमनीपुर के लोगों का कहना है कि एफआरए के तहत जमीन का मालिकाना हक मिलने से उनके गांव में पलायन कम हुआ है।

1.4 सांस्कृतिक प्रभाव

अध्ययन क्षेत्रों में आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरागत जंगल, उनके गांव और जिस घर में वे रहते थे, वहां से निकली है। इन देवताओं के नाम हैं– जांगला पथ, मात पोस, धर्म देवता, गांव के ठाकुर देव, घर के बुढ्ढ देव और दूल्हा देव। इसके अलावा भूतनाश और पीपल जैसे कई पेड़ों से आध्यात्मिक मूल्य जुड़े हुए है। अध्ययन क्षेत्रों में दोनों वृक्षों की संख्या में कमी आई है।

छत्तीसगढ़ के रामपुर के मामले में भी हमने देखा कि देवस्थान जहां लोग प्रार्थना करते थे, पूरे गांव को उजाड़ने की प्रक्रिया में ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि, लोग अभी भी श्रद्धांजलि देने आते हैं, लेकिन इन अध्यात्मिक स्थानों के साथ उनका जुड़ाव प्रभावित हुआ है।

ऐसे कई काम हैं जो आदिवासियों द्वारा बसाए गए वनाच्छादित क्षेत्रों की पवित्र अवधारणा के बारे में बात करते हैं। मध्य भारत के उरांव पर वर्जिनियस खाखा के काम ने यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे उनकी धार्मिक परंपराएं पर्यावरण से निकटता से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे पर्यावरणीय विशेषताओं का उनकी सृजन कहानियों के साथ–साथ उनके दैनिक जीवन में भी महत्व है।[23]

इस अध्ययन में, यह पता लगाने की कोशिश नहीं की क्या वृक्षारोपण ने सांस्कृतिक मूल्यों को पुनः से परिभाषित किया है या उन्हें किसी विशेष तरीके से बदल दिया है। इसके बजाय, हमने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि इस विशिष्ट क्षेत्र में समुदाय जंगल से जुड़े अपने सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को स्वीकार करते हैं।

1.5 वनीकरण के पारिस्थितिक पर प्रभाव

हमारी चर्चा के माध्यम से हमें इस बात का अंदाजा हो गया था कि हमारे अध्ययन क्षेत्रों में वृक्षारोपण कैसे किया जा रहा है। लोगों की अपनी टिप्पणियों के माध्यम से वृक्षारोपण पर अपनी समझ साझा की और यह कैसे जंगल के अंदर की गतिशीलता को बदल रहा है। वृक्षारोपण पर लोगों के कुछ अवलोकन निम्नलिखित हैं।

– दस्तावेजों में जो वनरोपण के बारें में बताया गया है कि खाली जमीन के सदुपयोग और हरियाली बढ़ाने के लिये वन लगाये जाते है जो वनरोपण कहलाता है परन्तु ऐसे प्राकृतिक जंगल जिनमें ईमारती लकड़ियों की अधिकता है, वहाँ से पेड़ो की कटाई कर लकड़ियाँ निकालने के बाद उसी प्राकृतिक जंगल में दूसरें पेड़ लगा दिये जाते है। नए पौधो के बढ़ने के लिये अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिये आस–पास के अन्य पेड़–पौधो को साफ कर दिया जाता है। जब तक पेड़ बड़ा न हो जाये ये प्रक्रिया दोहराई जाती है जिसकी वजह से प्राकृतिक जंगल की जैव विविधता धीरे–धीरे समाप्त हो जाती है।

[23] XAXA, VIRGINIUS. “Oraons: Religion, Customs and Environment.” India International Centre Quarterly 19, no. 1/2 (1992): 101–10. http://www.jstor.org/stable/23002223.

– ये जंगल और जानवरों के साथ संतुलन खराब कर देती हैं।
– वनरोपण मुख्य रूप से वन विभाग द्वारा राजस्व जमा करने के लिए हैं।
– वनरोपण में बहुत बड़ी जगह पर एक ही तरह के पेड़ लगाये जा रहें है। ओड़िशा और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर सागौन, नीलगिरी, शीशम इत्यादि के पेड़ देखने को मिल रहे हैं।
– जिस जमीन में एक ही तरह के पेड़ होते है, वहाँ दूसरे पेड़–पौधों को पनपने नहीं दिया जाता ताकि लगाये गये पेड़ों को जगह मिल सकें। इस प्रक्रिया की वजह से वनस्पतियों का प्राकृतिक पर्यावास खत्म हो जाता है। पेड़ों के बड़े होने के बाद इनके नीचे कोई दूसरी वनस्पति पनप नहीं पाती। वनरोपण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की वजह से दूसरी वनस्पतियां, जड़ी–बूटी और कंदमूल खत्म हो जाते हैं।
– आजकल वन विभाग द्वारा लोगों को सेब, चीकू, मौसमी, संतरा, आलू बुखारा और लीची के पौधे लगाने और उनका पालन–पोषण करने के लिये दिये जा रहे है। इस प्रक्रिया में भी एक सवाल यह उठता है कि जिन क्षेत्रों का मौसम और मिट्टी इन पौधों के अनुकूल नही है, वहाँ इन पौधो को लगाने के लिए देना कितना लाभप्रद है या फिर यह प्रक्रिया सिर्फ कागजी कार्यवाही के लिये की जा रही है।

– चूकिं वनरोपण के दौरान पेड़ों को एक लाईन में सीधा लगाया जाता है और पेड़ों के बीच में काफी दूरी होती है जिसके लिये आस–पास की घास, वनस्पति इत्यादि को साफ किया जाता है ताकि पेड़ सीधे बढ़ सकें। इस वजह से जंगल में जानवरों को छुपने की जगह नहीं मिल पाती, जिससे जानवर आसानी से शिकार बन जाते है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन को करते समय बहुत से बिन्दु हमारे सामने आये कि किस तरह वनाश्रित और वनवासी समुदायों के आर्थिक चक्र और आज़ादी खत्म होती जा रही है। आर्थिक स्वावलंबन के खत्म होने की वजह उनको मजबूरी में पलायन करना पड़ता है और पलायन की वजह से उनकी संस्कृति और सभ्यता पूरी तरह से बिखर जाती है। जैसा कि भारत के लिये कहा जाता है कि यह विभिन्न सांस्कृतिक विविधताओं से मिलकर बना देश है। परन्तु धीरे–धीरे यह सांस्कृतिक विविधताएँ खत्म होती जा रही है। खत्म होने की वजह समुदायों का विस्थापन (विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के तहत) एक मुख्य कारण है। आज की परिस्थिति में उनके भोजन लेने के तरीके और भोज्य पदार्थो में काफी परिवर्तन आया है जो इनके पोषण और स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि उनकी जंगली जड़ीबूटी और उत्पादों जिनका उपयोग वह दैनिक जीवन में करते आ रहे थे, तक पहुँच कम हो गई है।

वनरोपण परियोजनाओं और वनों की कटाई को रोकने और जंगल विभाग के द्वारा खाली और बंजर पड़ी जमीनो को उपयोगी बनाने के लिये लाया गया था। लेकिन जो ये योजनायें है, पहले से उपस्थित जंगलों में जो लोगों की पहुँच में था, वो कम्पनियों और वन विभाग की गिरफ्त में चला गया। समुदाय के लोग जिन जंगलों की रक्षा और रख–रखाव करते थे। आज उसे वो इन योजनाओं की वजह से खोजे जा रहे हैं।

इस अध्ययन के द्वारा हमने देखा है कि समुदाय के लिये उपयोगी हो पाने वाला पौधे वनरोपण की वजह से नष्ट हो जाते है और साथ ही वन विभाग की वजह से उनके सामुदायिक अधिकारों का भी हनन हो जाता है। ओड़िशा और छत्तीसगढ़ के जिन क्षेत्रों में हम अपने अध्ययन के लिये गये थे, उनमें से एक गाँव जहाँ के वन अधिकारी का सहयोग गाँव वालों को मिलता है थोड़ी बेहतर स्थिति मे है, बाकि सभी गाँवों में इनका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इससे हम यह भी कह सकते है कि यदि समुदाय को जंगल से दूर कर दिया जाये तो उनके जीवन का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और पोषण का संतुलन धीरे–धीरे बदलता जा रहा है और पूरी तरह बदल जायेगा। सरकार के द्वारा लोगों को जंगल से हटाने की प्रकिया की वजह से जंगल, जंगली जानवर और वहाँ रहने वाले समुदायों के हक की लड़ाई और अधिक विवादित रूप ले लेगी।

जिस तरह हमने हमारें अध्ययन में सरकारी आंकड़ों के द्वारा यह देखने की कोशिश की है कि सरकार भी लोगों को सामुदायिक एवं व्यक्तिगत अधिकार प्रदान कर रही है। यदि सरकार द्वारा की जा रही प्रक्रिया को निरपेक्ष रूप से समुदाय को न सिर्फ घोशणाओं में, परन्तु वास्तविकता में भी प्रदान करें तो वनाश्रित समुदायों का वन के साथ आपसी संतुलन बना रहेगा। जिस प्रकार ये अभी तक पारस्परिक निर्भरता के साथ पनपते आ रहे है, और भी मजबूत होते जायेंगें। वन अधिकार कानून इन समुदायों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार प्रदान करता है जबकि वनारोपण से सम्बन्धित योजनायें वन अधिकार कानून के द्वारा दिये गये ग्राम सभा के अधिकारों को बहुत ही कमजोर करता है। अभी समुदाय के लोग अपने अधिकारों को जानते हुये इन कानूनो को समझने की सतत प्रक्रिया में हैं और अपनी लड़ाई जारी रखे हुये हैं। हम आशा करते है कि भविश्य में वे अपने अधिकारों को पाकर ही दम लेंगें।

संदर्भ

- अशोक चौधरी, रोमा मलिक, दिव्या कपूर– भूमि अधिकार और वन अधिकार आन्दोलन का ऐतिहासिक परिपेक्ष्य और मौजूदा चुनौतियाँ, 2021

- Summary of Findings- Rejection Study of IFR claims under FRA (Report), CfR-LA,2019 (unpublished)

- Singh, Ajeet. Implementation of the Forest Right Act, 2006 in Chhatisgarh: A Case Study of Rawas and Banspattar Gram Panchayat, Kanker, RGICS, 2019

- Routray, Sailen, 'Promise and Performance of the Forest Rights Act,2006', 2016

- Saxena KB. Compensatory Afforestation Fund Act and Rules: Deforestation, Tribal Displacement and an Alibi for Legalised Land Grabbing. *Social Change*. 2019;49(1):23-40

- XAXA, VIRGINIUS. “Oraons: Religion, Customs and Environment.” *India International Centre Quarterly* 19, no. 1/2 (1992): 101–10. http://www.jstor.org/stable/23002223.

- Vohra, Supriya. Why afforestation isn't likely to make up for our loss of carbon-rich forests. The Wire, August 2021

- Choudhury, Chitrangada, An Indian government afforestation programme is brazenly usurping Adivasi land. India spend, June 2019

- Fanari, Eleonora. Chattisgarh Government evicts 25 Tribal villages from Barnawapara Wildlife Sanctuary amidst protests. Land Conflict watch, August 2017

- Gandhamardhan revisited, Down to Earth, Published in June 2001

- Mallick. Avdesh. In Chattisgarh Congress govt. looks on as Vedanta begins gold mining on BJP-granted lease; tribals feel cheated. Firstpost, February, 2019.

आनुलग्नक : 10 गाँव के प्रश्नावली

प्रश्नावली

गाँव का नाम :– रामपुर, छत्तीसगढ़
नाम और उम्र :– गणेश्वर (कौंध 70), गुरबारु (60), श्याम (55), उजर (85), राजकुमार (35), सुलोचना (71), पवित्रा (45), सोरो बाई (40)
लिंग :– 4 पुरुष 4 महिला
व्यवसाय :– कृषि, मजदूरी

1. **आपका जीवन किस जंगल पर आधारित है?**
   कोंदागढ़ डोंगरी (पहाड़ी), काली डोंगरी, खैर छापर, गिधोरी, भेलवां पायन, भुलक चुआ, हांथी बुडा, बाघ डोंगरी।
2. **यह जंगल किस तरह का है? क्या यहाँ जाने में कोई रोक है यदि हाँ तो कब से?**
   हमारा गाँव बार नयापारा अभ्यारण के अन्दर आता है। लगभग 15 सालों से जंगल विभाग के द्वारा रोका जा रहा है।
3. **क्या आप पारंपरिक रूप से जंगल जमीन का उपयोग करते आ रहे हैं?**
   जी हाँ हम पीढ़ियों से इस जंगल जमीन का उपयोग करते आ रहे हैं।
4. **आपके अनुसार जंगल क्या है? (परिभाषा/समझ)**
   जंगल हमारे लिए सब कुछ है यहाँ हमारा सम्पूर्ण निस्तारी होता है। यहाँ बहुत कुछ मिलता है पेड़–पौधे, फल–फुल, जानवर, जीवजन्तु, पहाड़, नदी, झरना और भी बहुत कुछ।
5. **क्या आज आप जंगल के उत्पादों (वनोपज) का स्वेक्षा से आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं?**
   नहीं नहीं ले सकते है जंगल विभाग का रोक है। वैसे भी हमारा गाँव विस्थापित गाँव है।
6. **जंगल के उत्पादों (वनोपज) तक आपकी पहुँच कम होने का क्या कारण है?**
   अभ्यारण के अन्दर आता है। सरकार के दस्तावेज में हम विस्थापित हो चुके है।
7. **जंगल में ऐसे कौन से उत्पाद है जिनका आप उपयोग करते आये है? इन उत्पादों का क्या उपयोग है?**

जंगल में पहले पाये जाने वाले वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	जंगल में आज पाये जाने वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	इन उत्पादों की की उपयोगिता है।
पेड़ः– सरई	पहले से कम हैं	लकड़ी
बीजा	पहले से कम हैं	लकड़ी
साल	पहले से कम हैं	लकड़ी
कलमी	पहले से कम हैं	लकड़ी
महुआ	बहुत ज्यादा है	लकड़ी, फुल, फल, बिज
साजा	पहले से कम हैं	लकड़ी
कर्रा	पहले से कम हैं	लकड़ी
धौंरा	पहले से कम हैं	लकड़ी
बीजा	पहले से कम हैं	लकड़ी
तेंदू	पहले से कम हैं	लकड़ी, फल, पत्ता
बांस	प्लांटेशन से	बांस, करील, फल
सेन्हा	पहले से कम हैं	लकड़ी
धामेन	पहले से कम हैं	लकड़ी
खैर	पहले से कम हैं	लकड़ी
कन्दः– बनसेरा कांदा	पहले से कम हैं	खाते हैं
कुंदरू कांदा	पहले से कम हैं	खाते हैं
खेक्सी कांदा	पहले से कम हैं	पहले से कम हैं
सिहाल कांदा	खत्म होने लगा है।	पत्तल बनाने में
बंसुटी	पहले से कम हैं	पहले से कम हैं
बलराज	पहले से कम हैं	दवाई
पायनरी	पहले से कम हैं	पहले से कम हैं
चार	पहले से कम हैं	लकड़ी, फल
बुथुलू कांदा	पहले से कम हैं	पहले से कम हैं
करू कांदा	पहले से कम हैं	पहले से कम हैं
हर्रा	खत्म होने लगा है।	फल, लकड़ी
बहेरा	खत्म होने लगा है।	फल, लकड़ी
आंवला	खत्म होने लगा है।	फल, लकड़ी
सागः– कुलेर	पहले से कम हैं	साग खाते हैं
धांउ भाजी	पहले से कम हैं	साग खाते हैं
गिर्हेल फूल	पहले से कम हैं	साग खाते हैं
बोहर भाजी	पहले से कम हैं	साग खाते हैं
पीपल भाजी	पहले से कम हैं	साग खाते हैं
नीम	पहले से कम हैं	फुल, पत्ती, फल, लकड़ी
सुरिया कांदा	खत्म हो गया है।	पहले से कम हैं
सागौन	प्लांटेशन से	लकड़ी

8. क्या आपके क्षेत्र में वनरोपण का काम चल रहा है? यदि हाँ तो इस प्रश्न को भरें। अभी नहीं चल रहा है। लगभग 15–20 साल पहले हुआ है।

कितने क्षेत्र में वनरोपण किया गया है?	वनरोपण में कौन से पौधे–पेड़ लगाये गए हैं?	इन पेड़–पौधों की क्या उपयोगिता है?
याद नहीं	सागौन	व्यवसाय जंगल विभाग का
याद नहीं	बांस	व्यवसाय जंगल विभाग का

9. इस जंगल में क्या ऐसे कोई पेड़–पौधे (वनस्पति) पाये जाते थे जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता रहा है यदि हाँ तो क्या आज भी यह पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)	आज पाये जाने वाले वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)	किस उपचार में उपयोग किया जाता है?
भुई नीम	**मिलता है**	बुखार, खून साफ
बन हल्दी	अभी ये कम मिलते हैं	खांसी
बंसुटी	अभी ये कम मिलते हैं	
बलराज	अभी ये कम मिलते हैं	ताकत के लिए, खून बढ़ता है
पायनरी	अभी ये कम मिलते हैं	
हर्रा	अभी ये कम मिलते हैं	सर्दी, खांसी
बहेरा	अभी ये कम मिलते हैं	सर्दी, खांसी
आंवला	अभी ये कम मिलते हैं	सर्दी, खांसी
समरखई	अभी ये कम मिलते हैं	सुजन कम करता है
साबर खड़ा भांज	अभी ये कम मिलते हैं	सुजन कम करता है
बिजरा	अभी ये कम मिलते हैं	खून बढ़ता है
परसा	अभी ये कम मिलते हैं	खून बढ़ता है

10. समुदाय में पहले किस तरह की बीमारियाँ थी और आज किस तरह की बीमारियाँ है?

मलेरिया, हैजा और ज्यादा बीमार तो नहीं पड़ते हैं हम लोग।

11. इन बिमारियों के उपचार के लिए आप किसके पास सबसे पहले जाते थे और आज इलाज के लिए कहाँ जाते है?

पहले वैद्ध के पास जाकर जडीबुटी खा कर ठीक हो जाते थे। वैद्ध तो नस छूकर ही दावा दे देता था। आज कल तो डॉ. के पास जाते हैं।

12. जंगल के किन उत्पादों का उपयोग आप अपनी आजीविका को मजबूत करने के लिए करते थे क्या आज भी इनका उपयोग कर पा रहे है?

जंगल के उत्पाद	पहले पाये जाते थे	आज पाये जाते हैं	उत्पाद की उपयोगिता
महुआ	पाए जाते थे	पहले के अपेक्षा से कम	**फल, फुल, बिज सब बेचते हैं**
डोरी	पाए जाते थे	पहले के अपेक्षा से कम	तेल निकलता है
तेंदू	पाए जाते थे	पहले के अपेक्षा से कम	खाते हैं
डूमर	पाए जाते थे	पहले के अपेक्षा से कम	खाते है
भेलवा	पाए जाते थे	पहले के अपेक्षा से कम	सूजन के लिए
मुकईया	पाए जाते थे	पहले के अपेक्षा से कम	विटामिन सी का सोर्स हैं
गुड्सुखडी	पाए जाते थे	पहले के अपेक्षा से कम	डाइअबीटीज के उपयोग मे
अमोरी	पाए जाते थे	पहले के अपेक्षा से कम	

13. जंगल के किन उत्पादों को बेच कर आप अपना जीवन चलाते हैं? कहाँ बेचते हैं?

बेचे जाने योग्य उत्पाद	पहले उपयोग करते थे	आज उपयोग कर सकते हैं	कितने में बिकता है? खुले बाजार मैं	कितने में बिकता है?
महुआ	हाँ करते थे	अभी भी करते हैं	40/kg	35/kg
डोरी	हाँ करते थे	अभी भी करते हैं	20/kg	
तेंदू	हाँ करते थे	अब इसकी मात्र कम हैं		

14. जंगल में आपको किस तरह के खतरे हैं और आप इसका सामना कैसे करते है?

जंगली जानवरों में भालू से बस डर लगता है। जंगल विभाग भी हमारे लिए खतरा है।

15. जंगल को आपसे किस तरह के खतरे और फायदे हैं?

खतरे	फायदे
इनके अनुसार कोई खतरा नहीं है इनसे	आग लगने पर बुझाते है
	जानवरों के लिए पानी रखते हैं

16. इस जंगल मैं किस तरह के जानवर पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले वन्यजीव	आज भी पाये जाने वाले वन्यजीव	नहीं पाये जाने के कारण
भालू	अभी भी पाये जाते हैं पर पहले से संख्या काम हो गई है।	जंगल में इन्हें खाने को काम मिलने लगा है।
मोर	कम हो गए हैं।	शिकार, जंगलों में पहले जैसा खाने का नहीं है।
सांबर	कम हो गए हैं।	––„––
बायसन(जंगली भैंस)	कम हो गए हैं।	––„––
चितर	कम हो गए हैं।	––„––
खरगोश	कम हो गए हैं।	––„––
सोन कुत्ता	कम हो गए हैं।	––„––
तेंदुआ	कम हो गए हैं।	––„––
चिता	कम हो गए हैं	––„––
जंगली सूअर	कम हो गए हैं।	––„––
कोटरी	कम हो गए हैं।	––„––
सियार	कम हो गए हैं।	––„––
लकडबग्घा	कम हो गए हैं।	––„––
गहबर	कम हो गए हैं।	––„––
अजगर	कम हो गए हैं।	––„––
संपो की कई प्रजाति है	कम हो गए हैं।	––„––
चिता	कम हो गए है	––„––
शेर	नहीं पाये जाते	शिकार

17. वन सम्पदा को बचाने के लिए आपका क्या योगदान रहा है?

जंगल की सुरक्षा करते हैं। लकड़ी चोरों और आग से। आग से हमारा नुकसान भी बहुत होता है।

18. जंगल में जाने की पाबन्दी से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है और जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

जंगल से हम हमारी निस्तारी के लिए कोई भी सामान नहीं ला सकते है। सभी चीजें खरीदनी पड़ती है। जंगल विभाग जलाऊ लकड़ियाँ खत्म करते जा रहे हैं।

19. आपके इष्ट देवी–देवता कौन है जिनकी आप पूजा करते है?

मंडल पाठ, ठाकुर देव, रत खई सम्भलई, खलिहा, धरम देवता, बुढा देव, बूढी माँ (घर के), मांझी देवता(जंगल के अंदर), बूढी–बुढा देव(जंगली जानवरों से सुरक्षा)

20. आपका खान–पान पहले जैसा है या इसमें कुछ बदलाव आया है? (मौसम और समय के आधार पर)

बहुत बदल गया है। महुआ, कन्द और बहुत से अनाज लगाते थे अपने खेतों में आज तो बस सरकार का ही खाते हैं। अनाज मंडी में बेचते हैं।

21. आप पहले ज्यादा आत्मनिर्भर थे या आज?

पहले ज्यादा आत्मनिर्भर थे आज तो सरकारी चांवल के भरोसे ही जिन्दा हैं।

22. आपका वार्षिक चक्र जंगल के उत्पादों (वनोपज) के साथ क्या होता था और आज यह चक्र कैसा है?

6 माह खेती किसानी करते हैं और 6 माह महुआ और जंगल के उत्पाद उठाते हैं।

23. गाँव का संक्षिप्त इतिहास :–

अंग्रेजों के जमाने में जंगल काटने के लिए हमें अंह अल्ब गाँव से लाकर बसाया गया था। हम जंगल नहीं काटना छते थे तो हमें मर कर जंगल कटाया जाता था। आज हमारे गाँव को विस्थपित कर दिया गया है और ऐसे जगह मैं भेजा गया है जहाँ जंगल नहीं है आसपास की जमीन पथरीली है। कोई भी व्यवस्था नहीं है माकन भी मजबूत नहीं है। पर कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से हमरे लोगों को विस्थपित किया गया। आज वहां बहुत काम लोग रहते हैं सब ने दुसरे लोगों को किराये पर दे दिया है। गाँव के लोग बिखर गये हैं कोई अपने परिवार के लोगों के पास जा कर रहता है तो कोई शहरों मैं काम करने को जाते है। अभी हम सिर्फ 10 परिवार में 40 लोग यहाँ पर है। हमारा नाम सरकार के विस्थापन लिस्ट में भी नहीं था। क्यूंकि कुछ लोगों के लड़के बच्चे नहीं हैं और कुछ के बच्चे 18 वर्ष के नहीं हुये थे। पर आज भी महुआ के समय में गाँव के लोग वापस आते हैं हमरे ही आंगनों में रहते है फिर कमा कर वापस चले जाते हैं। हमरे लोग पूरी तरह अपनी जड़ों से उखड गये हैं। यहाँ तो कोई सरकारी योजना भी नहीं मिलती है हमें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है।

प्रश्नावली

गाँव का नाम :— बाघमाडा, छत्तीसगढ़

उम्र :— 9—10 लोग समूह चर्चा में (40 से 70 वर्ष)

जाति :— बरिहा (आदिवासी), आदि

व्यवसाय :— खेती और जंगल में मजदूरी

1. **क्या आपका जीवन पारम्परिक रूप से जंगल जमीन पर आधारित है?**
   हाँ
2. **आपका जीवन किस जंगल पर आधारित है?**
   जंगल पाठ, चिंतारी डोंगरी, कुर्रु डोंगरी (चुना), बनमानुख (पत्ते तोड़ने), मकरेली, पिकरिडिही, झाराखोला, नरिडिही (गौचर), चुल्हागोड़ा डोंगरी, रहाटागोडा, बाघ बिल (यहाँ शेर की गुफाएं है), ज्वार बरी (यहाँ से हम लकड़ियाँ लेते है), महुआ पाट, हिरोली खोलकी, चुली बांध, टुलतुली (यहाँ की मट्टी भुरभुरी है कन्द मिलता है), डाम डोंगरी
3. **यह जंगल किस तरह का है? क्या यहाँ जाने में कोई रोक है यदि हाँ तो कब से?**
   बार नयापारा सेंचुरी के करीब वनग्राम है? आने—जाने में रोक तो नहीं है पर इस जंगल से कुछ लेते समय थ्क्के लोगों से पूछ कर रसीद कटवा कर ही ले सकते है पहेले कुछ कम था लगभग सन 80 से जंगल से चीजें लाने की मनाही हो गई है
4. **आपके अनुसार जंगल क्या है? (परिभाषा/समझ)**
   हमरे लिए जहाँ पर पेड़—पौधे, जानवर, जीवजंतु, जडीबुटी, झरना, पहाड़, नाला सभी होते हैं? जो हमारे जीवन को चलाने के लिए जरुरी होते हैं?
5. **क्या आज आप जंगल के उत्पादों (वनोपज) का स्वेक्षा से आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं?**
   नहीं—नहीं कर सकते हैं? जंगन विभाग की निगरानी होती है। यदि कुछ लेना है तो रसीद कटा कर लिया जा सकता है?
6. **जंगल के उत्पादों (वनोपज) तक आपकी पहुँच कम होने का क्या कारण है?**
   जंगल विभाग की तरफ से रोक? पहले की तरह चीजें मिलती भी नहीं हैं?

7. **जंगल में ऐसे कौन से उत्पाद है जिनका आप उपयोग करते आये है? इन उत्पादों का क्या उपयोग है?**

क्रमांक	जंगल में पहले पाये जाने वाले वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	जंगल में आज पाये जाने वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	इन उत्पादों की की उपयोगिता है।
1	महुआ	कम पाया जाता	फल, फुल, बिज,लकड़ी
2	चार	कम पाया जाता	फल, बिज, लकड़ी
3	तेंदू	कम पाया जाता	फल, बिज, पत्ता, लकड़ी
4	कोसम	बहुत ही काम हो गया है।	फल, बिज
5	हर्रा	बहुत ही काम हो गया है।	फल (दवाई,सर्दी–खांसी), लकड़ी
6	बेहरा	बहुत ही काम हो गया है।	फल (दवाई,सर्दी–खांसी), लकड़ी
7	आँवला	बहुत ही काम हो गया है।	फल (दवाई,सर्दी–खांसी), लकड़ी
8	अमेरा	बहुत ही काम हो गया है।	लकड़ी
9	कुर्रु	बहुत ही काम हो गया है।	फल,लकड़ी
10	सरई	कम पाया जाता	फल,लकड़ी
11	केंवटी	कम पाया जाता	बिज
12	बरुली	कम पाया जाता	फल
13	सरई पुटू (पटरस)	कम पाया जाता	मशरूम
14	बंसेरा कांदा	कम पाया जाता	कन्द (खाने योग्य)
15	पिथाडू	बहुत ही काम हो गया है।	कन्द (खाने योग्य)
16	गेंट (गांठ)	बहुत ही काम हो गया है।	कन्द (खाने योग्य)
17	कुंदरू	बहुत ही काम हो गया है।	कन्द (खाने योग्य)
18	सेमर	बहुत ही काम हो गया है।	कन्द (खाने योग्य)
19	पुत्लू	बहुत ही काम हो गया है।	कन्द (खाने योग्य)
20	बांस	कम पाया जाता	कन्द, करील, बांस, बिज
21	बेचदी	कम पाया जाता	कन्द (दवाई, खांसी, बुखार)
22	बनादा	कम पाया जाता	कन्द (दवाई, खांसी, बुखार)
23	दूध मोंगरा	कम पाया जाता	दूध काम आने पर दावा
24	सिहाल जड़ी	कम पाया जाता	खून की कमी दूर करता है
25	बलराज	कम पाया जाता	ताकत, खून की कमी
26	तेजराज	कम पाया जाता	ताकत, खून की कमी
27	रक्त बिलार	कम पाया जाता	सफेद और लाल प्रदर (डिस्चार्ज)
28	पताल कोहड़ा	कम पाया जाता	जोड़ों के दर्द में
29	बनराकर (बरम राकेस)	कम पाया जाता	जोड़ों के दर्द में
30	गिरहुल जड़ी	कम पाया जाता	महिलाओं में खून रोकने (अतिमसिकस्राव)
31	काया	कम पाया जाता	महिलाओं में खून रोकने (अतिमसिकस्राव)
32	दशमूल	कम पाया जाता	T-B- सांस् की बीमारी
33	तेलिया कंद	कम पाया जाता	शारीर में किसी तरह का उभार दबाने के लिए
34	भुलेन कंद	कम पाया जाता	मतिभ्रष्ट करता है
35	दहिमन	कम पाया जाता	नशा उतारने के लिए
36	संफर	कम पाया जाता	नशा उतारने के लिए
37	गरुड़	नहीं के बराबर पाये जाते हैं	सांप पास नहीं आता
38	भुत नाश	कम पाया जाता	प्रेत भगाने

39	पानैरी	कम पाया जाता	बुखार
40	कलिहारी	कम पाया जाता	नशा होता है
41	खरद	कम पाया जाता	खुले घांव (चोट) के लिए
42	बेल	कम पाया जाता	फल, पेट साफई
43	जामुन	कम पाया जाता	फल
44	अमुरी	कम पाया जाता	फल
45	हरसिंगारी	कम पाया जाता	हड्डी जोड़ने के काम
46	कुकरी मुड़ी कन्द	कम पाया जाता	पुरुषों में अंडकोष सम्बन्धी बीमारी
47	काला केवांच	कम पाया जाता	दर्द में
48	कुजली वाला केंवांच	कम पाया जाता	खुजली होती है
49	भुइनिम	कम पाया जाता	बुखार, खून साफ
50	इंदिरा बोदा	कम पाया जाता	बुखार, खांसी
51	साही पोटा	कम पाया जाता	चेचक न होने के लिए
52	भोजराज	कम पाया जाता	खून बढ़ाने में
53	बंसिगोपाल	अब खत्म हो चूका है	खून बढ़ाने में
54	बन सेमी	नहीं के बराबर पाये जाते हैं	महिलाओं के सफेद पानी में
55	सेर कंद	नहीं के बराबर पाये जाते हैं	महिलाओं के सफेद पानी में
56	रोहेना	नहीं के बराबर पाये जाते हैं	बच्चों में चुरना, सीना दर्द में
57	बोहर साग	बहुत ही काम हो गए हैं पेड़	सब्जी
58	कोयलार साग	बहुत ही काम हो गए हैं पेड़	सब्जी
59	कोंझियारी साग	बहुत ही काम हो गए हैं	सब्जी
60	कुकुर्जिभी सग	बहुत काम मिलता है	सब्जी
61	पीपल साग	बहुत काम मिलता है	सब्जी
62	धन्वई फुल	बहुत काम मिलता है	सब्जी
63	गिरुल फुल	बहुत काम मिलता है	सब्जी
64	तिरसा फुल	इनके पेड़ ही कम हो गए हैं	सब्जी
65	नीम फुल	इनके पेड़ ही कम हो गए हैं	सब्जी
66	पीपल गेडा	इनके पेड़ ही कम हो गए हैं	सब्जी
67	बांस पुटू	कम मिलते हैं	खाये जाने योग्य मशरूम
68	बदेला	कम मिलते हैं	खाये जाने योग्य मशरूम
69	कनकी	कम मिलते हैं	खाये जाने योग्य मशरूम
70	ब्यासी	कम मिलते हैं	खाये जाने योग्य मशरूम
71	पतरस	कम मिलते हैं	खाये जाने योग्य मशरूम
72	मंजूर भांडी	कम मिलते हैं	खाये जाने योग्य मशरूम
73	टिली	कम मिलते हैं	खाये जाने योग्य मशरूम
74	सुपला	कम मिलते हैं	खाये जाने योग्य मशरूम
75	बरतिया	कम मिलते हैं	खाये जाने योग्य मशरूम
76	दसरहा	कम मिलते हैं	खाये जाने योग्य मशरूम
77	चुलू	कम मिलते हैं	खाये जाने योग्य मशरूम
78	मछली	पहले जितना नही मिलता	खाये जाने वाले प्राणी
79	गिलहरी	पहले से कम हैं	जंगली जंतु
80	पडकी चिड़िया	पहले से कम हैं	चिड़िया जो खाते भी थे
81	हरिल	पहले से कम हैं	चिड़िया जो खाते भी थे
82	पहरिया	पहले से कम हैं	चिड़िया जो खाते भी थे
83	वनमुर्गी	पहले से कम हैं	चिड़िया जो खाते भी थे
84	खरगोश	पहले से कम हैं	खाते थे अब काम हो गए हैं

85	केकड़ा	पहले से कम हैं	खाते थे अब काम हो गए हैं
86	घोंघी	पहले से कम हैं	खाते थे अब काम हो गए हैं
87	गोइहा	पहले से कम हैं	खाते थे अब काम हो गए हैं
88	मधु, मधुमक्खियों का अंडा	पहले से कम हैं	खाते थे अब काम हो गए हैं
89	जंगली सूअर	पहले से कम हैं	खाते थे अब काम हो गए हैं
90	बिजरा	पहले से कम हैं	जलाऊ और इमारती लकड़ियाँ
91	साजा	पहले से कम हैं	जलाऊ और इमारती लकड़ियाँ
92	शीशम	बहुत हैं	प्लांटेशन
93	सागौन	बहुत हैं	प्लांटेशन
94	हल्दू	बहुत हैं	प्लांटेशन
95	धौंरा	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
96	सेन्हा	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
97	सलिहा	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
98	कसही	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
100	पलसा	कम हो गया है	पत्ती, फुल, लकड़ी
101	बदला	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
102	तिलसा	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
103	बासेन	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
104	कर्री	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
105	कऊहा (अर्जुन)	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
106	धामेन	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
107	डूमर	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
108	छांठा	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
109	फलस	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
110	गिदोला	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
111	कर्रा	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
112	भिरहोन	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
113	मुडही	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
114	बरगत	बहुत कम हो गया है	छायाँ देते थे
115	पीपल	बहुत कम हो गया है।	पूजा करते हैं
116	अमटी	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
117	गुन्जाओ	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे
118	केकट	कम हो गया है	लकड़ियों का उपयोग करते थे

8. क्या आपके क्षेत्र में वनरोपण का काम चल रहा है? यदि हाँ तो इस प्रश्न को भरें।

क्रमांक	कितने क्षेत्र में वनरोपण किया गया है?	वनरोपण में कौन से पौधे–पेड़ लगाये गए हैं?	इन पेड़–पौधों की क्या उपयोगिता है?
1	हमारे चारो तरफ के जंगल को हटा कर लगाया गया था।	सागौन, शीशम, हल्दू	ये इमारती लकड़ियाँ है जिनका उपयोग जंगल विभाग द्वारा किया जाता है।

9 इस जंगल में क्या ऐसे कोई पेड़–पौधे (वनस्पति) पाये जाते थे जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता रहा है यदि हाँ तो क्या आज भी यह पाये जाते है?

क्रमांक	पहले पाये जाने वाले वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)	आज पाये जाने वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)	किस उपचार में उपयोग किया जाता है?
1	हरसिंगारी	कम पाया जाता है	हड्डी जोड़ने के काम
2	कुकरी मुड़ी कन्द	कम पाया जाता है	पुरुषों में अंडकोष सम्बन्धी बीमारी
3	काला केवांच	कम पाया जाता है	दर्द में
4	कुजली वाला केंवांच	कम पाया जाता है	खुजली होती है
5	भुइनिम	कम पाया जाता है	बुखार, खून साफ
6	इंदिरा बोदा	कम पाया जाता है	बुखार, खांसी
7	साही पोटा	कम पाया जाता है	चेचक न होने के लिए
8	भोजराज	कम पाया जाता है	खून बढ़ाने में
9	बंसिगोपाल	अब खत्म हो चूका है	खून बढ़ाने में
10	बन सेमी	कम पाया जाता है	महिलाओं के सफेद पानी में
11	सेर कंद	कम पाया जाता है	महिलाओं के सफेद पानी में
12	रोहेना	कम पाया जाता है	बच्चों में चुरना, सीना दर्द में
13	दूध मोंगरा	कम पाया जाता है	दूध काम आने पर दावा
14	सिहाल जड़ी	कम पाया जाता है	खून की कमी दूर करता है
15	बलराज	कम पाया जाता है	ताकत, खून की कमी
16	तेजराज	कम पाया जाता है	ताकत, खून की कमी
17	रक्त बिलार	कम पाया जाता है	सफेद और लाल प्रदर (डिस्चार्ज)
18	पताल कोहड़ा	कम पाया जाता है	जोड़ों के दर्द में
19	बनराकर (बरम राकेस)	कम पाया जाता है	जोड़ों के दर्द में
20	गिरहुल जड़ी	कम पाया जाता है	महिलाओं में खून रोकने (अतिमसिकस्राव)
21	काया	कम पाया जाता है	महिलाओं में खून रोकने (अतिमसिकस्राव)
22	दशमूल	कम पाया जाता है	T-B- सांस् की बीमारी
23	तेलिया कंद	कम पाया जाता है	शारीर में किसी तरह का उभार दबाने के लिए
24	भुलेन कंद	कम पाया जाता है	मतिभ्रष्ट करता है
25	दहिमन	कम पाया जाता है	नशा उतारने के लिए
26	संफर	कम पाया जाता है	नशा उतारने के लिए
27	गरुड़	कम पाया जाता है	सांप पास नहीं आता
28	भुत नाश	कम पाया जाता है	प्रेत भगाने
29	पानैरी	कम पाया जाता है	बुखार
30	कलिहारी	कम पाया जाता है	नशा होता है
31	खरद	कम पाया जाता है	खुले घांव (चोट) के लिए
32	बेल	कम पाया जाता है	फल, पेट साफई
33	हर्रा	कम पाया जाता है	फल (दवाई, सर्दी–खांसी), लकड़ी
34	बेहरा	कम पाया जाता है	फल (दवाई, सर्दी–खांसी), लकड़ी
35	आँवला	कम पाया जाता है	फल (दवाई, सर्दी–खांसी), लकड़ी

10. समुदाय में पहले किस तरह की बीमारियाँ थी और आज किस तरह की बीमारियाँ है?

बीमारियाँ बहुत कम थीं जैसे हैजा, चेचक, मलेरिया इत्यादि आज कल तो नई–नई बीमारियाँ बढती ही जा रही हैं?

11. इन बिमारियों के उपचार के लिए आप किसके पास सबसे पहले जाते थे और आज इलाज के लिए कहाँ जाते है?

उस समय हम वैद्ध के पास जाते थे जो हमारे गाँव में ही रहता था। आज कल तो डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे गाँव में भी डॉक्टर (झोलाछाप) घूमते रहते हैं उनसे दवाई ले लेते हैं?

12. जंगल के किन उत्पादों का उपयोग आप अपनी आजीविका को मजबूत करने के लिए करते थे क्या आज भी इनका उपयोग कर पा रहे है?

क्रमांक	बेचे जाने योग्य उत्पाद	पहले उपयोग करते थे	कितने में बिकता है? खुले बाजार मैं
1	तेंदूपत्ता	तेंदूपत्ता	400/ सैंकड़ा
2	महुआ	महुआ	45/kg
3	डोरी	डोरी	25/kg
4	तेंदू	तेंदू	15/kg
5	चार	चार	200/kg
6	ईमली	ईमली	35/kg
7	बेर	बेर	35/kg
8	मुकईया	मुकईया	25/kg
9	गुड सुखडी	गुड सुखडी	25/kg
10	सरीफा	सरीफा	25/kg
11	बेल	बेल	10/नग
12	जलाऊ लकड़ी	जलाऊ लकड़ी	70 सीरबोझा
13	करील	करील	100/kg
14	चरोटा बिज	चरोटा बिज	25/kg
15	बन तुलसी	बन तुलसी	40/kg

13. जंगल में आपको किस तरह के खतरे हैं और आप इसका सामना कैसे करते है?

जंगल विभाग, जंगली जानवर अभी हांथी हमारे लिए नया है। हमारे जंगल में हांथी पहले नहीं पाये जाते थे अब बहुत बढ़ गए हैं?

14. जंगल को आप से किस तरह के खतरे हैं? वन सम्पदा को बचाने के लिए आपका क्या योगदान रहा है?

क्रमांक	खतरे	फायदे/योगदान
1	हमारे हिसाब से हम जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते	आग लगने पर भुझाते है
2		बाहर के चोरों से जंगल की रखवाली करते है।
3		बांस कटते हैं।
4		जंगल में पौधे लगाते हैं
5		जानवरों को पानी पिलाते हैं
6		पेड़ों की छटाई करते हैं

15. इस जंगल मैं किस तरह के जानवर पाये जाते है?

क्रमांक	पहले पाये जाने वाले वन्यजीव	आज भी पाये जाते हैं पर कम हैं	नहीं पाये जाने के कारण
1	बन भैंसा	बन भैंसा	
2	सामर चितर	सामर, चितर	
3	जंगली सूअर	जंगली सुवर	
4	कोटरी	काम पाये जाते हैं	
5	चोरेगा	चोरेगा	
6	सईहा (साही)	सईहा (साही)	
7	काहट	काहट	
8	नेवला	नेवला	
9	भालू	भालू	
10	सियार (लोमड़ी)	सियार (लोमड़ी)	
11	जंगली बिल्ली	जंगली बिल्ली	
12	बंदर	बंदर	
13	शेर		शिकार, और सूखे की वजह से खतम हो गए हैं।
14	तेंदुआ	तेंदुआ	
15	चिता	चिता	
16	हांथी	नया है	
17	सांप (बहुत सी प्रजातियाँ हैं)	बाहर से लाकर सांप छोड़ा गया है	
18	गहुआ		

16. जंगल में जाने की पाबन्दी से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है और जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

तकलीफ बढ़ गई है। बिना पैसे के कुछ नहीं मिल रहा है। जंगल जिसे हम अपना समझते थे आज वहां जंगल विभाग मालिक बन कर बैठ गया है?

17. आपके इष्ट देवी–देवता कौन है जिनकी आप पूजा करते है?

राज्य के जंगला पाठ, मात पोस, धरम देवता, गाँव के ठाकुर देव, घर के बुढ़ा देव, दूल्हा देव,

18. **आपका खान–पान पहले जैसा है या इसमें कुछ बदलाव आया है? (मौसम और समय के आधार पर)**

खाना–पीना पहनना–ओढना सब बदल गया है। पहले खुद का उगाया चांवल खाते थे अब सरकार देती है वो खाते है। पहले खाने के बाद पसिया पिते थे आज पानी पीते हैं। जंगल के कन्द–मूल खाना लगभग बंद हो गया है। आज खाने में पौष्टिकता नहीं है। सरकारी चांवल का स्वाद भी अच्छा नहीं है।

19. **आप पहले ज्यादा आत्मनिर्भर थे या आज?**

आज ज्यादा आत्मनिर्भर हैं। सरकार और जंगल में भी काम खुल रहा है।

20. **आपका वार्षिक चक्र जंगल के उत्पादों (वनोपज) के साथ क्या होता था और आज यह चक्र कैसा है?**

खेती करते हैं? जंगल की कुछ चीजें जमा करके बेचते है। सरकारी काम खुलता है तो उसमें जाते है। जंगल में काम हलता है तो उसमें जाते है।

21. **गाँव का संक्षिप्त इतिहास?**

बघमाडा– इस गाँव का नाम बघमाडा इस लिए पड़ा क्यूंकि यहाँ बाघ (शेर) बहुत ही अधिक मात्रा में पये जाते थे। आज भी यहाँ पर उनकी गुफाएं हैं। आज यहाँ बाघ नही पाये जाने के कारण हैं। पहला यहाँ 5 साल लम्बा आकाल पड़ा था जिसकी वजह से बाघ यहाँ से पलायन कर गए। दूसरा जो बच गए थे

उनका शिकार किया गया। पहले राजाओं द्वारा शिकार किया जाता था। बाद में लोग सरकारी अनुमति के साथ सरकारी मचानों में बात कर शिकार करते थे। हमने तो ये सब अपनी आँखों से देखा है। हमरे जानवरों का शिकार करके लोग ले जाते थे और हम कुछ भी नहीं कर पते थे। सन 1973 में यहाँ पेड़ों को काट कर पेड़ लगाये ह? आज उसे ही काटने का काम हमसे कराया जा रहा ह।

यहाँ पर पहाड़ों से सोना भी निकलता है इसलिए इस क्षेत्र को सोनाखान क्षेत्र भी कहा जाता है? आज यहाँ वेदान्ता कंपनी इस सोने के खान को खरीद रही है।

जिसका हम विरोध भी कर रहे है इसमें 12 गाँव पर प्रभाव पड़ेगा हमारा गाँव तो पूरी तरह खत्म हो जयेगा। राज्य सरकार द्वारा यह नहोने का आश्वासन भी दिया गया जिसे हम अपनी जीता मान रहे थे पर आज केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दी है? हमरे विरोध का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। हम अभी भी डेट हुवे है। वेदान्ता ने धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दिया है पता नहीं जब अधिग्रहण होगा तब हमारा क्या होगा।

प्रश्नावली

गाँव का नाम :– महराजी, छत्तीसगढ़

लोग :– 30–35 लोग

लिंग :– पुरुष और महिला दोनों थे

व्यवसाय :– कृषि, मजदूरी

1. **आपका जीवन किस जंगल पर आधारित है?**

   वनखंड, हांथी बाड़ी, बरेपानी, कुरु पानी, छाता पहाड़, मंडुल बाड़ी, कारीमाटी, कुरु पाठ, बडेपानी, देंवता डोंगरी, गिधौरी पठार, चमारिन खोलिया, धनवारिन धरान, लोहार सोहर, धोबी सोखा, आमापानी, कुंडी?

2. **यह जंगल किस तरह का है? क्या यहाँ जाने में कोई रोक है यदि हाँ तो कब से?**

   महराजी आज तक वनग्राम में रहा है जल्दी ही राजस्व ग्राम बनने वाला है। यह खुला जंगल है जंगल विभाग के दयरे में आता है? अभ्यारण के आस–पास के जंगल हैं?

3. **क्या आप पारंपरिक रूप से जंगल जमीन का उपयोग करते आ रहे हैं?**

   हाँ हम जंगल जमीनों का उपयोग करते है?

4. **आपके अनुसार जंगल क्या है? (परिभाषा/समझ)**

   जंगल में पेड़–पौधे, जंगली जानवर, लघुवनोपज, हमारी निस्तारी सभी कुछ होता है? यहाँ के संसाधनों का उपयोग करते हैं इसकी देखभाल करते हैं?

5. **क्या आज आप जंगल के उत्पादों (वनोपज) का स्वेक्षा से आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं?**

   नहीं नहीं कर सकते जंगल विभाग का हस्तक्षेप रहेता है? निस्तार पत्रक के आधार पर निस्तार नहीं दे रहे हैं? पहले की तरह आजादी के साथ कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते हैं?

6. **जंगल के उत्पादों (वनोपज) तक आपकी पहुँच कम होने का क्या कारण है?**

   जंगल विभाग के कारण उनके हमेशा नए नए नियम रहते हैं?

7. जंगल में ऐसे कौन से उत्पाद है जिनका आप उपयोग करते आये है? इन उत्पादों का क्या उपयोग है?

जंगल में पहले पाये जाने वाले वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	जंगल में आज पाये जाने वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	इन उत्पादों की की उपयोगिता है।
तेंदू	पहले से कम है	पत्ती, फल
फलः– महुआ	पहले से कम है	फुल, फल, पत्ता,लकड़ी
चार	पहले से कम है	फल लकड़ी
बेल	पहले से कम है	फल लकड़ी
आंवला	पहले से कम है	फल लकड़ी
हर्रा	पहले से कम है	फल लकड़ी
बेहरा	पहले से कम है	फल लकड़ी
जामुन	पहले से कम है	फल लकड़ी
शरीफा	पहले से कम है	फल
भेलवां	पहले से कम है	लकड़ी
मुकईया	पहले से कम है	फल
इमली	पहले से कम है	फल लकड़ी
बेर	पहले से कम है	फल
कसही	पहले से कम है	लकड़ी
गुड सुख्डी	पहले से कम है	
खजूर	पहले से कम है	फल पत्ती
इमारतीः– सागौन	पहले से कम है	लकड़ी
बीजा	पहले से कम है	लकड़ी
साजा	पहले से कम है	लकड़ी
हल्दू	पहले से कम है	लकड़ी
धौंरा	पहले से कम है	लकड़ी
अर्जुन	पहले से कम है	लकड़ी छाल
कर्रा	पहले से कम है	लकड़ी
मिरहा	पहले से कम है	लकड़ी
सेनहा	पहले से कम है	लकड़ी
घठोला	पहले से कम है	लकड़ी
फालन	पहले से कम है	लकड़ी
तिलई	पहले से कम है	लकड़ी
अमटी	पहले से कम है	लकड़ी
अमलतास	पहले से कम है	रुई लकड़ी
कसही	पहले से कम है	लकड़ी
बेन्दरपोसा	पहले से कम है	लकड़ी
सेमहर	पहले से कम है	लकड़ी
मोदे	पहले से कम है	लकड़ी

गिडोला	पहले से कम है	लकड़ी
जडीबुटः— भुई नीम (चिरायता)	पहले से कम है	सिर दर्द, बुखार,
गुखरू	पहले से कम है	खांसी
हर्रा	पहले से कम है	खांसी
बेहरा	पहले से कम है	खांसी
आंवला	पहले से कम है	उपरोक्त तीनो को मिलाने पर त्रिफला बनता है।
हरसिंगार	पहले से कम है	हड्डी जोड़ने के काम
सफेद गोंदे का जड़	पहले से कम है	हड्डी जोड़ने के काम
भिन्डी का जड़	पहले से कम है	हड्डी जोड़ने के काम
कुकरी पोटा	पहले से कम है	हड्डी जोड़ने के काम
पथरी भाजी	पहले से कम है	पीलिया
चांवल का पानी	पहले से कम है	पीलिया
केकट, मोदे, धौंरा की छाल	पहले से कम है	दस्त (पेचिस)
अमरुद का पत्ता	पहले से कम है	दस्त (पेचिस)
अनार का छिलका	पहले से कम है	दस्त (पेचिस)
केंवटी का जड़	पहले से कम है	दवाई
पताल कोहड़ा	पहले से कम है	दवाई
पास	पहले से कम है पहले से कम है	उपुरोक्त दोनों को मिला कर जानवरों के ताकत के लिए
सफेद सेस,	पहले से कम है	प्रदर
लाल सेस	पहले से कम है	अति मासिक स्राव
सुजाऊ और नारियल का बुच	पहले से कम है	बवासीर
कन्दः— पिथाडू	पहले से कम है	खाने में
कड़वा कांदा	पहले से कम है	खाने में
डांग कांदा	पहले से कम है	खाने में
बंसेरा कांदा	पहले से कम है	खाने में
साग :— बोहर	पहले से कम है	खाने में
कोयलार	पहले से कम है	खाने में
कुरूम भाजी	पहले से कम है	खाने में
चरोटा	पहले से कम है	खाने में
खोंजियारी	पहले से कम है	खाने में
कुकुर्जिभी	पहले से कम है	खाने में
मशरूम :— लम्हा	पहले से कम है	खाने में
डूहरू (ब्यासी)	पहले से कम है	खाने में
पतेरा	पहले से कम है	खाने में
भदईला	पहले से कम है	खाने में
सरई (पतरस)	पहले से कम है	खाने में
बांस पुटू	पहले से कम है	खाने में
कनकी पुटू	पहले से कम है	खाने में

8. क्या आपके क्षेत्र में वनरोपण का काम चल रहा है? यदि हाँ तो इस प्रश्न को भरें?

अभी नहीं

9. इस जंगल में क्या ऐसे कोई पेड़–पौधे (वनस्पति) पाये जाते थे जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता रहा है यदि हाँ तो क्या आज भी यह पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)	आज पाये जाने वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)	किस उपचार में उपयोग किया जाता है?
जडीबुटः– भुई नीम (चिरायता)	अब कम पाये जाते हैं।	सिर दर्द, बुखार,
गुखरू	अब कम पाये जाते हैं।	खांसी
हर्रा	अब कम पाये जाते हैं।	खांसी
बेहरा	अब कम पाये जाते हैं।	खांसी
आंवला	अब कम पाये जाते हैं।	उपरोक्त तीनो को मिलाने पर त्रिफला बनता है।
हरसिंगार	अब कम पाये जाते हैं।	हड्डी जोड़ने के काम
सफेद गोंदे का जड़	अब कम पाये जाते हैं।	हड्डी जोड़ने के काम
भिन्डी का जड़	अब कम पाये जाते हैं।	हड्डी जोड़ने के काम
कुकरी पोटा	अब कम पाये जाते हैं।	हड्डी जोड़ने के काम
पथरी भाजी	अब कम पाये जाते हैं।	पीलिया
चांवल का पानी	अब कम पाये जाते हैं।	पीलिया
केकट, मोदे, धौंरा की छाल	अब कम पाये जाते हैं।	दस्त (पेचिस)
अमरुद का पत्ता	अब कम पाये जाते हैं।	दस्त (पेचिस)
अनार का छिलका	अब कम पाये जाते हैं।	दस्त (पेचिस)
केंवटी का जड़	अब कम पाये जाते हैं।	
पताल कोहड़ा	अब कम पाये जाते हैं।	
पास	अब कम पाये जाते हैं।	उपुरोक्त दोनों को मिला कर जानवरों के ताकत के लिए
सफेद सेस,	अब कम पाये जाते हैं।	प्रदर
लाल सेस	अब कम पाये जाते हैं।	अति मासिक स्राव
सुजाऊ और नारियल का बुच	अब कम पाये जाते हैं।	बवासीर

10. समुदाय में पहले किस तरह की बीमारियाँ थी और आज किस तरह की बीमारियाँ है?

कॉलरा (धुंकी), T-B. (अमीरों की बीमारी थी), कुष्ट रोग, छोतिमाता, बदिमाता यही बीमारियाँ थी आज कल तो बहुत बीमारियाँ हैं?

11. इन बिमारियों के उपचार के लिए आप किसके पास सबसे पहले जाते थे और आज इलाज के लिए कहाँ जाते है?

वैध के पास जाते थे ठीक हो जाते थे आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं? आज कल के भोजन की वजह से हमारा शरीर भी कमजोर होता जा रहा है डॉ. भी बीमारी नहीं पकड़ पा रहे है?

12. जंगल के उत्पादों का उपयोग आप अपनी आजीविका को मजबूत करने के लिए करते थे क्या आज भी इनका उपयोग कर पा रहे है?

नहीं आज हम पूरी आजादी के साथ नहीं कर पा रहे है?

13. जंगल के किन उत्पादों को बेच कर आप अपना जीवन चलाते हैं? कहाँ बेचते हैं?

बेचे जाने योग्य उत्पाद	आज उपयोग कर सकते हैं	कितने में बिकता है? खुले बाजार मैं
तेंदूपत्ता	उत्पादन कम हो गया है	400/ सैंकड़ा
महुआ	उत्पादन कम हो गया है	45/kg
डोरी	उत्पादन कम हो गया है	25/kg
तेंदू	उत्पादन कम हो गया है	15/kg
चार	उत्पादन कम हो गया है	200/kg
ईमली	उत्पादन कम हो गया है	35/kg
बेर	उत्पादन कम हो गया है	35/kg
मुकईया	उत्पादन कम हो गया है	25/kg
गुड सुखडी	उत्पादन कम हो गया है	25/kg
सरीफा	उत्पादन कम हो गया है	25/kg
बेल	उत्पादन कम हो गया है	10/नग
जलाऊ लकड़ी	उत्पादन कम हो गया है	70 सीरबोझा
करील	उत्पादन कम हो गया है	100/kg
चरोटा बिज	उत्पादन कम हो गया है	25/kg
बन तुलसी	उत्पादन कम हो गया है	40/kg

14. जंगल में आपको किस तरह के खतरे हैं और आप इसका सामना कैसे करते है?

सभी जंगली जानवरों से डर रहेता है पर वो हमारे कुल्हाड़ी से डरते हैं? पर जंगल विभाग से हम डरते हैं?

15. जंगल को आपसे किस तरह के खतरे और फायदे हैं?

खतरे	फायदे
कुछ बुरे लीग अपने स्वार्थ के लिए चोरी करते हैं।	आग बुझाने मैं

16. इस जंगल मैं किस तरह के जानवर पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले वन्यजीव	आज भी पाये जाने वाले वन्यजीव	नहीं पाये जाने के कारण
हिरण	पहले से कम हो गये हैं।	
सामबर	पहले से कम हो गये हैं।	शिकार, वनरोपण की वजह से जानवरों को छुपने की जगह नहीं मिलती।
गवर (वन भैसा)	पहले से कम हो गये हैं।	--,,--
भालू	पहले से कम हो गये हैं।	--,,--
तेंदुआ	पहले से कम हो गये हैं।	--,,--
चीता	पहले से कम हो गये हैं।	--,,--
लकडबग्घा	पहले से कम हो गये हैं।	--,,--
सीयार	पहले से कम हो गये हैं।	--,,--
खरगोश	पहले से कम हो गये हैं।	--,,--
मोर	पहले से कम हो गये हैं।	--,,--
जंगली सूअर	पहले से कम हो गये हैं।	--,,--
सांप	पहले से कम हो गये हैं।	--,,--
कोटरी	पहले से कम हो गये हैं।	--,,--
हांथी	नया जानवर हांथी है।	--,,--
शेर		शेर अब नहीं मिलता लोग शिकार करके ले गये।

17. वन सम्पदा को बचाने के लिए आपका क्या योगदान रहा है?
आग बुझाते हैं लकड़ी चोरों से जंगल को बचाते हैं?

18. जंगल में जाने की पाबन्दी से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है और जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

हम अगर जंगल नहीं जायेंगे पेड़ों की चोरी बढ़ जाएगी। पेड़ नहीं होंगे तो वातावरण गर्म हो जायेगा, हवा प्रदूषित हो जाएगी, हमारी आजीविका भी खत्म हो जाएगी?

19. आपके इष्ट देवी–देवता कौन है जिनकी आप पूजा करते है?

कुरुपाट, ठाकुर देव महाराज, महामाया, दूल्हा देव, शिवनाथ

20. **आपका खान–पान पहले जैसा है या इसमें कुछ बदलाव आया है? (मौसम और समय के आधार पर)**

सुसायटी का चांवल नहीं खाते थे? यूरिया का उपयोग नहीं होता था? पहले ज्यादा शुद्ध भोजन था आज तो खाने का स्वाद ही बदल गया है। जहरीली दवाइयां डालने से पौष्टिकता भी कम हो गई है।

21. **आप पहले ज्यादा आत्मनिर्भर थे या आज?**

पहले ज्यादा आत्मनिर्भर थे आज कम हैं?

22. **आपका वार्षिक चक्र जंगल के उत्पादों (वनोपज) के साथ क्या होता था और आज यह चक्र कैसा है?**

चार माह खेती किसानी उसके बाद मजदूरी सब्जी भी लगाते हैं जंगल के उत्पाद बेचते है?

23. **गाँव का संक्षिप्त इतिहासः**– यहाँ गहरा जंगल थाद्य ब्रिटिश सरकार ने यहाँ की खुबसुरत इमारती लकड़ियों को देखा उसे बेचकर पैसे बनाने का सोचा। यह क्षेत्र बार नयापारा गद्दी (जंगल का एरिया) मैं आता था। सन 1832 में हमें यहाँ लाकर बसाया गया। उस समय हैं अपने लिए 10 एकड़ जमीन काटने के लिए कहा जिसका मालिकाना हक हमारे पास होगा। जिसके एवज में हम सरकार के लिए लकड़ी काटते और पेड़ लगाते थे इन कामों की हमें कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। जो यह काम करने से इंकार करता उसे जंगल से भगा दिया जाता था और दुसरे को लाया जाता था। सन 1975 से हमें हमारे काम की मजदूरी दी जाने लगी महिलाओं को डेढ़ रुपये और पुरुषों को दो रुपये। अभी तक तो हमारा गाँव वन ग्राम में आता था अभी इसे राजस्व ग्राम में शामिल किया गया है?

प्रश्नावली

गाँव का नाम :— महकोनी, छत्तीसगढ़

उम्र / लोग :— 30—35 लोग

लिंग :— पुरुष और महिला दोनों थे

व्यवसाय :— खेती, जंगल के काम

1. **आपका जीवन किस जंगल पर आधारित है?**

   भालूचुआं, टीपाचूंआ, गिधौरी पठार, बड़े पानी, गोल पथरा, कांसी पठार, धोबी महुआ, कांदा ढोडी, फुत्का,

2. **यह जंगल किस तरह का है? क्या यहाँ जाने में कोई रोक है यदि हाँ तो कब से?**

   वन ग्राम है। जंगल में जाने की मनही नहीं है पर हम कुछ चीजें जंगल से नहीं ला सकते जैसे लकड़ी, रेत, ने कुछ बनाने से पहले जंगल विभाग से अनुमति लेना पड़ता है?

   3. क्या आप पारंपरिक रूप से जंगल जमीन का उपयोग करते आ रहे हैं?

   हाँ हम करते हैं?

4. **आपके अनुसार जंगल क्या है? (परिभाषा / समझ)**

   जंगल में पेड़—पौधे, जानवर, पहाड़, वनोपज, पाये जाते हैं? हमारी निस्तारी भी पूरी तरह जंगल पर ही निर्भर रहती है?

5. **क्या आज आप जंगल के उत्पादों (वनोपज) का स्वेक्षा से आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं?**

   नहीं नहीं कर सकते जंगल विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। रसीद कटना पड़ता है?

6. **जंगल के उत्पादों (वनोपज) तक आपकी पहुँच कम होने का क्या कारण है?**

   जंगल विभाग के हांथों मैं है नहीं लेने देता।

7. जंगल में ऐसे कौन से उत्पाद है जिनका आप उपयोग करते आये है? इन उत्पादों का क्या उपयोग है?

जंगल में पहले पाये जाने वाले वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	जंगल में आज पाये जाने वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	इन उत्पादों की की उपयोगिता है।
साजा	मिलता है पर पहले से कम	लकड़ी
बिजरा	मिलता है पर पहले से कम	लकड़ी
सागौन	मिलता है पर पहले से कम	लकड़ी
सीसम	मिलता है पर पहले से कम	लकड़ी
धौंरा	मिलता है पर पहले से कम	लकड़ी
कऊहा	मिलता है पर पहले से कम	लकड़ी
कर्रा	मिलता है पर पहले से कम	लकड़ी
तेंदू	मिलता है पर पहले से कम	लकड़ी फल पत्ती
महुआ	मिलता है पर पहले से कम	फल फुल लकड़ी
बेहरा	मिलता है पर पहले से कम	फल लकड़ी
चार	मिलता है पर पहले से कम	लकड़ी फल बिज
कुर्रु	मिलता है पर पहले से कम	लकड़ी
भुइनिम	मिलता है पर पहले से कम	पूरी झाड़ी
चिटचिटा	मिलता है पर पहले से कम	लकड़ी
बांस	मिलता है पर पहले से कम	बांस फल करील
मशरूमः– बांस पुटू	मिलता है पर पहले से कम	खाने में
बदरैला पुटू	मिलता है पर पहले से कम	खाने में
दिलवा पुटू	मिलता है पर पहले से कम	खाने में
कनकी पुटू	मिलता है पर पहले से कम	खाने में
नीम	मिलता है पर पहले से कम	फल फुल भी पत्ती लकड़ी
करंज	मिलता है पर पहले से कम	बिज लकड़ी
साग :– कुकुर्जिभी	मिलता है पर पहले से कम	खाने में
कोइलार	मिलता है पर पहले से कम	खाने में
बोहार	मिलता है पर पहले से कम	खाने में
कोंझियारी	मिलता है पर पहले से कम	खाने में
चरोटा	मिलता है पर पहले से कम	खाने में
सुनसुनिया चंटी	मिलता है पर पहले से कम	खाने में
गिरहुल	मिलता है पर पहले से कम	खाने में
पीपल	मिलता है पर पहले से कम	खाने में

8. क्या आपके क्षेत्र में वनरोपण का काम चल रहा है? यदि हाँ तो इस प्रश्न को भरें।

हाँ हमारे तरफ पिछले 15 वर्षों से हर वर्ष वनरोपण हो रहा है चरों तरफ की जंगल मैं बरी बरी सी।

कितने क्षेत्र में वनरोपण किया गया है?	वनरोपण में कौन से पौधे–पेड़ लगाये गए हैं?	इन पेड़–पौधों की क्या उपयोगिता है?
10 से 15 एकड़	सागौन	जंगल विभाग बेचता है
सड़क की किनारे	इस वर्ष पहली बार फलों के पेड़ लगाये गए हैं।	

9. इस जंगल में क्या ऐसे कोई पेड़–पौधे (वनस्पति) पाये जाते थे जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता रहा है यदि हाँ तो क्या आज भी यह पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)	आज पाये जाने वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)	किस उपचार में उपयोग किया जाता है?
भुई नीम	आज भी मिलते है पर कम	खासी सर्दी बुखार
देवनासन	आज भी मिलते है पर कम	कमजोरी के लिए
भुतनासन	आज भी मिलते है पर कम	कमजोरी के लिए
पताल कोहड़ा	आज भी मिलते है पर कम	खून की कमी, कमजोरी
बलराज	आज भी मिलते है पर कम	खून की कमी, कमजोरी
सतावर	आज भी मिलते है पर कम	माँ का दूध बढ़ता है, खून की कमी, कमजोरी
तिलई	आज भी मिलते है पर कम	लकवा, खून की कमी, कमजोरी
हर श्रृंगार	आज भी मिलते है पर कम	हड्डी जोड़ने में
गोंदला	आज भी मिलते है पर कम	सुजन काम करता है
केंवटी नार	आज भी मिलते है पर कम	दर्दमें
हर्रा	आज भी मिलते है पर कम	खांसी, सर्दी
बहेरा	आज भी मिलते है पर कम	खांसी, सर्दी
कोसम	आज भी मिलते है पर कम	दर्द में
डोरी	आज भी मिलते है पर कम	दर्द में
नीम	आज भी मिलते है पर कम	खुजली

10. समुदाय में पहले किस तरह की बीमारियाँ थी और आज किस तरह की बीमारियाँ है?

हैजा, चेचक, बड़ी माता, छोटी माता, T-B., बुखार पहले सुनने को मिलता था। आज कल तो बहुत सी नई बीमारियाँ सुनने को मिलती हैं। आजकल हैजा सुनने को नहीं मिलता।

11. इन बिमारियों के उपचार के लिए आप किसके पास सबसे पहले जाते थे और आज इलाज के लिए कहाँ जाते है?

वैद्ध के पास जाते थे अब डॉ. के पास जाते हैं।

12. जंगल के किन उत्पादों का उपयोग आप अपनी आजीविका को मजबूत करने के लिए करते थे क्या आज भी इनका उपयोग कर पा रहे है?

हाँ अभी भी करते हैं।

13. जंगल के किन उत्पादों को बेच कर आप अपना जीवन चलाते हैं? कहाँ बेचते हैं?

बेचे जाने योग्य उत्पाद	आज उपयोग कर सकते हैं	कितने में बिकता है? खुले बाजार में
महुआ	पहले से काम हो गया है उत्पाद	40/kg
बेहरा	पहले से काम हो गया है उत्पाद	17/kg
तेंदू पत्ता	पहले से काम हो गया है उत्पाद	400/सैकड़ा
सरई पत्ता	पहले से काम हो गया है उत्पाद	15/kg
किनी कोरिया	पहले से काम हो गया है उत्पाद	50/kg
कया	पहले से काम हो गया है उत्पाद	50/kg
मशरूम	पहले से काम हो गया है उत्पाद	200/kg
झिरी घांस	पहले से काम हो गया है उत्पाद	20/नग
हर्रा	पहले से काम हो गया है उत्पाद	15/kg

14. जंगल में आपको किस तरह के खतरे हैं और आप इसका सामना कैसे करते है?

जंगली जनवर खास कर हांथी। जंगल विभाग जंगल की अनुमति के बिना मिटटी पत्थर रेत लकड़ी इन चीजों को नहीं ला सकते हैं।

15. जंगल को आपसे किस तरह के खतरे और फायदे हैं?

खतरे	फायदे
उन्हें लगता है उनसे कोई खतरा नहीं	वृक्षरोपण करते हैं
	आग बुझाने जाते हैं

16. इस जंगल में किस तरह के जानवर पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले वन्यजीव	आज भी पाये जाने वाले वन्यजीव	नहीं पाये जाने के कारण
शेर	पहले से बहुत कम हो गये हैं।	जंगल कम हो रहा है
चिता	पहले से कम हो गये हैं।	जंगल कम हो रहा है
तेंदुआ	पहले से कम हो गये हैं।	जंगल कम हो रहा है
हिरण	पहले से कम हो गये हैं।	जंगल कम हो रहा है
सामंबर	पहले से कम हो गये हैं	जंगल कम हो रहा है
नीलगाय	पहले से कम हो गये हैं।	जंगल कम हो रहा है
जंगली सूअर	पहले से कम हो गये हैं।	जंगल कम हो रहा है
खरगोश	पहले से कम हो गये हैं।	जंगल कम हो रहा है
सियार	पहले से कम हो गये हैं।	जंगल कम हो रहा है

बन भैंसा	पहले से कम हो गये हैं।	जंगल कम हो रहा है
सोन कुत्ता	पहले से कम हो गये हैं।	जंगल कम हो रहा है
बंदर	पहले से कम हो गये हैं।	जंगल कम हो रहा है
साँपों की कई प्रजातियाँ है	पहले से कम हो गये हैं।	जंगल कम हो रहा है

17. वन सम्पदा को बचाने के लिए आपका क्या योगदान रहा है?

जंगल की बॉउंड्री बनाते हैं। वनरोपण में काम करते हैं। जंगल की सुरक्षा करते हैं। जंगल में सभी काम हमसे ही करवाते हैं।

18. जंगल में जाने की पाबन्दी से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है और जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

जन गल के बिना हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता है। इससे हमारा लगाव है। हमारे बिना जंगल पूरी तरह खत्म हो जायेगा। लकड़ी चोरी, शिकार, को रोकते हैं। रात में गश्त लगे हैं।

19. आपके इष्ट देवी–देवता कौन है जिनकी आप पूजा करते है?

ठाकुर देव, अडगा पाठ, कुर्रु पाठ, मई साजा, भांवर पाठ, महामाई, बैगनी बैगा, जंगला पाठ।

20. आपका खान–पान पहले जैसा है या इसमें कुछ बदलाव आया है? (मौसम और समय के आधार पर)

काफी बदलाव आया है। आज सभी मौसम में सब्जियां मिलने लगी हैं। पहले घर में उसना (प्रोसेस,बोइल्ड) करके चांवल खाते थे अब अरवा (बिना उबला हुआ) खाते हैं। अब जंगली कन्द खाना बहुत कम हो गया है। पहले मांड पीते थे आज पानी पीते हैं। ये सब राशन मैं मिलने वाले चांवल की वजह से हुआ है। आज गेहू आंटे की रोटी भी खाना सिख गये हैं।

21. आप पहले ज्यादा आत्मनिर्भर थे या आज?

आज ज्यादा आत्मनिर्भर हैं। जंगल में और रोजगार गारेंटी में भी काम मिलता है।

22. आपका वार्षिक चक्र जंगल के उत्पादों (वनोपज) के साथ क्या होता था और आज यह चक्र कैसा है?

6 माह खेती करते हैं। महुआ उठाते हैं, पता तोड़ते हैं, पत्तल बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं। जंगल में और रोजगार गारेंटी में भी काम करने जाते हैं।

प्रश्नावली

गाँव का नाम :– चनाट, छत्तीसगढ़
नाम और उम्र :– 10–12 लोग
लिंग :– महिलाये और पुरुष दोनों थे सामूहिक बैठक मे
व्यवसाय :– खेती, मजदूरी

1. **आपका जीवन किस जंगल पर आधारित है?**
   हांथी खांचा (तेंदुपत्ता), सराई मक्सा, प्लाट (जलाऊ लकड़ी), पठान ढूला (बांस), छुरहा पानी (जंगल विभाग के लिए काम करते हैं), गडम पानी, तेलई डहारा इत्यादि जंगलों का उपयोग करते है।
2. **यह जंगल किस तरह का है? क्या यहाँ जाने में कोई रोक है यदि हाँ तो कब से?**
   यह जंगल खुला जंगल है। जंगल विभाग की निगरानी में आता है। यहाँ बांस काफी मात्रा में पाया जाता हैं लगभग 15 साल पहले आजादी से चीजें ला सकते थे पर आज नाहीं ला सकते हैं जंगल विभाग रोकता हैं। जब लाना जरुरी होता है तो पैसे देकर ला सकते हैं। वन उपजों का उपयोग कर पा रहे हैं।
3. **क्या आप पारंपरिक रूप से जंगल जमीन का उपयोग करते आ रहे हैं?**
   हाँ।
4. **आपके अनुसार जंगल क्या है? (परिभाषा/समझ)**
   जंगल में हर चीज होता है। जानवर, पंछी,हमारे देवी–देवता, जडीबुट, घांस, पेड़–पौधे, सभी तरह जी चीजें पाई जाती हैं। जिससे हमारा निस्तार और जीवन चलता है। पहाड़, झरने सभी जंगल का हिस्सा हैं।
5. **क्या आज आप जंगल के उत्पादों (वनोपज) का स्वेक्षा से आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं?**
   नहीं हम बिना जंगल विभाग के इजाजत के सामान उपयोग नहीं कर सकते है। जिन सामानों से वह अपने विभाग के लिए पैसे बनाते हैं। जंगल के उपज को ला सकते हैं।
6. **जंगल के उत्पादों (वनोपज) तक आपकी पहुँच कम होने का क्या कारण है?**
   हमरी पहुँच कम होने के मुख्या कारण हैं जंगल के व्यवसायीकरण के करण जंगल विभाग का रोक और अब बहुत सी चीजें जंगल में कम हो गई हैं। हमारा गाँव अभ्यारण के पास आता है तो उस तरफ के जंगलों तक हम नहीं जा सकते हैं।

7. **जंगल में ऐसे कौन से उत्पाद है जिनका आप उपयोग करते आये है? इन उत्पादों का क्या उपयोग है?**

जंगल में पहले पाये जाने वाले वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	जंगल में आज पाये जाने वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	इन उत्पादों की की उपयोगिता है।
चार	पहले से कम हो गया है	लकड़ी, फल
तेंदू	पहले से कम हो गया है	लकड़ी, फल, बिज,पत्ता
महुआ	पहले से कम हो गया है	फुल, फल, बिज, लकड़ी
कोसम	बहुत ही काम हो गया है	लकड़ी, फल, बिज,
शीशम	जंगल विभग ने लगाये हैं	लकड़ी, जंगल विभाग ने लगाये हैं
सागौन	जंगल विभाग ने लगाया है।	लकड़ी, जंगल विभाग ने लगाये हैं
सरई	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
बीजा	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
हल्दू	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
तिलसा	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
कर्रा	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
सेनहा	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
साजा	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
कसही	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
अमटी	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
परसा	पहले से कम हो गया है	फुल, पत्ती, लकड़ी
कन्दः– बंसेरा	पहले से कम हो गया है	खाने के उपयोग
पिथाडू	पहले से कम हो गया है	कन्द हैं खाते हैं
कुतलु	पहले से कम हो गया है	कन्द हैं खाते हैं
बलराज	पहले से कम हो गया है	खून की कमी होने पर
केवटी जड़	पहले से कम हो गया है	खून की कमी होने पर
देवनासन	पहले से कम हो गया है	दवाई बनता है
बन अदरक	पहले से कम हो गया है	खांसी
छुही	पहले से कम हो गया है	चुना पत्थर
ऐंठी जड़ी	पहले से कम हो गया है	बच्चों की अच्छी नींद के लिए
महाजाल	पहले से कम हो गया है	बच्चों की अच्छी नींद के लिए
मकोया	पहले से कम हो गया है	फल
कोसम	पहले से कम हो गया है	फल, बिज
बैहरा	पहले से कम हो गया है	सर्दी, खांसी, पाचन
आंवला	पहले से कम हो गया है	बच्चों को चुरना में
आम	पहले से कम हो गया है	फल
चिरायता	पहले से कम हो गया है	बुखार
परसा	पहले से कम हो गया है	फुल से रंग बनता है, पत्ती, लकड़ी
बांस	पहले से कम हो गया है	फुल, बांस, कोपल
बांस मशरूम	पहले से कम हो गया है	सब्जी बनाते हैं।
पीपल भाजी	पहले से कम हो गया है	सब्जी बनाते हैं।

बोहर भाजी	पहले से कम हो गया है	सब्जी बनाते हैं।
कोइलार भाजी	पहले से कम हो गया है	सब्जी बनाते हैं।
कोंजिहारी भाजी	पहले से कम हो गया है	सब्जी बनाते हैं।
कुकुर जीभी भाजी	पहले से कम हो गया है	सब्जी बनाते हैं।
कोसम भाजी	पहले से कम हो गया है	सब्जी बनाते हैं।
चांटी भाजी	पहले से कम हो गया है	सब्जी बनाते हैं।
चनौरी भाजी	पहले से कम हो गया है	सब्जी बनाते हैं।
पिल फुल	पहले से कम हो गया है	सब्जी बनाते हैं।
धन बाहेर फुल	पहले से कम हो गया है	सब्जी बनाते हैं।
कर्रा	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
धौरा	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
सेन्हा	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
करडी	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
शहद	पहले से कम हो गया है	बहुत सी दवावों में मिलाया जाता हैं
बनादा कन्द	पहले से कम हो गया है	दस्त, बुखार
साही पोटा	पहले से कम हो गया है	चेचक
सईहा	पहले से कम हो गया है	खुन बढाता है

8. क्या आपके क्षेत्र में वनरोपण का काम चल रहा है? यदि हाँ तो इस प्रश्न को भरें।

अभी नहीं चल रहा है बहुत पहले हुआ था पर अभी हर 11 वर्षों में कूप खुलता है पेड़ काटने के लिए जिससे आसपास के पेड़ों को काफी नुकसान होता है।

कितने क्षेत्र में वनरोपण किया गया है?	**वनरोपण में कौन से पौधे–पेड़ लगाये गए हैं?**	**इन पेड़–पौधों की क्या उपयोगिता है?**
जानकारी नहीं है।	सागौन, शीशम	वन विभाग बेचता है।

9. इस जंगल में क्या ऐसे कोई पेड़–पौधे (वनस्पति) पाये जाते थे जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता रहा है यदि हाँ तो क्या आज भी यह पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)	**आज पाये जाने वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)**	**किस उपचार में उपयोग किया जाता है?**
बलराज	कम मिलने लगा है	खून की कमी होने पर
केवटी जड़	कम मिलने लगा है	खून की कमी होने पर
देवनासन	कम मिलने लगा है	आलस दूर करता है
बन अदरक	कम मिलने लगा है	दस्त
ऐंठी जड़ी	कम मिलने लगा है	बच्चों की अच्छी नींद के लिए
महाजाल	कम मिलने लगा है	बच्चों की अच्छी नींद के लिए

भुत नासन	कम मिलने लगा है	आलस दूर करता है
बन हाल्दी	कम मिलने लगा है	दस्त
दशमूल	कम मिलने लगा है	खून बढ़ता है
अटायन	कम मिलने लगा है	खून बढ़ता है।
बनादा कन्द	कम मिलने लगा है	दस्त, बुखार
साही पोटा	कम मिलने लगा है	चेचक
सईहा	कम मिलने लगा है	खुन बढाता है
बैहरा	कम मिलने लगा है	सर्दी, खांसी, पाचन
आंवला	कम मिलने लगा है	बच्चों को चुरना में
चिरायता	कम मिलने लगा है	बुखार

10. समुदाय में पहले किस तरह की बीमारियाँ थी और आज किस तरह की बीमारियाँ है?

मलेरिया, चेचक, दर्द, बुखार जैसे बीमारियाँ ही सुनते थे। सभी तरफ रसायनों का बहुत उपयोग होने लगा है इस वजह से आजकल ज्यादा बीमारियाँ होने लगी है। पहले तो लोग बीमार भी नहीं पड़ते थे।

11. इन बिमारियों के उपचार के लिए आप किसके पास सबसे पहले जाते थे और आज इलाज के लिए कहाँ जाते है?

वैध के पास जाते थे जडीबुट से जल्दी ठीक हो जाते थे। आज कल तो डॉक्टर के पास पानी की तरह पैसे बहाना पड़ता है और कभीकभार ठीक भी नहीं हो पते हैं।

12. जंगल के किन उत्पादों का उपयोग आप अपनी आजीविका को मजबूत करने के लिए करते थे क्या आज भी इनका उपयोग कर पा रहे है?

जंगल के उत्पाद	आज पाये जाते है।	उत्पाद की उपयोगिता
हर्रा	पहले की अपेक्षा कम	दवाई
बेहरा	पहले की अपेक्षा कम	दवाई
महुआ	पहले की अपेक्षा कम	खाने
तेंदू	पहले की अपेक्षा कम	खाने
फुटू	पहले की अपेक्षा कम	खाने
तेंदुपत्ता	पहले की अपेक्षा कम	बेचने
बन तुलसा	पहले की अपेक्षा कम	दवाई
चरोटा	पहले की अपेक्षा कम	बेचते हैं

वनोपज से पहले हम 50 से 60 हजार तक कमा लेते थे एक मौसम में आज कल जब से पाबन्दी लगी है बस जंगल विभाग के लिए काम करने जाते हैंजब बुलाया जाता है।

13. जंगल के किन उत्पादों को बेच कर आप अपना जीवन चलाते हैं? कहाँ बेचते हैं?

बेचे जाने योग्य उत्पाद	आज उपयोग कर सकते हैं	कितने में बिकता है? खुले बाजार मैं
बन तुलसा	पहले से काम मिलने लगा है।	10/kg
चरोटा	पहले से काम मिलने लगा है।	8/kg
चार	पहले से काम मिलने लगा है।	100/kg
महुआ फल	पहले से काम मिलने लगा है।	12/kg
तेंदुपत्ता	पहले से काम मिलने लगा है।	400/सैंकड़ा
महुआ	पहले से काम मिलने लगा है।	40/kg
लाख	पहले से काम मिलने लगा है।	100/kg
करील	पहले से काम मिलने लगा है।	150/kg
झाडू	पहले से काम मिलने लगा है।	20/kg
सोना	पहले से काम मिलने लगा है।	10 हजार तक
कचनार	पहले से काम मिलने लगा है।	12/kg

14. जंगल में आपको किस तरह के खतरे हैं और आप इसका सामना कैसे करते है?

जंगल विभाग के कर्मचारी से बच कर पकडे गए तो पैसे देकर 500 से 1000 तक लेते हैं, जंगली जानवरों तो हमें देख कर भागते हैं दूर ही रहते है जबरदस्ती हमला नहीं करते हैं।

15. जंगल को आपसे किस तरह के खतरे और फायदे हैं?

खतरे	जंगल की सुरक्षा करते हैं
कुछ बुरे लोग लकड़ी चोरी करते हैं।	चौकीदारी करते हैं
	आग लगने पर बुझाने जाते है
	हम नहीं होंगे तो जंगल विभाग जंगल को पूरा साफ कर देगा

16. इस जंगल मैं किस तरह के जानवर पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले वन्यजीव	आज भी पाये जाने वाले वन्यजीव	नहीं पाये जाने के कारण
हिरण	कम हो गये हैं।	शिकार
खरगोश	कम हो गये हैं।	शिकार
साभर	कम हो गये हैं।	शिकार
वन भैंसा	कम हो गये हैं।	शिकार
जंगली सूअर	कम हो गये हैं।	शिकार
बाघ	कम हो गये हैं।	तस्करी और शिकार
गिद्द	कम हो गये हैं।	शिकार
बंदर	कम हो गये हैं।	शिकार
नेवला	कम हो गये हैं।	शिकार
चिता	कम हो गये हैं।	अब नहीं हैं तस्करी और शिकार
भालू	कम हो गये हैं।	शिकार
तेंदुआ	कम हो गये हैं।	शिकार
लकडबग्घा	कम हो गये हैं।	शिकार
सियार	कम हो गये हैं।	शिकार

चितर	कम हो गये हैं।	शिकार
कलाहिरण	अब नहीं है	शिकार
बार सिंघा	कम हो गये हैं।	शिकार
नील गाय	कम हो गये हैं।	शिकार
मोर	कम हो गये हैं।	शिकार
सोनकुत्ता	कम हो गये हैं।	शिकार
हांथी	नया है	
जहरीले सांप	बहर से लाकर छोड़ा गया है।	

17. **वन सम्पदा को बचाने के लिए आपका क्या योगदान रहा है?**
जंगल में आग लगने से बचाते हैं। जंगल में लकड़ी की चोरी भी रोकते है। वन विभाग के काम में गाँव के लोग मदद करते हैं।

18. **जंगल में जाने की पाबन्दी से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है और जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा है?**
अब आजादी से सामान नहीं मिलने की वजह से आजीविका काम हुई है। महुआ के दारू में व्यवसायीकरण की वजह से उसकी औषधीय गुण की तरफ लोग दयां नहीं देते हैं। जंगल विभाग आवश्यकता से अधिक पेड़ काट लेता है जैसे 500 लिख कर 5000 काट लेता है।

19. **आपके इष्ट देवी–देवता कौन है जिनकी आप पूजा करते है?**
जंगला पाठ (राज्य की रक्षा के लिए इसे पूरा इलाका मानता है), कुरु पाठ (दरवाजे पर रहते हैं), दूल्हादेव और पतेरी देवी (घर के अन्दर), बूढी माई और गौरईया (कोठा जहाँ जानवर रखा जाता है), महिसासुर (कोठार और खेत में), ठाकुर देव (गाँव के)

20. **आपका खान–पान पहले जैसा है या इसमें कुछ बदलाव आया है? (मौसम और समय के आधार पर)**
कुछ बदलाव आये हैं। पहले हम गेहूं नहीं खाते थे राशन नें गेहूं मिलने पर इसे खान और उगाना भी सिखा। पहले रोटी हम महुआ, कोढहा से बनाते थे। जंगल में पाई जाने वाली चीजें नहीं खा पा रहे हैं।

21. **आप पहले ज्यादा आत्मनिर्भर थे या आज?**
जमीन मलने के बाद से अभी हम ज्यादा आत्मनिर्भर हैं। (थ्त। के तहत कुछ लोगों को जमीन मिली है उसमें से एक साथी हैं।)

22. **आपका वार्षिक चक्र जंगल के उत्पादों (वनोपज) के साथ क्या होता था और आज यह चक्र कैसा है?**
मई,जून तेंदूपत्ता –– मार्च में महुआ,तेंदू,चार, –– जनवरी हर्रा,बेहरा, –– जून से दिसम्बर तक खेती का काम करते हैं साथ ही करील, दोना, पत्तल का काम करते हैं दुसरी फसल भी लगाते हैं चना धान, गेहूं, दालें, सरसों अलसी, सब्जीद्य ज्यादातर वनोपज गर्मी में मिलते हैं। बारिश से सितम्बर तक सोना कालने जाते हैं।

प्रश्नावली

गाँव का नाम :– विक्रम नगर, उड़ीसा
उम्र / लोग :– 25–30 लोग
लिंग :– पुरुष महिला दोनों थे
व्यवसाय :– खेती, वन उपज, मजदूरी

1. **आपका जीवन किस जंगल पर आधारित है?**
   गंधमार्धन
2. **यह जंगल किस तरह का है? क्या यहाँ जाने में कोई रोक है यदि हाँ तो कब से?**
   खुला जंगल है।
3. **क्या आप पारंपरिक रूप से जंगल जमीन का उपयोग करते आ रहे हैं? हाँ**
4. **आपके अनुसार जंगल क्या है? (परिभाषा / समझ)**
   जंगल हमारा है। हमारा सारा निस्तार वही से होता है। जंगल मैं दवाइयां, भोजन, पेड़–पौधे सभी कुछ मिलता है। एक तरह से बोलें तो जंगल ही हमारा जीवन है।
5. **क्या आज आप जंगल के उत्पादों (वनोपज) का स्वेक्षा से आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं?**
   आज हम किसी भी तरह का पेड़ नहीं काट के ला सकते हैं। थोडा बहुत जंगल का उपज लाकर उपयोग कर ले रहे हैं।
6. **जंगल के उत्पादों (वनोपज) तक आपकी पहुँच कम होने का क्या कारण है?**
   वन विभाग की वजह से हम जंगल की चीजों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।
7. **जंगल में ऐसे कौन से उत्पाद है जिनका आप उपयोग करते आये है? इन उत्पादों का क्या उपयोग है?**

जंगल में पहले पाये जाने वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	जंगल में आज पाये जाने वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	इन उत्पादों की की उपयोगिता है।
बीजा	पहले से कम हो गये हैं।	लकड़ी
साजा (साहाज)	पहले से कम हो गये हैं।	लकड़ी
तेंदू (केंदु)	पहले से कम हो गये हैं।	फल, पत्ता, लकड़ी
रेंगाल	पहले से कम हो गये हैं।	लकड़ी
करला	पहले से कम हो गये हैं।	लकड़ी
सेन्हा	पहले से कम हो गये हैं।	लकड़ी
धातुक	पहले से कम हो गये हैं।	लकड़ी

महुआ	पहले से कम हो गये हैं।	फुल ,फल, लकड़ी बिज
चार	पहले से कम हो गये हैं।	फल बिज
बांस	पहले से कम हो गये हैं।	बांस बिज करील
कुरे	पहले से कम हो गये हैं।	लकड़ी पत्ती
सुनारी	पहले से कम हो गये हैं।	लकड़ी
गम्हेर	पहले से कम हो गये हैं।	लकड़ी
बतला कंदा	पहले से कम हो गये हैं।	
कसा कंदा	पहले से कम हो गये हैं।	
पिट कंदा	पहले से कम हो गये हैं।	
कुलिह	पहले से कम हो गये हैं।	
सागः–	पहले से कम हो गये हैं।	खाते हैं
ढेऊ साग	पहले से कम हो गये हैं।	खाते हैं
कुंजेर साग	पहले से कम हो गये हैं।	खाते हैं
फेन साग	पहले से कम हो गये हैं।	खाते हैं
चोकड़ा साग	पहले से कम हो गये हैं।	खाते हैं
गधोपुर्नी साग	पहले से कम हो गये हैं।	खाते हैं
गुनी साग	पहले से कम हो गये हैं।	खाते हैं
सीरल साग	पहले से कम हो गये हैं।	खाते हैं
सुनसुनिया साग	पहले से कम हो गये हैं।	खाते हैं
भनभदरिया साग	पहले से कम हो गये हैं।	खाते हैं
केना साग	पहले से कम हो गये हैं।	खाते हैं
मुसाकनी साग	पहले से कम हो गये हैं।	खाते हैं
करील (बांस, कर्डी)	पहले से कम हो गये हैं।	खाते हैं
हर्रा	पहले से कम हो गये हैं।	फल लकड़ी
आँवला	पहले से कम हो गये हैं।	फल लकड़ी
बेहरा	पहले से कम हो गये हैं।	फल लकड़ी
कोसम	पहले से कम हो गये हैं।	फल लकड़ी
केन्टी	पहले से कम हो गये हैं।	फल (तेल) लकड़ी
बॉरदा	पहले से कम हो गये हैं।	फल लकड़ी
जामुन (जाम)	पहले से कम हो गये हैं।	फल लकड़ी
आम	पहले से कम हो गये हैं।	फल लकड़ी
ईमली (तेतेल)	पहले से कम हो गये हैं।	फल लकड़ी
नार्गी	पहले से कम हो गये हैं।	लकड़ी
खेक्सी (कंकडो)	पहले से कम हो गये हैं।	फल
गोरुड़	पहले से कम हो गये हैं।	फल लकड़ी (दावा विषनाशक)
नीम	पहले से कम हो गये हैं।	फल, फुल, पत्ती, लकड़ी, बिज

8. आपके क्षेत्र में वनरोपण का काम चल रहा है? यदि हाँ तो इस प्रश्न को भरें।

हाँ आज तक हमारा निस्तार जिस जंगल में हो रहा था वहां ये वनरोपण कर रहे हैं।

कितने क्षेत्र में वनरोपण किया गया है?	वनरोपण में कौन से पौधे–पेड़ लगाये गए हैं?	इन पेड़–पौधों की क्या उपयोगिता है?
100 हेक्टेयर	सागौन	व्यवसाय
	निलगिरी	

9. इस जंगल में क्या ऐसे कोई पेड़–पौधे (वनस्पति) पाये जाते थे जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता रहा है यदि हाँ तो क्या आज भी यह पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)	क्या ये आज पाए जाते हैं?	किस उपचार में उपयोग किया जाता है?
धातुक फुल	कम हो गया हैं	आँखों के इन्फेक्शन में
कुंजेर	कम हो गया हैं	आयरन की कमी में
हर्रा	कम हो गया हैं	खांसी
बेहरा	कम हो गया हैं	खांसी
आँवला	कम हो गया हैं	उपरोक्त तीनो को मिला कर पाचन में
निरगुनी	कम हो गया हैं	जोड़ों के दर्द

10. समुदाय में पहले किस तरह की बीमारियाँ थी और आज किस तरह की बीमारियाँ है?

हैजा, कल्सा, माता (छोटी, बड़ी), मलेरिया, टी.बी. ये सब होता था। आज कल तो बहुत सी बीमारियाँ है नाम भी नहीं याद रहेता है।

11. इन बिमारियों के उपचार के लिए आप किसके पास सबसे पहले जाते थे और आज इलाज के लिए कहाँ जाते है?

पहले तो हम बहुत इलाज घर पर ही करते थे ठीक नहीं होने पर उसके पास जाते थे और उसी से ठीक हो जाते थे। आज कल तो डॉ. के दरवाजा ही दीखता है। जब से डॉ. की दवाइयां उपयोग कर रहे हैं तब से शरीर पर जडीबुट का असर भी कम होने लगा है। खेती में जो दवाइयां डाली जा रही हैं वो इतनी जहरीली हैं। फसलों के द्वारा हमारे शरीर मैं आरहा है। शरीर कमजोर होता जा रहा है।

12. जंगल के किन उत्पादों का उपयोग आप अपनी आजीविका को मजबूत करने के लिए करते थे क्या आज भी इनका उपयोग कर पा रहे है?

पहले की तरह नहीं कर पा रहे हैं।

13. जंगल के किन उत्पादों को बेच कर आप अपना जीवन चलाते हैं? कहाँ बेचते हैं?

बेचे जाने योग्य उत्पाद	आज उपयोग कर सकते हैं	कितने में बिकता है?
महुआ	उत्पादन कम हो गया है	35/kg
डोरी	उत्पादन कम हो गया है	25/kg
चार	उत्पादन कम हो गया है	100/kg
हर्रा	उत्पादन कम हो गया है	
आँवला	उत्पादन कम हो गया है	
लासा	उत्पादन कम हो गया है	25/kg
गिरंगिला लासा	उत्पादन कम हो गया है	500/kg
बेहरा	उत्पादन कम हो गया है	
चरोटा	उत्पादन कम हो गया है	40/kg
मसना कन्द	उत्पादन कम हो गया है	40/kg
गिट्टी तोड़ते	जंगल में तोड़ते हैं	1200/ट्राली
बजरी बनाना	गिट्टी को तोड़ कर बनाते हैं	3500/ट्राली

14. जंगल में आपको किस तरह के खतरे हैं और आप इसका सामना कैसे करते है?

जंगल विभाग से डरते हैं जानवरों से डरते हैं नक्सल से डरते हैं कंपनियों का हमारे क्षेत्र में आने का डर है।

15. जंगल को आपसे किस तरह के खतरे और फायदे हैं?

खतरे	फायदे
चोरों का खतरा है	जंगल की देखभाल करते हैं।
	आग बुझाते हैं
	चोरी से बचाते हैं

16. इस जंगल मैं किस तरह के जानवर पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले वन्यजीव	आज भी पाये जाने वाले वन्यजीव	नहीं पाये जाने के कारण
शेर	शेर	आज भी मिलते हैं
चिता	चिता	आज भी मिलते हैं
भालू	भालू	आज भी मिलते हैं
हांथी	आते रहते हैं	

17. **वन सम्पदा को बचाने के लिए आपका क्या योगदान रहा है?**
बाहर के लोगों द्वारा हो रही चोरी को रोकते है आग बुझाने जाते है।

18. **जंगल में जाने की पाबन्दी से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है और जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा है?**
कैमरा लगा दिया है जलु लकड़ी भी लेने जाने पर रोकते हैं हम छुप कर जाते हैं पकडे जाने पर बहुत मारते हैं। कोर्ट भेज देते है केस लगा कर। हमारी कुल्हाड़ी छीन लेते हैं। जीवन चलाने में बहुत समस्या हो रही है।

19. **आपके इष्ट देवी–देवता कौन है जिनकी आप पूजा करते है?**
बुढा राजा, दुर्गाई बूढी, विन्ध्यावास्नी, नर्सिंग महा प्रभु, भीम (रक्षा के लिए), ग्राम पति, ठाकुर बुढा, अलेक महिमा गुडी।

20. **आपका खान–पान पहले जैसा है या इसमें कुछ बदलाव आया है? (मौसम और समय के आधार पर)**
आज के जमाने में मिल का खाते हैं। पहले अपने हांथों से ढेंकी क कुता खाते थ। खाने की चीजें असली होती थी थोडा खाते थे असली खाते थ। पहले के धान भी आज के धनों से अलग थे। आज सभी चीजों मैं मिलावट हो गई है सरकार ने 1 रूपये किलो चांवल कर दिया है हमारी आगे की पीडी और भी आलसी होती जा रही है। खानें में स्वाद भी पहले की तरह नहीं आता है पहले चांवल को नामक के साथ खाने से भी स्वाद आता था आज कई सब्जियों के साथ खाने से भी पहले जैसा स्वाद नहीं आता है।

21. **आप पहले ज्यादा आत्मनिर्भर थे या आज?**
पहले ज्यादा आत्मनिर्भर थे आज काम हैं।

22. **आपका वार्षिक चक्र जंगल के उत्पादों (वनोपज) के साथ क्या होता था और आज यह चक्र कैसा है?**
खेती करते हैं बाकि समय में गिट्टी तोड़ने जाते हैं हमारा गाँव पाइक्मल से करीब है लोग वहां पर मजदूरी करने के लिए भी जाते है।

23. **गाँव का संक्षिप्त इतिहासः–** 1957 में हमारे गाँव को विक्रमादित्य सिंह बरिहा ने बसाया था उन्ही के नाम पर हमारे गाँव का नाम पड़ा है। राजा थे साथ ही कांग्रेस के नेता भी थे। उन्होंने भूमिहीन लोगों को जमीन काटकर घर बनाने की जगह दी थी। यहाँ पीला बहुत ही घाना जंगल था। अब तो जंगल काम होने लगे हैं। हमने बालको कंपनी का भी विरोध किया था जब वह हमारे यहाँ आये थें वो हमारे गंधामार्धन को हमसे छिनना चाहते थे हमने होने नहीं दिया। फिर भी डर लगा रहता है। कब कोई दूसरी कंपनी आकर फिर वही प्रक्रिया शुरू कर देद्य लड़ेंगे तो तब भी हम ही अगर जिंदा रहे तो। बाकि आजकल की पीडी का कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्हें तो प्रकृति से लगाव ही नहीं है। बस फोन में घुसे रहते हैं।

प्रश्नावली

गाँव का नाम :– भरुवा मुंडा, उड़ीसा
उम्र :– 30 से 65 वर्ष (सामूहिक चर्चा), 50 लोग
लिंग :– महिल और पुरुष
व्यवसाय :– खेती, मजदूरी और जंगल के उत्पाद

1. **आपका जीवन किस जंगल पर आधारित है?**
   चटई डोंगर, तेल झरन, फुलवारी, सुनाबेडा (गुडा पर्वत)
2. **यह जंगल किस तरह का है? क्या यहाँ जाने में कोई रोक है यदि हाँ तो कब से?**
   यह गाँव सुनाबेडा सेंचुरी के अन्दर आता है। लगभग 20 वर्ष (1997 को तिग्गोश्ना की गई) जब से सेंचुरी (शेरोन के लिए आरक्षित) में घेरा लगाने की प्रक्रिया शुरू हुआ है तब से उत्पाद लेने की मनाही है।
3. **क्या आप पारंपरिक रूप से जंगल जमीन का उपयोग करते आ रहे हैं?**
   हाँ।
4. **आपके अनुसार जंगल क्या है? (परिभाषा / समझ)**
   जंगल हमारी जिंदगी है पर जंगल विभाग इसे व्यवसाय के रूप में देखता है। यह हमारे माता–पिता के सामान है। इससे हमारा सम्पूर्ण पोषण और निस्तार होता है। मिटटी हमारी है, संसाधन हमारा है, जंगल हमारे है। हम कहाँ जायेगे वनविभाग हमें रोकता हैद्य सभी चीजों को बेचना तो साही नहीं होगा ना।
5. **क्या आज आप जंगल के उत्पादों (वनोपज) का स्वेक्षा से आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं?**
   नहीं कर सकते जंगल विभाग की मनाही है।
6. **जंगल के उत्पादों (वनोपज) तक आपकी पहुँच कम होने का क्या कारण है?**
   जंगल विभाग माना करता है। जंगल में घेरा लगाया जा रहा है।
7. **जंगल में ऐसे कौन से उत्पाद है जिनका आप उपयोग करते आये है? इन उत्पादों का क्या उपयोग है?**

जंगल में पहले पाये जाने वाले पेड़–पौध	जंगल में आज पाये जाने वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	इन उत्पादों की की उपयोगिता है।
पिट कांदा	पहले के अपेक्षा से कम	कन्द है खाने के उपयोग आता है
बतला कांदा	——//——	कन्द है खाने के उपयोग आता है
कुलिआर भाजी	——//——	साग है खाते हैं ।
मजूर झोली	——//——	साग है खाते हैं ।
सुनसुनिया साग	——//——	साग है खाते हैं ।
कुलिहा कांदा	——//——	कन्द है खाने के उपयोग आता है
कसुर कांदा	——//——	कन्द है खाने के उपयोग आता है
तिलसा	——//——	लकड़ी
बीजा	——//——	लकड़ी
साजा	——//——	लकड़ी
सेनहा	——//——	लकड़ी
करला	——//——	लकड़ी

8. क्या आपके क्षेत्र में वनरोपण का काम चल रहा है? यदि हाँ तो इस प्रश्न को भरें।

नहीं हो रहा।

9. इस जंगल में क्या ऐसे कोई पेड़–पौधे(वनस्पति) पाये जाते थे जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता रहा है यदि हाँ तो क्या आज भी यह पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)	आज पाये जाने वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)	किस उपचार में उपयोग किया जाता है?
हर्रा	कम हो गया है।	खांसी
बेहरा	कम हो गया है।	खांसी
आँवला	कम हो गया है।	उपरोक्त दोनों को मिलकर पाचन में
भुइनिम	कम हो गया है।	बुखार, चुनना, मलेरिया
सताबरी	कम हो गया है।	पित्त, दूध बनने के लिए माँ को
साबरबान	कम हो गया है।	खून की कमी दूर करता है।
बंसी गोपाल	कम हो गया है।	बात,पित्त,कफ तीनों में
बाघ चौड़ा	कम हो गया है।	
रक्त पीड़ा	कम हो गया है।	खून की कमी
भुई कुरवा	कम हो गया है।	
देवनासन	कम हो गया है।	
रासना	कम हो गया है।	बात रोग
तुलसी	कम हो गया है।	खून साफ, खांसी

10. समुदाय में पहले किस तरह की बीमारियाँ थी और आज किस तरह की बीमारियाँ है?

बार–बार आने वाला बुखार (टायफाईड), हैजा, माता, टी.बी., आदि बीमारियाँ ही सुनने को मिलती थी। आज कल तो हमेशा नई बीमारियाँ सुनने को मिल रही हैं।

11. इन बिमारियों के उपचार के लिए आप किसके पास सबसे पहले जाते थे और आज इलाज के लिए कहाँ जाते है?

बैदय के पास जाते थे जो हमारा इलाज करता था। आज कल तो शरीर मैं जड़ी बूटी का इलाज काम होगया है। औषधि बनाने में मेहनत ज्यदा लगती है। जडीबुटी शरीर मैं धीरे–धीरे काम करती है। शरीर मैं विष ज्यादा हो गया है। लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आया है। हर चीज जल्दी होनी चाहिए इलाज भी।

12. जंगल के किन उत्पादों को बेच कर आप अपना जीवन चलाते हैं? कहाँ बेचते हैं?

बेचे जाने योग्य उत्पाद	पहले उपयोग करते थे	आज उपयोग कर सकते हैं	कितने में बिकता है? खुले बाजार मैं
महुआ	महुआ	पहले से कम	20/kg
तेंदू	तेंदू	पहले से कम	
चार	चार	पहले से कम	100/kg
झाडू	झाडू	माना करते हैं	20/नग
तेंदू पत्ता	तेंदू पत्ता	बंद हो गया है	
हर्रा	हर्रा	पहले से कम	12/kg
भेलवां	भेलवां	पहले से कम	10/kg
बेहरा	बेहरा	पहले से कम	20/kg
साल	साल	पहले से कम	40/kg
आँवला	आँवला	पहले से कम	60/kg
बेल	बेल	पहले से कम	25/नग
गोंदेला जड़ी	गोंदेला जड़ी	पहले से कम	15/kg
भैंसा बुडू का जड़	भैंसा बुडू का जड़	पहले से कम	100/kg
डोरी	डोरी	पहले से कम	25/kg

13. जंगल में आपको किस तरह के खतरे हैं और आप इसका सामना कैसे करते है?

जंगल में नये जानवर लाकर छोड़ा जा रहा है। जो आज कल काफी हमला करने लगे हैं। जंगल विभाग हमें रोकता है। नक्सल का खतरा

14. जंगल को आपसे किस तरह के खतरे और फायदे हैं?

खतरे	फायदे
हमारे कुछ लोगों में लालच गया है लकड़ी की चोरी करते हैं	आग बुझाते हैं, चोरों को पकड़ने में मदद करते हैं।

15. इस जंगल मैं किस तरह के जानवर पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले वन्यजीव	आज भी पाये जाने वाले वन्यजीव	नहीं पाये जाने के कारण
शेर	शेर	
भालू	भालू	
चिता	चिता	
सांबर	सांबर	
कूटरा (कोटरी)	कूटरा (कोटरी)	
खरगोश	खरगोश	
नीलगाय	नीलगाय	
सियार	सियार	
लकडबग्घा	लकडबग्घा	
साही	साही	
बंदर	बंदर	
मोर	मोर	
गोहिया	गोहिया	
बन भैंसा	बन भैंसा	

16. वन सम्पदा को बचाने के लिए आपका क्या योगदान रहा है?

चोरी रोके हैं। यदि हम एक पेड़ काटते हैं तो दो पेड़ लगाते भी हैं। जब तक घेरा नहीं लगाया गया था चोरी काम थी घेरा लगने के बाद चोरियां ज्यादा बढ़ गई है। जंगल मैं आग बुझाते हैं।

17. जंगल में जाने की पाबन्दी से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है और जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

जलाऊ लकड़ी, तेंदूपत्ता सब लेना बंद कर दिए हैं। हमारे आय का श्रोत था। गाँव का विकास बंद कर रहे हैं।

18. आपके इष्ट देवी–देवता कौन है जिनकी आप पूजा करते है?

छोटीमाता, बुढादेव, सेना दाई,

19. **आपका खान–पान पहले जैसा है या इसमें कुछ बदलाव आया है? (मौसम और समय के आधार पर)**

आज कल खान–पान मैं बहुत बदलाव आया है। सभी जहरीली चीजें खा रहे हैं। शरीर कमजोर होता जा रहा है। पहले खुद उगाते थे अब तो सब बजार में मिलता है यूरिया वाला। उपज बढ़ाने की लालच में सब डाला जाता है।

20. **आप पहले ज्यादा आत्मनिर्भर थे या आज?**

पहले ज्यादा आत्मनिर्भर थे।

21. **आपका वार्षिक चक्र जंगल के उत्पादों (वनोपज) के साथ क्या होता था और आज यह चक्र कैसा है?**

खेती हैं, जंगल की कुछ चीजें जो लेने देते हैं लेते हैं, जंगल विभाग द्वारा काम चलाते हैं उसमें मजदूरी, मनरेगा में काम, जिनको काम नहीं मिलता पलायन करते है कारखानों और ईंट भट्ठों में कटक और UPI

22. **गाँव का संक्षिप्त इतिहास** :– लगभग 300 वर्ष पहले हम यहाँ बसे थे पहले यहाँ पर सिर्फ 5 घर होते थे। आज बढ़ कर यह 300 घर हो गया है लगभग 2000 की जनसँख्या का गाँव है। पहले हम स्वतंत्रता से हमारे जंगल का उपयोग करते थे। धीरे–धरे यह काम होता जा रहा है। पहले यह एक आदिवासी गाँव था। आज यहाँ बहुत से जाती के लोग हैं। गोंड, यादव, तेली, केंवट, लोहार, भुंजिया, चिकुटिया, कमार, कुम्हार आदि।

प्रश्नावली

गाँव का नाम :– फ्रेजरपुर (आदिवासी कॉलोनी), उड़ीसा

उम्र :– 40 से 70 वर्ष (समूह चर्चा), 35–40 लोग

लिंग :– महिला, पुरुष दोनों थे

व्यवसाय :– खेती, मवेश चराना, जंगल के उत्पाद लेना और मजदूरी

1. **आपका जीवन किस जंगल पर आधारित है?**
   उत्तरी पठार, राबन गुडा, लाई मुंडा
2. **यह जंगल किस तरह का है? क्या यहाँ जाने में कोई रोक है यदि हाँ तो कब से?**
   आरक्षित (रिजर्व फारेस्ट) जंगल, ग्रामीण जंगल है।
3. **क्या आप पारंपरिक रूप से जंगल जमीन का उपयोग करते आ रहे हैं?**
   हाँ।
4. **आपके अनुसार जंगल क्या है? (परिभाषा/समझ)**
   जंगल जहाँ पेड़–पौधे, जानवर, जडीबुटी, और भी बहुत कुछ मिलता है। जंगल से हमारा जिविका चलता है। जंगलों के साधनों का हम उपयोग करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं।
5. **क्या आज आप जंगल के उत्पादों (वनोपज) का स्वेक्षा से आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं?**
   जंगल विभाग मैं काम करने वाले रोकते हैं। पहले यह रुकावट बहुत ही ज्यादा थी अभी बांध के निर्माण और अरक्षित जंगल घोषित करने के बाद कम हुआ है।
6. **जंगल के उत्पादों (वनोपज) तक आपकी पहुँच कम होने का क्या कारण है?**
   जंगल की लकड़ियों को जंगल विभाग बेचता है।
7. **जंगल में ऐसे कौन से उत्पाद है जिनका आप उपयोग करते आये है? इन उत्पादों का क्या उपयोग है?**

जंगल में पहले पाये जाने वाले वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	जंगल में आज पाये जाने वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	इन उत्पादों की उपयोगिता है।
महुआ	मिलते हैं पर संख्या काम हो गई है।	फल, फुल,बिज,लकड़ी, छाल
चार	--//--	लकड़ी फल बिज
साल	--//--	लकड़ी
रेंगाल	--//--	लकड़ी
आम	--//--	फल लकड़ी
तेंदू	--//--	फल पत्ता लकड़ी
हर्रा	--//--	फल लकड़ी
बैहरा	--//--	फल लकड़ी
आँवला	--//--	फल लकड़ी
फरसा	--//--	पत्ता फल लकड़ी
मोरुन	--//--	लकड़ी
कुरे	--//--	लकड़ी
कोरला	--//--	लकड़ी
धातुक	--//--	लकड़ी
बाढ़ूल	--//--	झाड़ू
बांस	--//--	फल बांस अंकुर
जामुन	--//--	फल पत्ती लकड़ी
ईमली	--//--	फल लकड़ी
गोहेरिया	--//--	लकड़ी
बाबुल	--//--	फल पत्ती लकड़ी
छीन (जंगली खजूर)	--//--	पत्ता (झाड़ू छत) फल
सुनारी	--//--	लकड़ी
साल	--//--	लकड़ी
बेल	--//--	फल पत्ती लकड़ी
नीम	--//--	फल,पत्ती, फुल,बिज,लकड़ी,छाल
कन्दः– बतला कांदा	--//--	खाने के काम आता है
पिता कांदा	--//--	खाने के काम आता है
कसा कांदा	--//--	खाने के काम आता है
सिमली कांदा	--//--	खाने के काम आता है
भुई कखारू (पताल कोहड़ा)	--//--	खाने के काम आता है
कुलिहा कांदा	--//--	खाने के काम आता है
लस्केर कांदा	--//--	खाने के काम आता है
रसना	--//--	बात रोग, कान दर्द
सस्तर भेजीरी	--//--	उल्टी की दवा
भुई निम	--//--	चुरना की दवा
गुलची लह	--//--	रोग प्रतिरोधक,रक्त शोधक, बुखार
मेंढा मुंल	--//--	बात रोग
चन्दुर चेंर	--//--	खून साफ
सागः– फेन साग	--//--	

कुकुर जीभी साग	--//--	
नीम फुल साग	--//--	क्रीमी नाशक, रक्त शोधक
मारक लीचि	--//--	
भन भदरिआ	--//--	
गिरेल फुल	--//--	
चंटी भाजी	--//--	पेट की गर्मी काम करता है, पेशाब साफ करता है।
भुई नीम	--//--	
रक्सी	--//--	
ज्वार	--//--	

8. क्या आपके क्षेत्र में वनरोपण का काम चल रहा है? यदि हाँ तो इस प्रश्न को भरें।

हाँ अलग–अलग समय में पांच बार लगाया गया है।

कितने क्षेत्र में वनरोपण किया गया है?	वनरोपण में कौन से पौधे–पेड़ लगाये गए हैं?	इन पेड़–पौधों की क्या उपयोगिता है?
40 हेक्टेयर	निलगिरी, सागौन, विदेशी नीम	जंगल विभाग बेचता है
60 हेक्टेयर	अकासिया, खैर, करंज,	
30 हेक्टेयर		

9. इस जंगल में क्या ऐसे कोई पेड़–पौधे (वनस्पति) पाये जाते थे जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता रहा है यदि हाँ तो क्या आज भी यह पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)	आज पाये जाने वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)	किस उपचार में उपयोग किया जाता है?
सतावरी	पहले की अपेक्षा आज काम पाई जाती है|	शरीर की गर्मी काम करता है
भुतरी लता	--//--	महिलाओं के लिए अशोकारिष्ट की तरह काम करता है, प्रदर रोग
रक्त पेंडी	--//--	महिलाओं में खून रोकने के लिए, रक्त अमाशय में
पताल कोहड़ा	--//--	ताकत के लिए
तालमुली	--//--	ताकत के लिए
सेमल कांदा	--//--	गर्मी काम करता है, ताकत देता है
कोल (खाईल खामर)	--//--	प्रसव के बाद महिला को देते हैं।
तालमुली	--//--	प्रसव के समय
सस्तर भेजी	--//--	प्रसव के समय और बाद
तुलसी	--//--	खांसी, बुखार, हाजमा

अकाण बिंधू	--//--	
पैन बेल	--//--	जोड़ों के दर्द में
गंगा सिउलि	--//--	मलेरिया
भुई कदम	--//--	मलेरिया
गुड मार	--//--	शुगर हटाने
कुरे	--//--	सभी बीमारी में
डुमेर गुरस	--//--	बच्चों को पिलाते हैं
सुनसुनिया मुदी	--//--	बच्चों को चुनना में

10. समुदाय में पहले किस तरह की बीमारियाँ थी और आज किस तरह की बीमारियाँ है?

जुडी जर (मलेरिया), टाइफाईड, तीन दिनिया जर(तीन दिनों तक रहेता था) यही सब सुनते थे। आज कल तो बहुंत बीमारियाँ है। और एक नया कोरोना जुड़ गया है।

11. इन बिमारियों के उपचार के लिए आप किसके पास सबसे पहले जाते थे और आज इलाज के लिए कहाँ जाते है?

वैद्य के पास जाते थे दो तीन दिन मैं ठीक हो जाते थे। आज कल तो डा. के पास जाते हैं बहुत से डॉ.गाँव मैं भी घूमते रहते हैं उनसे दवाई ले लेते हैं।

12. जंगल के किन उत्पादों को बेच कर आप अपना जीवन चलाते हैं? कहाँ बेचते हैं?

बेचे जाने योग्य उत्पाद	पहले उपयोग करते थे	आज उपयोग कर सकते हैं	कितने में बिकता है?
महुआ	महुआ	पहले से कम	65/kg
बेहरा	बेहरा	पहले से कम	7/kg
हर्रा	हर्रा	पहले से कम	10/kg
चार	चार	पहले से कम	150-200/kg
आँवला	आँवला	पहले से कम	25/kg
कुरे बिज	कुरे बिज	पहले से कम	15/kg
तेंदू	तेंदू	आज कल नहीं लगता	
तेंदुपत्ता	तेंदुपत्ता	पहले से कम	100/सैंकड़ा
डोरी	डोरी	पहले से कम	16/kg

13. जंगल में आपको किस तरह के खतरे हैं और आप इसका सामना कैसे करते है?

जंगल विभाग, रेवेनु विभाग दोनों ही विभाग हमें परेशान कर रखे हैं।

14. जंगल को आपसे किस तरह के खतरे और फायदे हैं?

15. इस जंगल मैं किस तरह के जानवर पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले वन्यजीव	आज भी पाये जाने वाले वन्यजीव	नहीं पाये जाने के कारण
सियार	सियार	
जंगली बिल्ली	जंगली बिल्ली	
सांप	सांप	
खरगोश	खरगोश	
गहिया	गहिया	
शेर		जंगल की कमी, शिकार करने वाले जहर देकर भी मार देते थे

16. वन सम्पदा को बचाने के लिए आपका क्या योगदान रहा है?

जंगल को दूसरों को काटने नहीं देते हैं। जंगल विभाग के रोक–टोक की वजह से जंगल के साथ हमारे नये पीढ़ी का लगाव भी काम हो रहा है।

17. जंगल में जाने की पाबन्दी से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है और जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

खेती का उपकरण बनाने के लिए जंगल से लकड़ी भी नहीं ला सकते। जंगल विभाग की वजह से धीरे–धीरे जंगल भी खत्म हो रहा है। पेड़ कटता तो है विभाग पर दुसरे पेड लगता नहीं है पेड़ों की देखभाल भी नहीं करता है। जानवर भी जंगल छोड़ कर दुसरे जगह जा रहे हैं जो नहीं जाते भूख से मर रहे हैं।

18. आपके इष्ट देवी–देवता कौन है जिनकी आप पूजा करते है?

ग्राम पती, बुढा राजा, बूढी मौली, रकाम, बस्तरेन मौली।

19. आपका खान–पान पहले जैसा है या इसमें कुछ बदलाव आया है? (मौसम और समय के आधार पर)

आज मील का खाना खा रहे है पहले अपने हांथों से खेती करके खाते थे। पहले शुद्ध खाते थे अपना बनाया खाते थे अलग तरह की चीजें खाते थे गुड बनाते थे, अनाज से लाई बनाते थे मिठाइयाँ बनाते थे बहुत कुछ बनाते थे। आज कल तो बच्चे वो सब नहीं खाते है बस चिप्स कुरकुरे को देख लिए हैं और वही खाना चाहते हैं। इसमें पता नहीं पोषण मिलता भी है या नहीं। मिटटी के बर्तनों मैं खाना बनाते थे। सब बदल गया है।

20. आप पहले ज्यादा आत्मनिर्भर थे या आज?

पहले ज्यादा आत्मनिर्भर थे। पहले हम अपना कमाते थे खाते थे काम पड़ा तो जंगल से ले आते थे। आज तो हम सरकार को चांवल बेचते हैं और सोसायटी का चांवल खाते है सस्ता है करके।

21. आपका वार्षिक चक्र जंगल के उत्पादों (वनोपज) के साथ क्या होता था और आज यह चक्र कैसा है?

खेती, जंगल में जो थोडा बचा है लेते हैं फिर पलायन करते हैं बहर जाकर काम ढूंढते है और खेती के समय फिर वापस आते हैं।

22. **गाँव का संक्षिप्त इतिहास** :– 1950– 51 में फ्रेजरपुर के पस आदिवासी कालोनी बसाई गई। आसपास के इलाकों से 4–4 डिसमिल जमीन देकर 40 परिवारों को बसाया गया। हम सब भूमि हिन् थे तो आकर बस गए। पहले सब साथ मैं नहीं रहते थे सब का टोली अलग होता था। उंची जाती के लोग अलग आदिवासी लोग अलग निची जाती के लोग अलग सबका रहने का अपना क्षेत्र होता था वो वहीँ रहते थे। काम पर कोई बुलाये तो जाते थे नहीं तो जंगल की चीजें खा कर रहते थेद्य उस समय मजदूरी में चांवल मिलता था। बाद में सरकार कूप खोलने लगी तब जंगल काटने के लिए लोग आये हमने विरोध किया आस–पास के गाँव के लोगों ने हमारी सहायता की हमारी लड़ाई मैं साथ दिया। पर 27 साल पहले यहाँ पर बांध बनाया गया बहुत सा जंगल नष्ट हुआ। पठार इलाका था जहाँ बांध बना है वहां बहुत घास थी वहां कंदमूल बहुत होता था। अब तो कम हो गया है। अब तो लोग खेत बना कर धान उगा रहे हैं।

प्रश्नावली

गाँव का नाम :– महारानी मेरी पुर, उड़ीसा

उम्र :– 40–50 वर्ष, 40–45 लोग

लिंग :– पुरुष और महिला दोनों

व्यवसाय :– खेती मजदूरी

1. **आपका जीवन किस जंगल पर आधारित है?**

   आड़ पखोन, टेठे डोंगरी, धुनकेल डोंगरी, झुरी डोंगरी, बेछू बहाली, लुहरा डूडगी, केछोमाल, भूरिया मुंडा, बोड आंट, सुरु आंट, कुआँबोसिया माल।

2. **यह जंगल किस तरह का है? क्या यहाँ जाने में कोई रोक है यदि हाँ तो कब से?**

   कुछ जंगल रिजर्व है कुछ ग्रामीण जंगल है।

3. **क्या आप पारंपरिक रूप से जंगल जमीन का उपयोग करते आ रहे हैं?**

   हाँ हम पारंपरिक रूप से जंगल की जमीन का उपयोग करते आ रहे हैं।

4. **आपके अनुसार जंगल क्या है? (परिभाषा/समझ)**

   जंगल में पेड़–पौधे, फल, जंतु सब मिलते हैं। झरना पहाड़ नदी सब होता है। हम इनसे मिलने वाली चीजों का उपयोग करते हैं।

5. **क्या आज आप जंगल के उत्पादों (वनोपज) का स्वेक्षा से आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं?**

   दोनों ही तरह के जंगल मैं रोकटोक है।

6. **जंगल के उत्पादों (वनोपज) तक आपकी पहुँच कम होने का क्या कारण है?**

   जंगल विभाग का रोक है उनसे छुप कर ही सामान लेट हैं। पकड़ा जाने पर पैसे देकर या जुरमाना पटा कर छुटना पड़ता है।

7. **जंगल में ऐसे कौन से उत्पाद है जिनका आप उपयोग करते आये है? इन उत्पादों का क्या उपयोग है?**

जंगल में पहले पाये जाने वाले वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	जंगल में आज पाये जाने वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	इन उत्पादों की की उपयोगिता है।
रेंगाल	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	लकड़ी
साहज	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	जकड़ी
महुआ	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	लकड़ी फुल फल बिज
हर्रा	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	फल लकड़ी
भेरू	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	लकड़ी
नीम	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	लकड़ी फल फुल पत्ती बिज
करला	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	लकड़ी
बहेरा	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	फल लकड़ी
तेंदू (केंदु)	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	फल पत्ता लकड़ी
धातुक	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	लकड़ी
आंवला	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	फल लकड़ी
चार	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	फल बिज लकड़ी
कोसम	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	फल लकड़ी बिज
डूमर	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	फल लकड़ी
जामुन	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	फल लकड़ी
आम	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	फल लकड़ी
ईमली (तेतेल)	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	फल लकड़ी
बंसा (बाउंस)	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	फल बांस करील
बेल	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	फल लकड़ी
धामेन	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	लकड़ी
खैर(खदुर)	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	लकड़ी
बादेंन	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	लकड़ी
गाडखइर	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	लकड़ी
बेर	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	फल
काँठोकुइली	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	लकड़ी
खजूर	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	फल पत्ती
ताल	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	पत्ती फल रस
कन्दः– कसाकंदा	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
कुलिहा कंदा	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
पिता कंदा	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
खजूर कंदा	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
ताल कंदा	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
मशरूमः– भुदो महला छती	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आते हैं
बिह्ड़ेन छती	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
अस्पिन मोहला	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
पटरस	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।

बालू छती	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
बांस छती	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
बिनुआं छती	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
करडी	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
सागः— सीरेल साग	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
कुलेर साग	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
कुंजेर साग	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
चुकड़ा साग	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
चांटी साग	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
बोहार साग	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
फेन साग	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	खाने के काम आता है।
ठेलको फल	पहले की अपेक्षा कम हो गया है ।	सब्जी बनाते हैं।

8. क्या आपके क्षेत्र में वनरोपण का काम चल रहा है? यदि हाँ तो इस प्रश्न को भरें।

कितने क्षेत्र में वनरोपण किया गया है?	वनरोपण में कौन से पौधे—पेड़ लगाये गए हैं?	इन पेड़—पौधों की क्या उपयोगिता है?
5 हेक्टेयर	सागौन	जंगल विभाग वाले ही उपयोग करते है।
बाकि की जानकारी नहीं है	बांस	लकड़ियों को बेचते हैं FD
	शीशु(शीशम)	लकड़ियों को बेचते हैं FD
	बेल	लकड़ियों को बेचते हैं FD
	राधा चुडा	लकड़ियों को बेचते हैं FD
	चाखुडा	लकड़ियों को बेचते हैं FD
	कृष्णा चुडा	लकड़ियों को बेचते हैं FD

9. इस जंगल में क्या ऐसे कोई पेड़—पौधे (वनस्पति) पाये जाते थे जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता रहा है यदि हाँ तो क्या आज भी यह पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले औषधि पेड़—पौधे (वनस्पति)	आज पाये जाने वाले औषधि पेड़—पौधे (वनस्पति)	किस उपचार में उपयोग किया जाता है?
सतावरी	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	खून की कमी
चंदुर चेर	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	अम्लीयता
रोहेना	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	अम्लीयता
कुरे चेर	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	किरमी
भुई नीम	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	बुखार खून साफ
हर्रा	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	खांसी

बेहरा पिपली	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	खांसी
गंगा शिवनी	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	मलेरिया बुखार
पान आमरी	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	सिर के फुंसियों पर
सस्तर भेजरी	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	खांसी (कफ वाली)
करंच तेल	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	खुजली में
हांथी खुपा	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	सिर के फुंसियों पर
हरी शन्खरी	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	हड्डी जोड़ने में
विषल्य करणी	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	चोट लगने पर
रसना	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	जोड़ों में दर्द
तालमोली	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	ताकत मिलता है।
देवनासन	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	सांप नहीं आता विषनाशक है।
गरुड़	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	सांप नहीं आता विषनाशक है।
माडुल पत्ता	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	विषनाशक बुखार
बिरुल चेर	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	बिच्छु काटने पर
कुआं बबली	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	बुखार में नहलाते हैं
कंपगजरी	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	कफ में
नीम	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	बुखार कफ पेट साफ
बेजाटी	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	पीलिया
कुंजेर चेर	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	पेट की बीमारी
सोनारी	आज भी मिलते हैं पर बहुत कम	जानवरों में सुजन में

10. समुदाय में पहले किस तरह की बीमारियाँ थी और आज किस तरह की बीमारियाँ है?

जुडी जर (मलेरिया), डायरिया, कॉलरा, हैजा जख्मा (टी.बी.) इन बिमारियों का नाम ही जादा सुनते थे। आज कल तो बहुत सी बिमारियों के नाम सुनने को मिलते हैं। कोरोना, कैंसर, किडनी खराब और भी बहुत से हैं।

11. इन बिमारियों के उपचार के लिए आप किसके पास सबसे पहले जाते थे और आज इलाज के लिए कहाँ जाते है?

वैद्ध के पास जाकर जडीबुटी से इलाज कराते थे। अब जडीबुटी पर से विश्वास काम हो गया है। डॉक्टर के पास जाकर जल्दी ठीक होना चाहते हैं। हमारा खानपान भी बदल गया हैद्य शरीर में औषधियों का असर धीरे होता है लोग इतना समय देना नहीं चाहते हैं।

12. जंगल के उत्पादों का उपयोग आप अपनी आजीविका को मजबूत करने के लिए करते थे क्या आज भी इनका उपयोग कर पा रहे है?

हाँ आज भी करते हैं पर पहले से काम मिलने लगा है सबकुछ। इसका करण जंगल विभाग का रोक, उपज भी काम हो गई है। दुसरे पेड़ लगा देते हैं तो जंगल के पेड़ जो हम उपयोग करते हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं।

13. जंगल के किन उत्पादों को बेच कर आप अपना जीवन चलाते हैं? कहाँ बेचते हैं?

बेचे जाने योग्य उत्पाद	आज उपयोग कर सकते हैं	कितने में बिकता है?
महुआ	कम हो गया है	30/kg
चार	कम हो गया है	50/kg
हर्रा	कम हो गया है	10/kg
आंवला	कम हो गया है	20/kg
बेहरा	कम हो गया है	10/kg
नीम	कम हो गया है	10/kg
आम	कम हो गया है	27/kg
जामुन	कम हो गया है	25/kg
तेंदू	कम हो गया है	10/kg
ईमली	कम हो गया है	30/kg
कुरे फल	कम हो गया है	10/kg
तेंदू पत्ता	कम हो गया है	120/सैंकड़ा
कोसम	कम हो गया है	10/kg
डोरी	कम हो गया है	15/kg

14. जंगल में आपको किस तरह के खतरे हैं और आप इसका सामना कैसे करते है?

जंगल विभाग, जानवर इनका सामना नहीं करते इनसे बचते हैं छुप कर। जंगल विभाग से पकडे गए तो घुस देते हैं। जानवरों से तो भागते ही हैं।

15. जंगल को आपसे किस तरह के खतरे और फायदे हैं?

16. इस जंगल में किस तरह के जानवर पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले वन्यजीव	आज भी पाये जाने वाले वन्यजीव	नहीं पाये जाने के कारण
भालू	पहले से कम हो गए हैं	जंगल ही कम हो रहा है
हुंडार (लकडबग्घा)	पहले से कम हो गए हैं	जंगल ही कम हो रहा है
सियार	पहले से कम हो गए हैं	जंगल ही कम हो रहा है
खरगोश	पहले से कम हो गए हैं	जंगल ही कम हो रहा है
कुटरा	पहले से कम हो गए हैं	जंगल ही कम हो रहा है
हिरण	पहले से कम हो गए हैं	जंगल ही कम हो रहा है
बन बिलाव	पहले से कम हो गए हैं	जंगल ही कम हो रहा है

17. वन सम्पदा को बचाने के लिए आपका क्या योगदान रहा है?

जंगल की रक्षा करते थे। सरकार ने जब से हमारा जंगल मैं जाना माना कर दिया है तब से जंगल के अन्दर से निगरानी नहीं कर पाते हैं। जब तक हमारी निगरानी में था तब तक सुरक्षित था अब तो जंगल खत्म होता जा रहा है।

18. जंगल में जाने की पाबन्दी से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है और जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

हमारे निस्तारी की ओई भी चीज हमें नहीं मिल रही है। अस पास से ही उत्पाद जमा कर के बेच रहे हैं। आजीविका भी मुश्किल हो रही है। इसी लिए सरकारी चावल खाना पड़ता है।

19. आपके इष्ट देवी–देवता कौन है जिनकी आप पूजा करते है?

डोंगरी पूजा, गाँवहारी देवता, करम सहनी, ठाकुर देवता, शीबा बूढी, आदि की पूजा करते हैं।

20. आपका खान–पान पहले जैसा है या इसमें कुछ बदलाव आया है? (मौसम और समय के आधार पर)

पहले हम कम कमाते थे कम खाते थे पर शुद्ध खाते थे बीमार नहीं पड़ते थे। आज कल तो सरकार का चांवल खाते हैं। हमारा उगाया चांवल खत्म हो जाता था तब जंगल की उपज खाते थे जंगली साग भाई कांदा सब खाते थे। आज कल तो वो सब खा नहीं पते हैं। फायदा कैसे मिलेगा शरीर को।

21. **आप पहले ज्यादा आत्मनिर्भर थे या आज?**
अब तो मजदूरी करके पहले से ज्यादा कम लेते हैं पर आज कल बीमार भी ज्यादा होने लगे हैं सब खत्म हो जाता है। काम कमते थे पर सुख ज्यादा था। आज तो ज्यादा निर्भर हो गए हैं।

22. **आपका वार्षिक चक्र जंगल के उत्पादों (वनोपज) के साथ क्या होता था और आज यह चक्र कैसा है?**
खेती करते हैं बाद में बहर ईट भट्ठा, कारखानों में कमाने जाते है आसपास के गाँव में भी मजदूरी करने जाते हैं।

23. **गाँव का संक्षिप्त इतिहासः**— हमारा गाँव लगभग 300 वर्ष पहले बसा था। हमारा राजा बिंझवार जाती का था। इस्गओं का नाम ठेलको डूंगरी था। हमारे राजा की बेटी बहुत ही खुबसुरत थी। जिस बड़े राज्य के अन्दर था हमारा राज्य उस राजा ने हमारे जमींदार से उसकी बेटी का हाँथ माँगा। हमारे जमींदार ने माना कर दिया तो इनकी जमीदारी खत्म कर दी गई। हमरे राजा को बहुत बुरा लगा वह अंग्रेजों से मिलने लगा उस समय उसने मेरी नाम की लड़की से शादी की जो इसाई धर्म को मानने वाली थी। तब से हमारे गाँव का नाम महारानी मेरी पुर हो गया और हम लोगों ने ईसाई धर्म को भी अपना लिया। आज तो सभी धर्म के लोग यहाँ रहते है पर नाम अभी भी महारानी मेरी पुर ही है। आज यहाँ पर 500 लोग रहते हैं 125 घरों में।

प्रश्नावली

गाँव का नाम :– सुखमनिपुर, उड़ीसा
उम्र/लोग :– 12 लोग
लिंग :– सिर्फ पुरुष थे महिला नहीं थी सामूहिक बैठक मे
व्यवसाय :– खेती और जंगल

1. **आपका जीवन किस जंगल पर आधारित है?**
   डिहीडोंगरी, कोलियर धोंरा, चंदिया धोंरा, आँवला दरहा, कुंजी डोंगरी।
2. **यह जंगल किस तरह का है? क्या यहाँ जाने में कोई रोक है यदि हाँ तो कब से?**
   खुला जंगल है आजादी से निस्तारी करते है कोई रोक नहीं है।
   3.क्या आप पारंपरिक रूप से जंगल जमीन का उपयोग करते आ रहे हैं?
   हाँ
4. **आपके अनुसार जंगल क्या है? (परिभाषा/समझ)**
   जंगल हमारा साथी है हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जंगल से हमारा जीवन जुडा हुआ है।
5. **क्या आज आप जंगल के उत्पादों (वनोपज) का स्वेक्षा से आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं?**
   हाँ।
6. **जंगल के उत्पादों (वनोपज) तक आपकी पहुँच कम होने का क्या कारण है?**
7. **जंगल में ऐसे कौन से उत्पाद है जिनका आप उपयोग करते आये है? इन उत्पादों का क्या उपयोग है?**

जंगल में पहले पाये जाने वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	जंगल में आज पाये जाने वाले पेड़–पौधे (वनस्पति)	इन उत्पादों की की उपयोगिता है।
चार	बहुत कम हो गया है	फल लकड़ी
साल	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
सरई	पहले से कम हो गया है	लकड़ी पत्ता
साजा	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
बिजरा	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
कर्रा	पहले से कम हो गया है	लकड़ी

धौंरा	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
तेंदू	पहले से कम हो गया है	लकड़ी फल पत्ता
सेनहा	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
हर्रा	पहले से कम हो गया है	फल लकड़ी
कोसम	पहले से कम हो गया है	फल लकड़ी
जामुन	पहले से कम हो गया है	फल लकड़ी
महुआ	पहले से कम हो गया है	फल बिज फुल लकड़ी
ईमली	पहले से कम हो गया है	फल लकड़ी
सीताफल	पहले से कम हो गया है	फल
भेलवां	पहले से कम हो गया है	लकड़ी
कुर्रु	पहले से कम हो गया है	फल लकड़ी
सागः– कोलियर साग	पहले से कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
फांग साग	पहले से कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
गिरुल साग	पहले से कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
गुमी साग	पहले से कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
नीम साग	पहले से कम हो गया है	पत्ती फल बिज लकड़ी
बोहर साग	पहले से कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
सिलियारी साग	पहले से कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
कुंजेर साग	पहले से कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
भुई मुड़ी	पहले से कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
मशरूमः– ब्यासी पुटू	पहले से कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
सुकला पुटू	पहले से कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
भदई पुटू	पहले से कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
दुलकू पुटू (पतरस)	पहले से कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
पतेरा पुटू	पहले से कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
मंजूर पुटू	पहले से कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
कनकी पुटू	पहले से कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
खरल गुदी	पहले से कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
कन्दः– करू कांदा	बहुत कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
पिथाडू कांदा	बहुत कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
डांग कांदा	बहुत कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
कुंदरू कांदा	बहुत कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
छेरी कांदा	बहुत कम हो गया है	पत्ती खाते हैं
खेक्सी कांदा	बहुत कम हो गया है	पत्ती खाते हैं

8. क्या आपके क्षेत्र में वनरोपण का काम चल रहा है? यदि हाँ तो इस प्रश्न को भरें।

नही।

9. इस जंगल में क्या ऐसे कोई पेड़–पौधे(वनस्पति) पाये जाते थे जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता रहा है यदि हाँ तो क्या आज भी यह पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)	आज पाये जाने वाले औषधि पेड़–पौधे (वनस्पति)	किस उपचार में उपयोग किया जाता है?
पताल कोहड़ा	पहले की अपेक्षा कम हैं	जानवरों के ताकत के लिए
सतावरी	पहले की अपेक्षा कम हैं	खून बढ़ाने को,
भुई नीम	पहले की अपेक्षा कम हैं	बुखार
गिलोय	पहले की अपेक्षा कम हैं	मलेरिया बुखार, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने
साबर भांज	पहले की अपेक्षा कम हैं	दर्द, प्रसव के बाद खून साफ करने को
बिछिया जड़ी	पहले की अपेक्षा कम हैं	प्रसव के दौरान महिला को दिया जाता है
एन्ठुल जड़ी	पहले की अपेक्षा कम हैं	प्रसव के दौरान महिला को दिया जाता है
सिहाल जड़ी	पहले की अपेक्षा कम हैं	प्रसव के दौरान महिला को दिया जाता है
महुआ छाल	पहले की अपेक्षा कम हैं	मासिक की समस्या में खून साफ करता है
सांप बोदा	पहले की अपेक्षा कम हैं	जानवरों में क्रीमी हटाने
भेजरी कांकर (भासकेटिया)	पहले की अपेक्षा कम हैं	फुल सर्दी में और जड़ जानवरों में ताकत केलिये
मूंगा छाल	पहले की अपेक्षा कम हैं	जानवरों का दस्त रोकता है
केंकर छाल	पहले की अपेक्षा कम हैं	जोड़ों के दर्द में
धौंरा छाल	पहले की अपेक्षा कम हैं	जोड़ों के दर्द में
साजा मदान	पहले की अपेक्षा कम हैं	हड्डी टूटने पर
धोखर	पहले की अपेक्षा कम हैं	हड्डी टूटने पर
हडजोड कांदा	पहले की अपेक्षा कम हैं	हड्डी टूटने पर
अरक(आक) का पत्ता, दूध, जड़	पहले की अपेक्षा कम हैं	दर्द विनाशक, विष नाशक
महुआ फल, फुल	पहले की अपेक्षा कम हैं	दर्द विनाशक, विष नाशक
मकरडा पत्थर	पहले की अपेक्षा कम हैं	दर्द और सुजन में गर्म कर सकते हैं
हिनहिनी जड़ी	पहले की अपेक्षा कम हैं	पेट दर्द, दस्त
भुई मुड़ी	पहले की अपेक्षा कम हैं	पेट दर्द, दस्त

10. समुदाय में पहले किस तरह की बीमारियाँ थी और आज किस तरह की बीमारियाँ है?

हैजा (धुकि), माता (छोटी, बड़ी), बात, मलेरिया (पलीजर), टी.बी.(राजरोग या जखमा) आदि बीमारियाँ सुनने को मिलती थी। आज कल तो बहुत सी बीमारियाँ सुनने को मिल रही हैं। कैंसर, शुगर, कोरोना बहुत सी हैं।

11. इन बिमारियों के उपचार के लिए आप किसके पास सबसे पहले जाते थे और आज इलाज के लिए कहाँ जाते है?

जड़ी बूटी से इलाज करते थे और ठीक भी हो जाते थे। आज डॉक्टर के पास जाते हीं बहित खर्चा होता है। आज खेती में सभी प्रकार के कीटनाशक और दवाइयां दल कर सरकारी बीजों को ही लगा रहे है। जिसे खाने पर शरीर भी कमजोर होता जा रहा है। शरीर की शक्ति भी खत्म होती जा रही है। जड़ी बूटियाँ इसी वजह से जल्दी असर भी नहीं करती है। जडीबुट के असर के लिए शुद्ध शरीर भी चाहिए। जो कीटनाशक दावा हम डालते हैं उससे मरे कीड़ी को भी यदि कोई कीड़ा खा लेता है वो भी मर जाता है ऐसा सात बार हो सकता है तो कितना जहर हमारे खाने में होगा इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते है।

12. जंगल के किन उत्पादों का उपयोग आप अपनी आजीविका को मजबूत करने के लिए करते थे क्या आज भी इनका उपयोग कर पा रहे है?

जंगल के उत्पाद	आज पाये जाते हैं	उत्पाद की उपयोगिता
महुआ	कम मिलते हैं ।	मिठाई,दवाई,शराब
चार	कम मिलते हैं ।	मेवा
आम	कम मिलते हैं ।	आचार अमचुर फल
ईमली	कम मिलते हैं ।	खाने में, चटनी सॉस
जामुन	कम मिलते हैं ।	फल
निबोली	कम मिलते हैं ।	तेल
टोल महुआ बिज	कम मिलते हैं ।	तेल
तेंदुपत्ता	कम मिलते हैं ।	बिडी
शहद	कम मिलते हैं ।	दावा और खाने
बुंदेला जड़ी	कम मिलते हैं ।	दवाई

13. जंगल के किन उत्पादों को बेच कर आप अपना जीवन चलाते हैं? कहाँ बेचते हैं?

बेचे जाने योग्य उत्पाद	आज उपयोग कर सकते हैं	कितने में बिकता है? खुले बाजार मैं
महुआ	महुआ	42-70/kg
चार	चार	100-150/kg
आम	आम	80/kg
ईमली	ईमली	30/kg
जामुन	जामुन	15/kg
निबोली	निबोली	20/kg

टोल महुआ बिज	टोल महुआ बिज	20/kg
तेंदुपत्ता	तेंदुपत्ता	100/सैंकड़ा
शहद	शहद	400/kg
बुंदेला जड़ी	बुंदेला जड़ी	20/kg

14. जंगल में आपको किस तरह के खतरे हैं और आप इसका सामना कैसे करते है?

गाँव की तरफ जानवर सूखे के मौसम में ही आते हैं। बाकि मौसम में जंगल के अन्दर ही रहते हैं।

15. जंगल को आपसे किस तरह के खतरे और फायदे हैं?

16. इस जंगल मैं किस तरह के जानवर पाये जाते है?

पहले पाये जाने वाले वन्यजीव	आज भी पाये जाने वाले वन्यजीव	नहीं पाये जाने के कारण
भालू	मिलते हैं पर कम	
जंगली सूअर	मिलते हैं पर कम	
बंदर	मिलते हैं पर कम	
हांथी	मिलते हैं पर कम	
लोमड़ी	मिलते हैं पर कम	
खरगोश	मिलते हैं पर कम	
जंगली बिल्ली	मिलते हैं पर कम	

17. वन सम्पदा को बचाने के लिए आपका क्या योगदान रहा है?

जंगल में हो रही पेड़ों की चोरी को रोकते हैं। रखवाली करते है। पेड़ों की छंटाई करते है।

18. जंगल में जाने की पाबन्दी से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है और जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

पाबन्दी नहीं है।

19. आपके इष्ट देवी–देवता कौन है जिनकी आप पूजा करते है?

ठाकुर देव, गाँव गोसेन, ठेंगा, भातपोरसी, बरम मोहली, रात माता, बूंदा देवी, दूल्हा देव।

20. आपका खान–पान पहले जैसा है या इसमें कुछ बदलाव आया है? (मौसम और समय के आधार पर)

बहुत बदल गया है बहुत से फल जो पहले होते थे अब खत्म ओ गए हैं। पहले शुद्ध चीजें खाते थे अब तो मिटटी ही बदल रही है। उपज बदल रहे हैं। हर बार ज्यादा उपज लेने के लिए सरकारी धान ही लगा रहे हैं। आज कल पहले जैसे फसल बदलते भी नहीं है। सब बाहर से ही खरीद कर खाते हैं।

21. **आप पहले ज्यादा आत्मनिर्भर थे या आज?**
आज हम कम आत्मनिर्भर हैं। दूसरों के भरोसे ही सब चल रहा है।

22. **आपका वार्षिक चक्र जंगल के उत्पादों (वनोपज) के साथ क्या होता था और आज यह चक्र कैसा है?**
खेती के बाद महुआ, चार, उठाते हैं इसके बाद तेंदू पत्ता तोड़कर बेचते हैं फिर सरकारी काम खुल जाता है। जब से जमीन अधिकार मिला है गाँव से पलायन नहीं होता है।

23. **गाँव का संक्षिप्त इतिहासः**— लगभग 200 साल पहले इस गाँव को बसाया गया था। ऐसा बुजुर्गों का कहना है की सुखामनिपुर को पहले छोटे मनियारी कहा जाता था। उसके पास ही ललितपुर गाँव है जिसे बड़े मनियारी कहा जाता था आज छतीसगढ़ के अंतर्गत आता है। 1936 में जब उड़ीसा और मध्यप्रदेश अलग हुआ तब यह उड़ीसा में आ गया। जमीन एक बड़ी किसान की थी जो गांडा जाती क था। जिसका नाम महंती गौंटिया (गिरी बुढा) था। उसकी कोई संतान नहीं थी वह यहाँ पर अपने भांजे के साथ तलब के किनारे आम के पेड़ के निचे घर बना कर रहते थे। जब उसने अपना जमीन बेचा उस समय हमारे पुर्वाजिन ने यहाँ जमीन खरीद कर घर बनाया। आज भी उनका परिवार हमारे लिए प्रतिष्ठित हैं उनके वंशजों का आज भी यहाँ सम्मा न किया जाता है। उस वक्त यहाँ 4 परिवार आकर बसे थे आज 65 परिवार हो गए हैं। इस गाँव में 19 लोगों को जमीन अधिकार मिला है। यहाँ अघरिया, कोलता, सबर जाती के लोग रहते है।